खण्ड-465, अंक-4
सोमवार, 25 आषाढ़, शक संवत् 1929
(16 जुलाई, 2007 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2007)

खण्ड 465 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
बाराबंकी बस लूट काण्ड तथा श्रावस्ती प्रकरण को नियम 311 के अन्तर्गत लिये जाने की मांग	1-5
प्रश्नोत्तर	5-60
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें (जारी)	60-79
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	80
जौनपुर के केराकत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा कनौरा में पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	80-81
पालीटेक्निक विद्यालयों (सहायतित) के वेतन प्राविधान 1998 के स्तर पर सीज किये जाने एवं रिक्त स्थानों को न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	81
हाथरस के सिकन्दराराऊ क्षेत्र के गांव पिपलागवां के पास पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82
लखनऊ के अमीनाबाद वार्ड स्थित जंगलीगंज में 01 जून, 2007 को हुये अग्निकाण्ड में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	82
प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत ढखवा से इब्राहिमपुर घाट तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक तथा विद्यालयों के पुस्तकालयों की दशा सुधारने के लिये कार्य योजना बनाकर लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83-84
जौनपुर केरारी क्षेत्रान्तर्गत रीठी घाट पर सई नदी पर सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दसवीं कक्षा की जीव विज्ञान की पुस्तक विद्याभारती में प्रजनन विषय पर अश्लील भाषा और रेखाचित्रों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	84

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की सूचना)	85
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ...	85
उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) ...	86
नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	86-87
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग (स्वीकृत)... ...	87-88
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग (स्वीकृत)... ...	88
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग (स्वीकृत)... ...	89
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) (स्वीकृत) ...	89
अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) (स्वीकृत) ...	89-90
अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) (स्वीकृत)...	90
वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान, अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत)... ...	90-91
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	91-92
नगर निगम, वाराणसी द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालय के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन भुगतान रोके जाने स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य	92-93
जनपद सिद्धार्थनगर के गिसरौलिया थानाध्यक्ष द्वारा गणमान्य नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	94

विषय	पृष्ठ-संख्या
ग्रेटर नोएडा सिटी में प्लाट आवंटन में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	94-95
प्रदेश में वित्त विभाग के कोषागारों में की गयी अनियमित नियुक्तियों व पदोन्नति के लिये उत्तरदायीजनों के विरुद्ध संस्तुत कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	96
जनपद प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज अन्तर्गत सिंचाई विभाग की रामपुर कसिहा लिफ्ट कैनाल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य	96-99
जनपद इटावा में बन्द पड़ी सूती मिल के पुनः चालू कराने व श्रमिकों द्वारा अन्य कर्मचारियों की बकाया देनदारियों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	99-101
जनपद इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र में बढ़ रही नक्सलवाद की घटनाओं के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	101-102
लखनऊ महानगर में रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर स्थित अमीन काम्पलेक्स में चल रहे फण्ड प्लेनेट के संचालक को भवन स्वामी द्वारा रेस्टोरेन्ट खाली कराये जाने तथा रेस्टोरेन्ट के मालिक द्वारा पंजीकृत एफ0 आई0 आर0 में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	102-103
जनपद सीतापुर नगर पालिका महमूदाबाद में पेयजल की समस्या के सम्यक् निराकरण के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	103
नत्थियां	104-138

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पन्द्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी)

उपस्थित सदस्य 332

अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबेरली
अजय तोमर, डा0	बागपत
अजय पाल सिंह, कुंवर	रायबरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय यादव, श्री	एटा
अजय सिंह, श्री	जालौन
अनिल कुमार, श्री	कन्नौज
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री	वाराणसी
अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
अरविन्द सिंह, श्री	कन्नौज
अरशद खान, श्री	पीलीभीत
अरूण कुमार यादव, श्री	आजमगढ़
अरूणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती	सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
अलीम, हाजी श्री	बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज

अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार, श्री	औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री	इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री	फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री	लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0 के0 शर्मा, पंडित	बरेली
आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान महसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री	सुल्तानपुर
कमलेश चन्द दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
के0 के0 सचान, डा0	जौनपुर
केदारनाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खाँ, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि प्रसाद, श्री	सोनभद्र
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी
ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रूखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
ददूदन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
ददूदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह, श्री	झाँसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नकुल दूबे, श्री	लखनऊ
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रूखाबाद
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिमलेश सिंह, श्रीमती	अलीगढ़
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झाँसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर
ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेश चन्द गुप्ता, श्री	बदायूँ
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खाँ, श्री	बदायूँ
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब हाजी, श्री	मेरठ
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रघुनाथ प्रसाद शंखवार, श्री	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
धुन्नी भइया, श्री	फतेहपुर
रतनलाल अहिरवार, श्री	झाँसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ	
मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, श्री	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ	
पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहाँपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधामोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर
राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शिरोमणि शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
रामसेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामस्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ	
विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर अहमद, श्री	बहराइच
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेरबहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री (दादा)	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम लाल, श्री	बलरामपुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीभगवान शर्मा, श्री	बुलन्दशहर	सुखलाल, श्री	पीलीभीत
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी	सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव
संजय, श्री	प्रतापगढ़	सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव
संजय कपूर, श्री	रामपुर	सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	सुभाष, श्री	बलिया
संध्या, कुमारी	मैनपुरी	सुभाष पाण्डेय, श्री	जौनपुर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र	सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आमजगढ़
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सत्य प्रकाश अग्रवाल		सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया
(कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सनातन, श्री	बलिया	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़	सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	हर गोविन्द भार्गव, श्री	सीतापुर
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं	हरिओम, श्री	जालौन
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़		

नोट :-आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बाराबंकी बस लूट काण्ड तथा श्रावस्ती प्रकरण को नियम 311 के अन्तर्गत लिये जाने की मांग

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, बाराबंकी में अजमेर शरीफ जा रहे लोगों की बसें लूटी गयीं, उनको चिन्हित करके।

श्री अध्यक्ष-

माननीय चौधरी साहब, उसको मैंने ले लिया है, कृपया प्रश्नकाल होने दें। नियम-311 में आपकी सूचना है, उसको नियम 56 में ले लिया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, श्रावस्ती में जो अमानवीय कृत्य हुआ है। माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी, वकार साहब, अवधेश जी यह लोग वहां गये थे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी घटना नियम-56 में सुनने के लिये ले ली है। कृपया प्रश्नकाल होने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरी घटना एक मंत्री के इशारे पर और सरकार के संरक्षण में हुयी है। सरकार के इशारे पर पूरे प्रदेश में [xxx] मान्यवर, आजादी के बाद से इतनी घृणित घटना कभी नहीं हुयी है। मान्यवर, दोषी मंत्री को बर्खास्त किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी नियम-311 की सूचना को नियम-56 में कर दिया है और सुनने के लिये भी तैयार हूं।

(समाजवादी पार्टी के श्री शिवपाल सिंह यादव व श्री अम्बिका चौधरी, डा0 वकार अहमद शाह तथा डा0 पी0 के0 राय के साथ सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी सूचना को चयनित कर लिया है, आप अपनी सूचना पर कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप समस्या को गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं और अपनी बात को रखना नहीं चाहते हैं।

(समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के वेल में आकर फ्लोर पर खड़े सदस्यगण से अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान हो गया)

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग हल्ला करके पीड़ितों को न्याय नहीं दिला पाओगे। मैं अपनी बात नियम-56 में सुनने के लिये तैयार हूं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा प्राथमिकता दिये जाने का आश्वासन दिये जाने के बावजूद फ्लोर पर खड़े सदस्यगण नारे लगाते रहे)

(व्यवधान के मध्य)

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह झगड़ा करना हमें अच्छा नहीं लगा। आपके आसन से ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और पिछली विधान सभा में महबूब अली का कोई आरोप सदन का नहीं था। जो बर्खास्त किये गये थे लोकसभा के मेम्बर, बी0एस0पी0 के, उन पर सदन से संबंधित था। उसके बाद महबूब अली पर बाहर आरोप लगा और आरोप लगाने के बाद ऐसा यहां पर सभी पिछली दलों ने मांग की कि कुछ कार्यवाही होनी चाहिए तो हमने तत्काल महबूब अली का इस्तीफा लिया। तो ऐसा नहीं है, नरेश अग्रवाल, अम्बिका चौधरी, डा0 वकार साहब यह सब सीनीयर मेम्बर हैं। हमारे यहाँ ऐसी अनुशासनहीनता नहीं है। लेकिन मजबूरी है और मजबूरी यह है कि इस सरकार ने कहीं भी कोई भी ऐसा सकारात्मक जवाब दिया हो। पिछला जो हाऊस नहीं चला, स्टेटमेंट की हमने मांग की, आपने देखा कि स्टेटमेंट किस तरह का था। मैं आज यह बात कह रहा हूं कि सरकार जब सही बयान देगी तो उसी को लाभ होगा। हमें लाभ होने वाला नहीं है, हमें लाभ तब होगा, जब सरकार नहीं सुनेगी। श्रावस्ती का मामला हो, चाहे बाराबंकी का मामला हो आखिर सब [xxx] पर ही क्यों हो रहा है और एक जाति विशेष के साथ ही क्यों हो रहा है? तीन ब्लाकों पर कल से छापा मारे गये, कन्नौज मे एक को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, रजनीकान्त को जेल, राजेश यादव ब्लाक प्रमुख और नवाब सिंह यादव, ब्लाक प्रमुख, लोहिया वाहिनी का अध्यक्ष, इन तीनों पर छापा मारा गया। अध्यक्ष महोदय, आप इसे गंभीरता से लीजिए। जब तक आपके आसन से कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होगा, तब तक मजबूरी है, हम असेम्बली में आकर क्या करें ? विधान सभा में आकर क्या करें हम, आप ही बता दीजिए कि हम यह करें ? कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं आ रहा है। आपको याद होगा, आप यहां बैठते थे, आपके दल का कोई सदस्य अगर सुरक्षा की मांग करता था सदन में तो मैं उसे सही मानता था। अगर विधान सभा में कोई सदस्य कहता था कि मेरे जीवन को खतरा है तो उसी वक्त जब तक वह घर पहुंचता था तब तक सुरक्षा पहुंच जाती थी और अगर रुपए की मांग की तो तत्काल दिया गया है। एक भी उदाहरण बता दो कि अगर आपके दल की तरफ से हमारी सरकार में मांग की गई हो और हमारी तरफ से ऐलान इसी सदन के अन्दर न किया गया हो, ऐलान भी किया

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गया और उसका पालन भी किया गया। क्योंकि हम मानकर चलते हैं कि जो एक विधायक सदन में बोल रहा है, वह विधायक जनता के द्वारा चुना गया है और जनता के प्रति जिम्मेदार है, यह सही बोल रहा है। हम जैसे लोग सदन में खड़े हो जाएं, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना नहीं चाहूंगा, मेरे लिए मजबूरी है यहां रहना। मैंने सदन में कह दिया था कि मैं सरकार नहीं बनाना चाहता था, मुझे मजबूर किया गया था। हम जैसे लोग खड़े हो जाएं और उसके बाद भी सरकार पर कोई असर न पड़े तो फिर इसके अलावा और उपाय क्या है ? अध्यक्ष महोदय, हम आपका आदर करते हैं, कोई कहीं भी किसी स्तर की नैतिकता राजनैतिक जीवन की भी होती है, या ईमानदारी होती है या कोई भावना होती है, संवेदनशीलता होती है तो संवेदनहीन सरकार जब यह है तो हमारे पास इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अगर आपके आसन से कोई ऐसा निर्णय आ जाए तो आप जब बतायें हम बैठ जायेंगे। आपने देखा कई बार हमने सदन को बचाया, सदन को चलाने के लिए हम कभी भी अलग नहीं रहे, चाहे संसद में रहे हों, चाहे यहां रहे हों। लेकिन अध्यक्ष महोदय आप ही सकारात्मक निर्णय लें तो हो सकता है वरना नहीं हो सकता है सरकार से।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, 311 में सूचना दिया है चौधरी साहब ने, मैंने यह कहा कि नियम-56 में इस सूचना को प्राथमिकता पर सुनने के लिए मैंने चयनित कर लिया है। नियम-311 की सूचनाएं जो श्रावस्ती और बाराबंकी की हैं, उसको मैंने प्राथमिकता पर लिया है कि नियम-56 में सुना जाएगा। प्रतिपक्ष के नेता से ले करके सभी लोग अपने विचार रखें और सरकार क्या निर्णय लेती है, इनका भी सुन लिया जाए कि सरकार क्या कहना चाहती है, सरकार का विचार क्या है? मैं तो उसी के लिए कह रहा हूँ।

(सदन के वेल में खड़े हुए समाजवादी पार्टी के सदस्य नारेबाजी करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

हां ओम प्रकाश जी, आप बतायें, आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, न्यायिक जाँच से ही सारी चीज स्पष्ट होगी अन्यथा नहीं होगी। श्रावस्ती में एक पक्ष उठाया गया और शासन से भी एक ही पक्ष की जाँच की गई, लड़की कहाँ है ? कैसे है ? किस स्थिति में है, इसकी कोई जानकारी नहीं हैं, इसलिए इसकी न्यायिक जाँच करायी जाए, यह हमारी माँग है।

श्री अध्यक्ष-

मैने नियम-56 में चयनित कर लिया है, दोनों सूचनाओं को श्रावस्ती की भी और बाराबंकी की भी, दोनों सूचनाओं को प्राथमिकता पर सुनने के लिए मैने चयनित कर लिया है।

आप अपनी बात कहें और सरकार भी कुछ कहें। प्रश्नकाल होने दें, प्रश्नकाल के बाद आप जो चाहें करा लें। मैं कह रहा हूं कि आप सुनाइये तो अपनी बात नियम-56 में। मैं तो नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन कर रहा हूं कि नियम-56 में सुनने के लिए मैंने दोनों विषयों को चयनित कर लिया है, सरकार का भी सुन लें कि क्या कहती है सरकार ? मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग बैठ लें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

मान्यवर, अभी तक सरकार ने एक भी सकारात्मक जवाब नहीं दिया है और यदि नहीं मानते हैं तो आप मौके पर चले जायें, क्या सरकार का यह जवाब सही था ? अध्यक्ष महोदय, माननीय ओम प्रकाश जी ने जरा सा हमसे अपील की थी मैंने मान लिया और सदन से सबको उठवा लिया था। एक भी, चाहे बी0जे0पी0 का हो चाहे किसी भी दल का हो, एक बता दो जो सकारात्मक जवाब आया हो। मैं तो बैठता हूं, लगातार बैठता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आप तैयार तो हैं, लेकिन कम से कम इस बात पर विचार करें, हम लोगों ने वहां पर एक जांच दल भेजा है।

(सदन के वेल में खड़े हुए समाजवादी पार्टी के सदस्यगण नारेबाजी करते रहे।)

(घोर व्यवधान/शोर के मध्य)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, हमने न्यायिक जांच की मांग की है, आप आश्वासन दे दें, न्यायिक जांच हो जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको नियम-56 में सुनने के लिए तैयार हूं। मैंने नियम-311 की सूचना को 56 में चयनित कर लिया है और प्रश्न प्रहर हो जाने दें, जीरो ऑवर में इसको सुन लूंगा। आप लोग व्यवस्थित होने के लिए तैयार नहीं हैं तो कैसे सरकार का जवाब आ पायेगा ? मैं भी चाहता हूं कि सरकार जवाब दे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमने श्रावस्ती घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। इसकी न्यायिक जांच करा लीजिए।

डा0 वकार अहमद शाह (वेल से)-

वहां एक जाति विशेष के लोगों के घर गिरा दिये गये। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें नंगा घुमाया गया। यह सब सरकार के संरक्षण में हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसकी गम्भीरता को देखते हुए नियम-56 में चयनित कर लिया है। आप लोग पहले शांत हो जाइये।

श्री अवधेश प्रसाद (वेल से)-

मान्यवर, मैंने स्वयं श्रावस्ती जाकर देखा है, वहां पर महिलाओं के साथ ज्यादती की गयी है। सरकार के मंत्री की शह पर वहां पर महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है, उनके घर लूटे गये हैं यहां तक कि घर गिरा दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने कहा कि इसको मैं सुनने के लिए तैयार हूं और आपकी नियम-311 की सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया है। अब आप लोग अपने आसन पर चलिये। आप लोग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हैं।

(वेल में आये हुए सदस्यगण सम्बन्धित मंत्री को बर्खास्त करने सम्बन्धी नारे लगाने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 12.20 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी।)

प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में पीने के पानी की समस्या के निराकरण की योजना

*।-श्री नरेश अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में पीने के पानी की समस्या पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन द्वारा पीने के पानी की समस्या के निराकरण हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? उस पर कितना धन उपलब्ध कराया है तथा वह कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

जी नहीं। ग्रीष्म ऋतु में कहीं-कहीं पर थोड़े समय के लिए तथा ऊंचाई वाले स्थानों पर नलकूपों का श्राव कम हो जाने के कारण समस्या होती है।

प्रदेश के नगरों में सुचारुरूप से जलापूर्ति करने एवं पेयजल सुदृढ़ीकरण/सम्वर्द्धन हेतु निम्नलिखित योजनायें प्रचलित हैं :-

1-सामान्य कार्यक्रम

2-जिला योजना

3-त्वरित नागर पेयजलापूर्ति कार्यक्रम

4-जे0एन0यू0आर0एम0

5-यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 कार्यक्रम

6-आदर्श नगर विकास योजना

प्रदेश के नगरों की जल सम्पूर्ति व्यवस्था के जीर्णोद्धार/पुनर्गठन, अभिवर्द्धन के सम्बन्ध में उक्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्यवाही चरणवद्ध तरीके से चलती रहती है। गत वर्ष के बजट के सापेक्ष रुपया 116.65 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है तथा उपरोक्त कार्यक्रम पूर्व से ही लागू हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र सहायतित जे0एन0यू0आर0एम0/यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना से भी पेयजल योजनाओं हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है। आदर्श नगर विकास योजना में बजट प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया गया है जिससे भी पेयजल योजनाओं हेतु धनराशि दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सी0पी0एम0टी0 परीक्षा के परिणामों की अनियमितताओं में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही एवं इसे पारदर्शी बनाये जाने की मांग

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री उदयभान करवरिया तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सी0पी0एम0टी0 प्रवेश परीक्षा के परिणाम वर्ष 2007 में अनियमितताएं की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या उसके लिए कौन से लोग दोषी पाये गये एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त अनियमितता को रोकने एवं पारदर्शी परीक्षा परिणाम हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

जी नहीं, उत्तर प्रदेश सी0पी0एम0टी0 2007 के परीक्षा परिणाम में अनियमितताएं नहीं हुई हैं बल्कि परीक्षा परिणामों की तैयारी में एवं फलस्वरूप उनकी घोषणा मे त्रुटियां परिलक्षित होने पर दिनांक 14 जून, 2007 को कुलपति, वीर बहादुर सिंह, पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम शासन द्वारा निरस्त कर दिया गया और परिणामों के पुनपरीक्षण हेतु शासन द्वारा समिति गठित की गयी जिसके द्वारा जांचोपरान्त त्रुटियों का निराकरण किया गया और उसके बाद दिनांक 21 जून, 2007 को त्रुटिविहीन परिणाम घोषित कर दिया गया।

नोट :-उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली 1958 के नियम-41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

दिनांक 14 जून, 2007 को घोषित परिणामों में हुई त्रुटियों के सम्बन्ध में प्रो0 के0 पी0 सिंह, कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर को दोषी पाया गया जो शासन द्वारा कार्यवाही किये जाने से पूर्व दिनांक 21 जून, 2007 को उक्त त्रुटियों की नैतिक जिम्मेदारी स्वयं वहन करते हुए कुलपति के पद से त्याग-पत्र दे चुके हैं जो कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रवेश परीक्षा एवं परिणाम को पारदर्शी बनाये जाने के उद्देश्य से सी0पी0एम0टी0 परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को उनकी उत्तर पुस्तिका की कार्बन प्रतियां दे दी जाती हैं। साथ ही परीक्षा परिणाम घोषित होने के साथ ही सी0पी0एम0टी0 परीक्षा में पूछे गये प्रश्नों के सही उत्तर (Answer Key) भी समाचार पत्रों/वेबसाईट पर प्रदर्शित कराए जाते हैं। अभ्यर्थी अपनी कार्बन कापी से Answer Key का मिलान कर सकते हैं तथा यदि उन्हें यह प्रतीत होता है कि कोई त्रुटि हो गयी है, तो वे परिणाम घोषित होने के आठ दिन में स्क्रूटनी हेतु निर्धारित फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं। शासन द्वारा गठित समिति को एक माह में सुविचारित प्रस्ताव उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं ताकि भविष्य में परीक्षा की शुचिता, शुद्धता तथा स्तरीयता बनी रहे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायक निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन एवं इस व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में विधायक निधि के अन्तर्गत कराये गये कार्यों के 100 प्रतिशत भौतिक सत्यापन की तथा निर्मित कार्यों के 100 प्रतिशत आडिट की कोई व्यवस्था विद्यमान है ? यदि हां, तो वह व्यवस्था क्या है ? क्या सरकार विधायक निधि को समाप्त करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जी हां।

विधायक निधि के मार्ग-दर्शी सिद्धान्त संख्या-91/वि0नि0/38-3-2002-500(1)/98 टी0सी0 दिनांक 10-04-2002 के प्रस्तर 5.1 एवं संलग्नक-9 के क्रमांक-4 के अनुसार मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, उप क्षेत्रीय/खण्ड स्तर पर जिले के अधिकारियों द्वारा शत-प्रतिशत कार्यों के सत्यापन किये जाने की व्यवस्था है। व्यय की जाने वाली धनराशि के शत-प्रतिशत ऑडिट का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

जी नहीं।

विधायक निधि समाप्त किये जाने के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

तारांकित प्रश्न

(नत्थी ख)

(सदन के निर्णयानुसार द्वितीय सोमवार दि0 09 जुलाई, 2007 के स्थगित प्रश्न)

जनपद वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के मोहल्लों में घोर पेयजल संकट एवं दूषित जलापूर्ति की समस्या के निराकरण की कार्य योजना

श्री श्यामदेव राय चौधरी

*1-क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों मोहल्लों के नागरिक विगत वर्षों से घोर पेयजल संकट तथा दूषित जलापूर्ति से परेशान हैं ? क्या यह सत्य है कि जल संस्थान द्वारा की जा रही पानी की आपूर्ति इन मोहल्लों में बिल्कुल शून्य है ? यदि हां, तो क्या सरकार नागरिकों को पेय जलापूर्ति मानक के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वाराणसी जल संस्थान द्वारा वाराणसी शहर में दक्षिणी क्षेत्र में नदी जल श्रोत द्वारा एवं विद्युत उपलब्धता के अनुसार नलकूपों एवं मिनी नलकूपों द्वारा सामान्य जलापूर्ति की जा रही है परन्तु वर्तमान जलापूर्ति व्यवस्था के अंतिम छोर पर स्थित कुछ मोहल्लों में पेयजल की आपूर्ति न्यून दबाव पर एवं कम समय तक हो पाती है। उक्त के अतिरिक्त हैण्डपम्प भी अधिष्ठापित हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर टैंकरों से भी जलापूर्ति की जाती है।

चूंकि शहर दक्षिणी के अधिकांश भागों की पेयजलापूर्ति की लाइनें 100 वर्ष से अधिक पुरानी होने तथा सकरी गलियों में पाइप लाइन, सीवर लाइन के मध्य अन्तर न होने के कारण यदाकदा दूषित जलापूर्ति की शिकायतें प्राप्त होती हैं जिनका निराकरण प्राथमिकता पर जल संस्थान वाराणसी द्वारा कराया जाता है।

जी नहीं।

जी हां।

जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन के अन्तर्गत वाराणसी शहर की पेयजल वृहद पुनर्गठन योजना रु0 146.65 करोड़ भारत सरकार को धनावंटन हेतु प्रषित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम द्वारा संचालित इण्टरमीडियेट कालेजों में विद्यालय निधि पर कार्यरत और निकाले गये सहायक अध्यापकों को पुनः सेवा में लिये जाने की मांग

*2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कानपुर नगर में नगर निगम, कानपुर द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट कालेजों में वर्ष 1998 के पूर्व से विद्यालय निधि पर कार्यरत 40 सहायक अध्यापिकाओं को वर्ष 2006 में बिना कारण बताये सेवा से हटा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त सहायक अध्यापिकाओं को पुनः सेवा में रखा जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

उक्त शिक्षिकाओं को प्रधानाचार्य द्वारा अभिभावक शिक्षक फण्ड से अल्प काल के लिये रखा गया था, जो नियमानुसार नहीं था।

जी नहीं।

रिट याचिका संख्या-55698/06 श्रीमती इन्दु त्रिपाठी बनाम नगर निगम कानपुर में मा0 उच्च न्यायाजय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुसार शिक्षिकाओं के सृजित रिक्त पदों पर नियुक्तियां नियमानुसार की जानी हैं।

प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा वसूली जा रही धनराशि की विकास हेतु अवमुक्त करने की मांग

*3-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थानीय निकायों द्वारा वसूली जा रही चुंगी को समाप्त करते समय प्रदेश में 15% बिक्री कर की बढ़ोत्तरी इस आशय से की गयी थी कि उक्त राशि स्थानीय निकायों के विकास हेतु अवमुक्त की जायेगी ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि स्थानीय निकायों को अवमुक्त की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं। उक्त धनराशि स्थानीय निकायों को अवमुक्त नहीं की जा रही है क्योंकि सम्प्रति धनराशि प्रथम राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों दिनांक 01-4-1997 से प्रभावी होने के उपरान्त राज्य के करों के शुद्ध आगम का निश्चित अंश स्थानीय नागर निकायों को संक्रमित किया जा रहा है।

बुन्देलखण्ड के झांसी शहर में पेयजल की समस्या का कथित प्रकरण

*4-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सूखे के कारण बुन्देलखण्ड के झांसी शहर में पेयजल का संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के निराकरण हेतु सरकार द्वारा कोई उपाय किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वर्तमान में सूखे के कारण बुन्देलखण्ड के झांसी शहर में नगर निगम सीमा में सामान्यतया पेयजल का कोई संकट नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बांदा नगर की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु चिल्ला घाट के पास से यमुना नदी से पानी लाने की कार्य-योजना

*5-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बांदा में शहर बांदा की पेयजल समस्या को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में चिल्ला के पास से यमुना नदी से पानी लाने हेतु कार्य योजना बनाई जायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

बांदा नगर की वर्ष 2040 की आंकलित पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिये वांछित अतिरिक्त 58 एम0 एल0 डी0 जल की नगर से लगभग 40 कि0 मी0 दूर चिल्ला घाट से यमुना नदी से लिये जाने का प्रस्ताव है। इसके लिये विस्तृत योजना अनुमानित लागत रु0 92.00 करोड़ विरचन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर विकास खण्ड शामली के गांव सिम्भालका में स्वच्छ जलापूर्ति की मांग

*6-श्री हुकुम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शामली में स्थित गांव सिम्भालका में हैण्डपम्पों से निकलने वाला जल दूषित हो चुका है, जिसके कारण कैंसर का रोग महामारी की तरह फैल रहा है तथा एक दर्जन से अधिक लोग लीवर कैंसर के कारण मर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदूषित जल की आपूर्ति रोककर सरकार स्वच्छ जल आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

सूचना एकत्र की जा रही हैं।

सरकारी गनर/सुरक्षा देने विषयक नीति की पुर्नसमीक्षा की मांग

*7-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में फरवरी/मार्च, 2007 में दाखिल हलफनामा के अनुसार कितने व्यक्तियों को गनर की सुविधा तथा कितनों को

एक्स/वाई/जेड आदि श्रेणी की सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी है ? उक्त हलफनामें के बाद से अब तक कितने व्यक्तियों को गनर/सुरक्षा उपलब्ध कराई गयी है ? गनर/सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों में से कितनों के विरुद्ध आपराधिक मामले लम्बित हैं ? क्या सरकार ऐसे व्यक्तियों की सूची पटल पर रखेगी ? क्या सरकार द्वारा सरकारी गनर/सुरक्षा देने विषयक नीति की पुर्नसमीक्षा की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में फरवरी/मार्च, 2007 में व्यक्तियों को गनर की सुविधा एवं श्रेणीबद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में कोई हलफनामा दाखिल नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में पेपर मिलों द्वारा दूषित पानी कृष्णी नदी में डाले जाने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

*8-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर, बागपत में कृष्णी नदी के किनारे स्थित पेपर मिलों का दूषित पानी कृष्णी नदी में डाले जाने से नदी का पानी विषैला होने के कारण महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त पेपर मिलों का पानी रोकने के लिए क्या योजना बना रही है ? क्या सरकार पेपर मिल मालिकों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं, जनपद सहारनपुर एवं बागपत में कृष्णी नदी के क्षेत्र में 3 एग्रो वेस्ड पेपर मिल एवं 1 वेस्ट पेपर वेस्ड पेपर मिल अवस्थित है। इन सभी औद्योगिक इकाईयों में आवश्यक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है।

उपरोक्त उद्योगों का समय-समय पर उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरीक्षण किया जाता है और यदि स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र सुचारु रूप से संचालित होते हुये नहीं पाये जाते हैं तो ऐसी दशा में सम्बन्धित उद्योगों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय कर्मचारियों के विशेष वेतन की धनराशि बढ़ाये जाने की मांग

*9-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि सचिवालय कर्मचारियों को विशेष वेतन का भुगतान चतुर्थ वेतन आयोग के अनुसार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विशेष वेतन

की धनराशि को बढ़ाते हुए पंचम वेतन आयोग के अनुसार भुगतान करने का निर्णय लेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) सचिवालय कर्मचारियों को विशेष वेतन 01 दिसम्बर, 1985 एवं दि0 01-01-1987 से राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से लिये गये निर्णय के आधार पर अनुमन्य कराया जा रहा है। वेतन समिति (1997-99) द्वारा इसे पुनरीक्षित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया। वेतन समिति की उक्त संस्तुति को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम हथौड़िया के ब्लाक भावल खेड़ा में कच्ची हड्डी के कारखाने को हटाये जाने की मांग

*10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या पर्यावरण मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर के ग्राम हथौड़ा तथा हथौड़िया के बीच एक हड्डी का कारखाना स्थापित किया गया है जिससे पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है ? क्या मा0 मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि इसको हटाने के लिये धरना, प्रदर्शन, जुलूस जिला मुख्यालय पर हो चुका है ? यदि हां, तो इस कारखाने को कब तक हटा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, शाहजहांपुर के ग्राम-हथौड़िया, ब्लाक-भावल खेड़ा में दो बोन मिलें क्रमशः मै0 दिब्या बोन मिल एवं मै0 निर्मला आर्गेनिक्स (पूर्व नाम पायनीयर बोन प्रोडक्ट) स्थापित हैं। इन उद्योगों में कच्ची हड्डियों के भण्डारण से दुर्गन्ध की समस्या है।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत उद्योग के विरुद्ध बन्दी की कार्यवाही का प्राविधान है। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग मै0 दिब्या बोन मिल की जल/वायु सहमति दिनांक 13-2-07 को निरस्त की जा चुकी है। उद्योग द्वारा पूर्व में अप्रैल, 2007 तक हड्डियों के भण्डारण हेतु पक्के शैड के निर्माण एवं हरित पट्टिका के विकास का आश्वासन दिया गया था परन्तु उद्योग द्वारा उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित नहीं किये जाने के कारण उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक 28-6-07 को जारी किया गया है।

मै0 निर्मला आर्गेनिक्स द्वारा अपने पत्र दिनांक 15-1-07 एवं 22-1-07 द्वारा एक माह में हरित पट्टिका के विकास तथा हड्डियों के भण्डारण हेतु बन्द शैड के निर्माण का आश्वासन

दिया गया था। उद्योग को उक्त के अनुपालन हेतु दिनांक 24-4-07 को पुनः निर्देश जारी किये गये परन्तु उद्योग द्वारा जारी किये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित न किये जाने के कारण दिनांक 28-6-07 को उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी की गई हैं इस प्रकार इस प्रकरण में विधि के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

विधान सभा क्षेत्र पट्टी, प्रतापगढ़ में जिला योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य

1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजना, प्रतापगढ़ में वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-2007 में विधान सभा क्षेत्र पट्टी हेतु कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हैं ? वर्षवार प्रत्येक स्वीकृत कार्य के प्रारम्भ की तिथि एवं आज तक किये गये कार्य का विवरण एवं कार्यदायी संस्था का नाम क्या है तथा शेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिये जायेंगे ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

	(लाख रु0 में)
<u>वर्ष 2003-04</u>	
1-हनुमान मंदिर पट्टी का सौन्दर्यीकरण	रु0 9.63
2-अमरगढ़ शिवालय का सौन्दर्यीकरण	रु0 10.00
3-दुर्गा मंदिर सर्वजीतपुर का सौन्दर्यीकरण	रु0 7.28
4-मगरौरा शिवालय का सौन्दर्यीकरण	रु0 8.84
<u>वर्ष 2004-05</u>	
1-महडौरा शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	रु0 2.96
2-कुण्डाधाम पट्टी का पर्यटन विकास	रु0 5.66
3-मुजाही देवी मंदिर में विद्युत व्यवस्था	रु0 2.76
4-कल्याणी देवी मंदिर पट्टी का पर्यटन विकास	रु0 2.54
<u>वर्ष 2005-06</u>	
1-मुजाही देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78
2-शिव मंदिर बेलारामपुर का सौ0 एवं विकास	रु0 0.78
3-शिव मंदिर भनईपुर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78
4-राम जानकी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78

5-दुर्गाधाम मंदिर बहुता का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78
6-शिव मंदिर मडडोरा का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78
7-महादेवन पट्टी का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78
8-रामजानकी मंदिर ढिढुली पट्टी का सौ0/वि0	रु0 0.78
9-काली मंदिर उदई शाहपुर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78
10-दुर्गाधाम मंदिर कंजासराय का सौन्दर्यीकरण ,	रु0 0.78
11-कुण्डाधाम मंदिर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78
वर्ष 2006-07	
1-कुण्डाधाम पट्टी का पर्यटन विकास	रु0 4.41

जी हां।

वर्षवार प्रत्येक स्वीकृत कार्य के प्रारम्भ की तिथि एवं आज तक किये गये कार्यों तथा कार्यदायी संस्था के नाम सहित विवरण †संलग्न है।

शेष कार्य 6 माह के अन्दर पूर्ण होना सम्भावित है।

2-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के अनेकों ग्रामों में पेयजल आपूर्ति कराये जाने की मांग

3-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के अन्तर्गत ब्लाक अकोला के ग्राम मलपुरा, अकोला, मनकेड़ा तथा ब्लाक बरौली अहीर के ग्राम कुण्डौल में पेयजल पानी की टंकियां होने के बावजूद भी ग्रामवासियों को पेयजल आपूर्ति नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त गांवों में पेयजल आपूर्ति कराये जाने के आदेश पारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

विकास खण्ड अकोला के ग्राम मलपुरा, अकोला तथा मनकेड़ा में आंशिक रूप से जलापूर्ति हो रही है। विकास खण्ड बरौली अहीर के ग्राम कुण्डौल की योजना बन्द है।

---

†(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ट 104-108 पर)।

उक्त ग्रामीण पेयजल योजना 20-25 वर्ष पुरानी योजनायें है। भूजल स्तर नीचे चले जाने के कारण नलकूपों के बन्द होने तथा स्राव कम होने के कारण जलापूर्ति प्रभावित हुई है।

ग्राम मलपुरा, अकोला तथा कुण्डौल ग्रामीण पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार नलकूपों के निर्माण/रिबोर का कार्य कराये जाने हेतु वर्ष 2007-08 के जिला योजना में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा दिल्ली बाई पास के रामबाग चौराहा से सिकन्दरा चौराहा तक सोडियम लाइट लगाये जाने की मांग

4-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा-दिल्ली बाई पास पर [illegible]बाग चौराहा से सिकन्दरा चौराहा तक मार्ग प्रकाश हेतु सोडियम लाइट न होने से नागरिकों को वाहन चलाने में अत्यन्त कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री जी उक्त राजमार्ग पर रामबाग चौराहा से सिकन्दरा चौराहा तक सोडियम लाइट लगाए जाने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आगरा दिल्ली बाई पास पर रामबाग चौराहे से सिकन्दरा चौराहे तक का मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन0एच0ए0आई0) के अधिकार क्षेत्र में है। अतएव नगर निगम की उक्त मार्ग पर प्रकाश व्यवस्था की कोई योजना नहीं है। मात्र नगर निगम द्वारा उक्त मार्ग के चौराहों पर जैसे रामबाग चौराहा, वाटर वर्क्स चौराहा, भगवान टार्कीज चौराहा तथा खन्दारी चौराहे पर लगे प्रकाश बिन्दुओं के अनुरक्षण का कार्य किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित [illegible] उद्देश्य से ताजमहल, लालकिला, सिकन्दरा एवं फतेहपुर सीकरी आदि स्थानों पर ध्वनि तथा प्रकाश कार्यक्रम प्रारम्भ करने की मांग

5-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री राजस्व को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों को आकर्षित करने एवं उन्हें रात्रि विश्राम के लिए प्रेरित करने हेतु ताजमहल [illegible]ला, सिकन्दरा एवं फतेहपुर सीकरी [illegible]दि स्थानों पर ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम प्रारम्भ [illegible]ने के आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

सम्प्रति आगरा में ध्वनि व प्रकाश कार्यक्रम चलाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

ताजमहल, फतेहपुर सीकरी एवं सिकन्दरा में ध्वनि एवं प्रकाश शो के आयोजन के लिये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अनुमति आवश्यक है और ताजमहल के लिये मा0 सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति की भी आवश्यकता होगी।

जनपद शाहजहांपुर में नगरपालिका सीमा अन्तर्गत आने वाले कतिपय नालों की सफाई कराये जाने की मांग

6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगरपालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाला नाला जो मोहल्ला झण्डा से ककरा तक जाता है तथा शहीद उद्यान के पश्चिम वाला नाला पूरी तरह से भरा होने के कारण गन्दा पानी व कीचड़ सड़क पर बहता है ? क्या सरकार इन दोनों नालों को साफ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री नकुल दुबे-

मोहल्ला झण्डा वाला से ककरा तक जाने वाला नाला की सफाई करा दी गयी है।

शहीद उद्यान के पश्चिम वाले नाले की सफाई करायी गयी है। तेल टंकी रोड पर अतिक्रमण होने के कारण नाला सफाई बाधित हो रही है। अतिक्रमण हटाकर नाले की सफाई कराई जा रही है। गन्दा पानी और कीचड़ सड़क पर नहीं बह रहा है।

जी हां, उपर्युक्तानुसार नालों की सफाई कराई जा रही है।

जनपद महराजगंज, तहसील नौतनवां के अम्बेडकर गांवों में पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराये जाने की मांग

7-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील नौतनवां जनपद महराजगंज के अम्बेडकर गांवों में पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास कब तक उपलब्ध करा दिये जायेंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां, जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में 61 अम्बेडकर गांवों की कार्ययोजना बनायी गयी थी, जिनमें से 2231 व्यक्तियों के लक्ष्य के सापेक्ष 2213 व्यक्तियों को इन्दिरा आवास

उपलब्ध करा दिये गये हैं। शेष 18 व्यक्ति स्थायी पात्रत सूची में न होने के कारण इन्दिरा आवास के पात्र नहीं पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

अब कोई पात्र व्यक्ति अवशेष नहीं है।

जनपद महराजगंज की तहसील नौतनवां में दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पेयजल योजना का कथित प्रकरण

8-श्री अमरमणि त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तहसील नौतनवां, जनपद-महराजगंज में नगरपालिका नौतनवां के अन्तर्गत दो करोड़ रुपये की लागत से निर्मित पेयजल योजना को कब तक संचालित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पालिका परिषद्, नौतनवां के अन्तर्गत रु0 2.00 करोड़ की लागत से कोई योजना निर्मित नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी की आवास विकास कालोनी नन्दनपुरा एवं वीरांगना के पार्कों का सुन्दरीकरण कराये जाने की मांग

9-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा स्थापित झांसी स्थित आवास विकास कालोनी, नन्दनपुरा एवं वीरांगना नगर कालोनी के पार्कों में वहां के निवासियों द्वारा कूड़ा डाल दिया जाता है यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्कों का सुन्दरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

आवास विकास परिषद् कालोनी एवं वीरांगना नगर कालोनी में स्थित पार्कों में स्थानीय निवासियों द्वारा यदा-कदा कूड़ा डाल दिया जाता है। उक्त पार्कों का सौन्दर्यीकरण नगर निगम द्वारा धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*** जनपद गोरखपुर के सार्वजनिक ताल/पोखरों के क्षेत्रफल का विवरण एवं इनके पटाने के रोक सम्बन्धी न्यायालयों के अनुपालन की मांग**

10-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में कुल कितने सार्वजनिक ताल/पोखरे हैं, इनका अलग-अलग क्षेत्रफल तथा विवरण क्या है ? इनमें से कितने

पोखरे पाट दिये गये ? पोखरों को पाटने पर रोक लगाने के लिये न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों पर शासन द्वारा क्या कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

गोरखपुर महानगर में कुल 48 ताल/पोखरें हैं जिनका क्षेत्रफल एवं विवरण संलग्न †हैं।

कोई नहीं।

जी हां। शासन के आदेशों के तहत निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को पत्र संख्या-पांच/5794/07/तालाब संरक्षण/07, दिनांक 17 जनवरी, 2007 द्वारा निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में सार्वजनिक कुओं की संख्या एवं इनके जीर्णोद्धार की मांग

11-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में कितने सार्वजनिक कुयें हैं, जो सूख गये हैं ? क्या सरकार द्वारा इनके पुनर्जलीकरण एवं जीर्णोद्धार की कोई नीति निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। इस प्रकार के कुल 15 कुएं हैं।

जी नहीं।

वर्तमान में जलापूर्ति पाइप लाइन एवं इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों से होने के कारण पेयजल हेतु इनका प्रयोग नहीं होता है।

गोरखपुर नगर निगम को प्राप्त ऋण से लालडिग्गी पार्क की जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

12-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन द्वारा 11 सितम्बर, 2006 को गोरखपुर नगर निगम को रुपये 140 लाख का विशेष ब्याज रहित अनुदान दिया गया था ? यदि हां, तो लालडिग्गी पार्क के जीर्णोद्धार के सन्दर्भ में दिये गये इस अनुदान के सापेक्ष अभी तक कौन से कार्य सम्पन्न कराये गये ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम, गोरखपुर को शासनादेश संख्या-यू0 ओ0 300/नौ-8/2006-30 नियम/06, दिनांक 11 सितम्बर, 2006 द्वारा रुपये 140.53 लाख की धनराशि अनुदान के रूप में नहीं बल्कि रिवाल्विंग फण्ड से ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी है।

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 109-110 पर)।

उक्त धनराशि के सापेक्ष संलग्न सूची †में अंकित 24 प्रस्तावित कार्यों को सम्पन्न कराये जाने हेतु धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है जो प्रगति पर है।

ग्राम्य विकास विभाग के लेखा संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत वेतनमान स्वीकृत का अनुपालन जनपद आगरा व डी0 आर0 डी0 ए0 विभाग में कराने का विचाराधीन प्रकरण

13-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आयुक्त ग्राम्य विकास उत्तर प्रदेश के पत्रांक जी0ओ0 102/स्था0-2/ 4ब/वे0सम0/2006, दिनांक 25 मई, 2006 के द्वारा प्रदेश के ग्राम्य विकास विभाग के लेखा संवर्ग के पदों पर उच्चीकृत वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त शासनादेश का अनुपालन आगरा शहर में ग्राम्य विकास विभाग एवं डी0आर0डी0ए0 विभाग में किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद-

जी हां।

जनपद-आगरा में ग्राम्य विकास विभाग के लेखा संवर्ग के कार्मिकों का वेतनमान उच्चीकृत किया जा चुका है।

डी0 आर0 डी0 ए0 में कार्यरत लेखा संवर्ग के कार्मिकों के वेतन उच्चीकरण के सम्बन्ध में प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

14-डा0 धर्मपाल सिंह-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

लखनऊ महानगर को स्वच्छ रखने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

15-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 18-11-2006, 30-11-2006, 1-1-2007 एवं 16-3-2007 जोकि नगर प्रमुख/नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित है और जो कि महानगर को स्वच्छ रखने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

†(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 111-113 पर)।

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

लखनऊ महानगर को स्वच्छ रखने हेतु नगर निगम लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की गयी :-

1-विशेष सफाई अभियान दिनांक 27 मई, 2007 से 4 जुलाई, 2007 तक नगर के सभी क्षेत्र में विशेष रूप से मलिन बस्तियों में चलाया गया।

2-स्वास्थ्य, अभियंत्रण एवं रबिश रिमूवल विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुये नगर के छोटे-बड़े नालों की सफाई करायी गयी।

3-सफाई कर्मियों की शासन के निर्देशानुसार भर्ती करते हुये 1350 सफाई कर्मी नियुक्त किये गये।

4-नगर के 28 वार्डों में सफाई की निजीकरण व्यवस्था लागू की जा रही है। यह व्यवस्था 12 वार्डों में लागू हो चुकी है, शेष में कार्यवाही की जा रही है।

5-नगर के विभिन्न क्षेत्र विशेष रूप से मलिन बस्तियों में सघन फागिंग अभियान चलाया जा रहा है।

6-संक्रामक रोग निरोधात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत नगर में निरन्तर सड़े-गले फल नष्ट किये गये, गन्ना मशीनों को जब्त किया गया, 50,000 क्लोरीन टेबलेट का वितरण तथा चूने व मैलाथियान के मिश्रण का छिड़काव कराया गया।

7-प्रदूषित खाद्य पदार्थों के विरुद्ध कार्य करते हुये 110 सैम्पल भी भरे गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ महानगर के नाले के प्रदूषित जल की आपूर्ति विषयक प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

16-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद एवं मुख्य सचेतक भा0ज0पा0 लखनऊ का पत्र दिनांक 28-12-2006, जोकि लखनऊ महानगर के नाले के प्रदूषित जल की आपूर्ति विषयक है जो कि अध्यक्ष, जल निगम, महाप्रबन्धक, गोमती प्रदूषण, नियंत्रण, लखनऊ महापौर, जल संस्थान, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगरिया नाले का पानी जो रा-वाटर इनटेक में जाता था उसकी दिशा जल संस्थान लखनऊ द्वारा परिवर्तित कर दी गई है जिससे इनटेक में नगरिया नाले का पानी अब नहीं जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में त्वरित विकास योजना अन्तर्गत गत वर्ष में प्राप्त धनराशि एवं उससे कराये गये कार्यों का विवरण

17-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत में त्वरित विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में कितना धन आवंटित हुआ तथा कौन-कौन से कार्य कब तक पूरे होने थे ? क्या सरकार अधूरे कार्यों को पूरा कराकर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

बागपत जनपद में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अधीन वित्तीय वर्ष 2006-07 में रु0 308.58 लाख की लागत के 4 कार्य स्वीकृत किये गये और रु0 196.60 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इन कार्यों में से एक कार्य लागत रु0 223.97 लाख अन्य योजना में स्वीकृत पाये जाने की स्थिति में निरस्त कर दिया गया। दो कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा एक कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण किये जाने हेतु समय सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद संत कबीरनगर के अनेकों ग्रामों तक प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि से कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

18-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे जनपद-संत कबीरनगर के ग्राम-मोलनापुर से ग्राम पिड़ारी तथा ग्राम कड़सर से ग्राम झकही चक बेल्डूहा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में धन स्वीकृत किया गया था ? यदि हां तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त सड़क का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अभी तक लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण न कराये जाने के लिये कौन-कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

19-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[दिनांक 11-7-2007 को अता0प्र0सं0-71 द्वारा उत्तरित]

श्री आर0 ए0 उस्मानी स0 वि0 सभा द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु दो गनर उपलब्ध कराये जाने की मांग

20-डा0 आर0ए0 उस्मानी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा स्वयं की सुरक्षा हेतु दो गनर दिये जाने की मांग की गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त गनर कब तक उपलब्ध करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं।

(एतद्विषयक कोई भी पत्र अभिलेखानुसार प्राप्त नहीं हुआ है।)

प्रश्न नहीं उठता।

झांसी जल संस्थान में रिक्त पदों पर नियुक्तियां

21-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जल संस्थान में अनेकों पद रिक्त होने के कारण झांसी नगर में जलापूर्ति बाधित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

झांसी डिवीजन जल संस्थान में कतिपय पद रिक्त अवश्य हैं किन्तु झांसी नगर में जलापूर्ति बाधित नहीं है। झांसी नगर में अधिशासी अभियन्ता की तैनाती कर दी गयी है तथा जल संस्थान में रिक्त पदों के विरुद्ध 03 अवर अभियंताओं की भी तैनाती कर दी गयी है।

जनपद रायबरेली में फायर स्टेशनों की संख्या एवं तहसील मुख्यालय महाराजगंज में फायर स्टेशन खोलने की मांग

22-श्री राजाराम त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में कितने फायर स्टेशन स्थापित हैं ? क्या उक्त जनपद के महराजगंज तहसील मुख्यालय पर फायर स्टेशन खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

रायबरेली जनपद में क्रमशः रायबरेली, सलोन, लालगंज, तिलोई एवं जायस नगर पालिका में कुल 05 फायर स्टेशन स्थापित हैं। डलमऊ में सीजनल अग्निशमन व्यवस्था की जाती है।

प्रदेश के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत आवश्यकता के अनुरूप ही प्रश्नगत स्थान पर नये अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

जनपद रायबरेली में गत वर्ष हुये अपराधों की संख्या वि0 सभा क्षेत्र बछरावां में हुई घटनायें एवं इसे रोकने की मांग

23-श्री राजाराम त्यागी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-रायबरेली में वर्ष 2006-07 में कितनी हत्याएं, डकैती और अपहरण की घटनाएं हुयीं ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त अवधि में रायबरेली जनपद के बछरावां वि0 सभा क्षेत्र में कितनी हत्याएं, डकैती और अपहरण की घटनाएं हुयीं ? क्या इन अपराधों को देखते हुए उन्हें रोकने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

वर्ष 2006-07 की अवधि में जनपद-रायबरेली में घटित घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

	वर्ष 2006	वर्ष 2007
हत्या	49	31
डकैती	--	--
अपहरण (अन्य)	34	24
अपहरण (फिरौती)	01	--

उक्त अवधि में जनपद-रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत 6 हत्यायें एवं 2 अपहरण की घटनायें घटित हुई। अपराधों की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एस0 ओ0 जी0) का गठन किया गया है, जो जघन्य अपराधों को रोकने एवं उनको अनावरण करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है।

कानपुर गंगा ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने की जानकारी

24-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर स्थित गंगा ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत स्थापित सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

कानपुर नगर में गंगा ऐक्शन प्लान के अन्तर्गत 3 शोधन संयंत्र कुल क्षमता 171 एम0 एल0 डी0 निर्मित हैं। वर्तमान में कम्बाइन्ड सीवेज पम्पिंग स्टेशन पर 90 एम0 एल0 डी0 घरेलू उत्प्रवाह तथा 9 एम0 एल0 डी0 टेनरी उत्प्रवाह ही प्राप्त हो रहा है जिसे पूर्णतया शोधित किया जा रहा है।

जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज के परिक्रमा मार्ग पर समुचित प्रकाश व्यवस्था कराने की मांग

25-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज के परिक्रमा मार्ग में अन्धेरा होने पर श्रद्धालुओं को परिक्रमा करते समय कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त परिक्रमा मार्ग पर समुचित प्रकाश व्यवस्था करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा गोवर्धन गिरिराज का परिक्रमा मार्ग लगभग 21 कि0मी0 है, जिसमें से लगभग 04 कि0मी0 मार्ग गोवर्धन नगर पंचायत क्षेत्र में तथा 01 कि0मी0 मार्ग राधाकुण्ड नगर पंचायत क्षेत्र में पड़ता है इस क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था उक्त दोनों नगर पंचायतों द्वारा की गयी है। शेष मार्ग उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र व राजस्थान में पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र के मार्ग पर जिला प्रशासन द्वारा समन्वय कर कतिपय स्वैच्छिक संस्थाओं से समुचित अस्थायी प्रकाश व्यवस्था करायी जाती है। साथ ही परिक्रमा मार्ग में आवास एवं दुकानें भी बनी हुई हैं, जिनके माध्यम से भी मार्ग पर प्रकाश रहता है।

जनपद गोरखपुर महानगर स्थित बन्द पड़े तारामण्डल को पुनः प्रारम्भ किये जाने की मांग

26-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर स्थित तारामण्डल बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों और इसे पुनः प्रारम्भ किये जाने के सन्दर्भ में शासन द्वारा क्या नीति निर्धारित की गयी है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सुधीर कुमार गोयल)-

जी हां।

गोरखपुर तारामण्डल में स्थापित वातानुकूलित उपकरण (ए0सी0) की एक यूनिट में आई खराबी से ए0 सी0 प्लाण्ट द्वारा निर्धारित तापमान (17 से 27 डिग्री सेन्टीग्रेट) नियंत्रित न कर

पाने एवं तत्समय स्थापित वातानुकूलित उपकरण के कम क्षमता का होने के कारण तारामण्डल के शो का संचालन बन्द है।

कार्यदायी संस्था गोरखपुर विकास प्राधिकरण का यह दायित्व था कि वे निर्माण कार्यों एवं मशीनों आदि का सुचारु रूप से संचालन सुनिश्चित करते। तद्नुसार ही गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तारामण्डल का संचालन शुरू किया गया था। उनसे ही जानकारी की जा रही है कि तकनीकी दृष्टि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा छोड़ी गयी किन ख़ामियों के कारण गारण्टी अवधि समाप्ति से पूर्व मात्र कुछ माह में ही ए0 सी0 प्लाण्ट में खराबी कैसे आ गयी तथा स्थापित ए0 सी0 उपकरण कम क्षमता वाले कैसे हो गये। वांछित सूचना प्राप्त होने व दायित्व निर्धारण की कार्यवाही के साथ-साथ तारामण्डल के संचालन हेतु वांछित धनराशि की व्यवस्था की जायेगी तथा उक्त व्यवस्था होने पर तारामण्डल के शो का पुनः प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

बौद्ध परिपथ क्षेत्र में स्थित गोरखपुर रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण तथा इसमें वाटर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स विकसित करने की मांग

27-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन के विकास की दृष्टि से बौद्ध परिपथ (लुम्बिनी-कुशीनगर-सारनाथ) के केन्द्र में स्थित 1700 एकड़ के क्षेत्र में फैली गोरखपुर रामगढ़ ताल झील के सौन्दर्यीकरण तथा इसमें वाटर-स्पोर्ट्स काम्पलेक्स विकसित करने के सन्दर्भ में क्या शासन विचार करेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इसे मैत्रेय परियोजना (गोरखपुर मण्डल अन्तर्गत) से सम्बद्ध करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

संप्रति पर्यटन विभाग द्वारा रामगढ़ताल झील में वाटर स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स का निर्माण रु0 60.68 लाख की लागत से कराया गया है। जिसके अन्तर्गत कनेक्टिंग ब्रिज, प्लेटफार्म, जेटी, रेस्टोरेण्ट एवं वाह्य विद्युत संयोजन के कार्य कराये जा चुके हैं।

मैत्रेय परियोजना, मैत्रेय प्रोजेक्ट ट्रस्ट द्वारा क्रियान्वित की जानी है और कुशीनगर विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत है। गोरखपुर शहर निकटतम शहर होने से पर्यटक स्वाभाविक रूप से दोनों को देखेंगे।

प्रदेश में गत वर्ष पुलिस हिरासत में हुई मौतों व इसमें दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण के साथ पुलिस आयोग/विशेष न्यायालय गठन करने की मांग

28-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में 01-01-2006 से 30-4-2007 तक पुलिस हिरासत में कितनी मौतें हुई और इस सम्बन्ध में कितने पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई ? इस सम्बन्ध में निलम्बित पुलिस कर्मियों की निलम्बन अवधि, न्यूनतम एवं

अधिकतम कितनी थी ? क्या सरकार पुलिस हिरासत में होने वाली मौत का स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने हेतु किसी पुलिस आयोग के गठन पर विचार करेगी ? उक्त से सम्बन्धित वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु क्या सरकार फास्ट ट्रेक कोर्ट की तर्ज पर विशेष न्यायालय के गठन पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-1-06 से 30-4-07 तक पुलिस हिरासत में 08 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उक्त 08 व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में 02 निरीक्षक, 9 उपनिरीक्षक, 1 हेड कां0 व 25 आरक्षियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर उन्हें निलम्बित किया गया है। 01 उप निरीक्षक को सेवाच्युत किया गया। 01 निरीक्षक, 01 उप निरीक्षक को 10 दिन के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड एवं आरक्षियों को एक माह के वेतन के समतुल्य अर्थदण्ड दिया गया। निलम्बन की न्यूनतम अवधि 14 दिन व अधिकतम अवधि 08 माह थी।

पुलिस अभिरक्षा में हुई मौतों का संज्ञान लेकर जांच कराने हेतु पुलिस आयोग के गठन एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर विशेष न्यायालय के पृथक से गठन की विद्यमान व्यवस्था में आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश की जेलों, उसकी क्षमता के विरुद्ध निरुद्ध कैदियों का विवरण तथा केन्द्र व राज्य सरकार की संस्तुतियों को लागू करने की मांग

29-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में सेन्ट्रल जेल, आदर्श कारागार, जिला जेल, उप कारागार व महिला कारागार की संख्या कितनी है ? इनमें से कैदियों की अलग-अलग क्षमता कितनी है तथा इनमें कितने कैदी निरुद्ध हैं ? विगत दस वर्षों में कितने नये कारागारों का निर्माण किया गया है ? कारागारों की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के स्तर पर कोई अध्ययन किया गया ? यदि हां, तो उनकी संस्तुतियां क्या थीं और क्या उन संस्तुतियों को प्रदेश में लागू किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

वर्तमान में प्रदेश में 05 सेन्ट्रल जेल, 01 आदर्श कारागार, 50 जिला कारागार, 03 उप कारागार, 01 नारी बन्दी निकेतन तथा 01 किशोर सदन बरेली है। इसमें कैदियों की क्षमता व निरुद्ध बन्दियों का विवरण दिनांक 31-05-07 के अनुसार निम्नवत् है :-

क्र0सं0	कारागार	क्षमता	निरुद्ध बंदियों की संख्या		योग
			सिद्धदोष	वि0 धीन	
1	05 सेन्ट्रल जेल	5974	10532	1841	12373
2	01 आदर्श कारागार	406	254	--	254

3	50 जिला कारागार	29677	4427	47403	55130
4	03 उप कारागार	404	76	622	698
5	01 नारी बन्दी निकेतन	90	155	--	155
6	01 किशोर सदन बरेली	188	16	--	16
योग	61	36739	18760	49866	68626

विगत दस वर्षों में 06 कारागारों का निर्माण क्रमशः जिला कारागार, मऊ, सिद्धार्थनगर, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, गाजियाबाद एवं बुलन्दशहर के निर्माण के पश्चात् कुल 4320 बन्दी क्षमता की वृद्धि हुई।

जी हां।

केन्द्र व राज्य सरकार के स्तर पर अध्ययन किया गया, जिसके आधार पर केन्द्र पुरोनिधानित कारागार आधुनिकीकरण योजना 2002-07 के अन्तर्गत 75 प्रतिशत केन्द्राश एवं 25 प्रतिशत राज्यांश को मिलाकर कुल 231.25 करोड़ की योजना की स्वीकृत की गयी, जिसके अन्तर्गत नई कारागारों का निर्माण, वर्तमान कारागारों का विस्तार/नवीनीकरण/जीर्णोद्धार, कार्मिकों के लिये आवासों का निर्माण एवं पेयजल तथा स्वच्छता सम्बन्धी कार्य किये गये, जिसके सापेक्ष 06 नवसृजित जनपदों क्रमशः कौशाम्बी, सोनभद्र, महाराजगंज, बलरामपुर, कन्नौज, बागपत एवं जनपद लखनऊ में मध्यम सुरक्षा कारागार लखनऊ का निर्माण कार्य स्वीकृत है।

प्रदेश में विचाराधीन व निरुद्ध कैदियों की संख्या व उनके रिहाई के सम्बन्ध में जानकारी

30-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में 30 अप्रैल, 2007 को कितने विचाराधीन कैदी थे ? इनकी न्यूनतम एवं अधिकतम निरुद्धि की अवधि कितनी है ? क्या सरकार विचाराधीन कैदियों को शीघ्र रिहाई के लिए कोई कार्य योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

उ0 प्र0 की समस्त कारागारों में दिनांक 30 अप्रैल, 2007 तक कुल 47424 विचाराधीन बंदी निरुद्ध थे।

इन विचाराधीन बंदियों की न्यूनतम निरुद्धि अवधि 01 दिन तथा अधिकतम निरुद्धि अवधि 10 वर्ष 08 माह 07 दिन है।

विचाराधीन बंदी न्यायिक अभिरक्षा में कारागारों में निरुद्ध किये जाते हैं, जिनकी रिहाई सक्षम मा0 न्यायालयों के आदेशों के अन्तर्गत की जाती है। ऐसे विचाराधीन बंदियों के वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रदेश की कारागारों में माह में एक या दो बार लोक अदालतों का आयोजन करके उनकी रिहाई की जाती है। इसके अतिरिक्त अत्यन्त निर्धन विचाराधीन बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराकर, उनके वादों का त्वरित निस्तारण कराकर उन्हें कारागारों से मुक्त किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

मलिहाबाद की नफीस नर्सरी द्वारा उपलब्ध कराये गये पौधों का भुगतान कराये जाने की मांग

31-श्री सुल्तान बेग-

विधान सभा के प्रथम सत्र-2007 के दूसरे सोमवार हेतु निर्धारित मा0 श्री कौशल किशोर, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-18 के उत्तर के क्रम में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नफीस नर्सरी मलिहाबाद द्वारा विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में उपलब्ध कराये गये पौधे के मात्र ग्राम पंचायत वार बिल पंचायतों को उपलब्ध नहीं कराये गये जिसके कारण भुगतान नहीं हो सका तथा अब नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर के पत्र संख्या 4159/दिनांक 20-2-2007 के क्रम में पुनः पत्र संख्या-58/2007, दिनांक 30-5-2007 को विकास खण्डवार की 38 ग्राम पंचायतों के बिल तथा पत्र संख्या 60/2007, दिनांक 02-06-2007 को विकास खण्ड तालबेहट की 45 ग्राम पंचायतों के बिल तथा पत्र संख्या 58/2007, दिनांक 31-5-2007 को विकास खण्ड महरौनी की 48 ग्राम पंचायतों के बिल तथा पत्र संख्या 57/2007, दिनांक 30-5-2007 विकास खण्ड जखौरा की 26 ग्राम पंचायतों के बिल पुनः मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर के द्वारा उपरोक्त विकास खण्डों के माध्यम से ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो चुके हैं ? यदि हां, तो क्या संस्था को भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

जी हां।

नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ के पत्र सं0-58/2007 दिनांक 31-5-07 के द्वारा विकास खण्ड महरौनी की 32 ग्राम पंचायतों के बिल प्राप्त हुये थे जो मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय पत्र सं0-292-ए/दिनांक 31 मई, 2007 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी महरौनी को प्रेषित किये गये।

नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ के पत्र सं0-57/2007 दिनांक 30-5-07 के द्वारा विकास खण्ड जखौरा के 26 ग्राम पंचायतों के बिल प्राप्त हुये जो मुख्य विकास अधिकारी पत्र सं0-295-1 दिनांक 2 जून, 07 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी जखौरा प्रेषित किये गये। नफीस नर्सरी मुजाफा मलिहाबाद लखनऊ के पत्र सं0-58/दिनांक 30-5-07 के द्वारा विकास खण्ड बार के 38 ग्राम पंचायतों के बिल प्राप्त हुये जो कार्यालय पत्र सं0-325

दिनांक 6-6-07 के द्वारा खण्ड विकास अधिकारी/कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किये गये। विकास खण्ड तालबेहट के बिल मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुये हैं।

जी नहीं।

भुगतान की कार्यवाही प्रगति पर है।

32-डा0 धर्मपाल सिंह

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-43 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद डार्क घोषित विकास खण्डों में खारे पानी की समस्या से ग्रस्त ग्रामों में पेयजल योजना हेतु निर्धारित लक्ष्य

33-डा0 अनिल चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस जनपद की तहसील सादाबाद के डार्क घोषित विकास खण्ड सादाबाद व सहपऊ में खारे पानी की समस्या से ग्रस्त ग्रामों में क्या कोई पेयजल योजना क्रियान्वित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-हाथरस की तहसील-सादाबाद की डार्क घोषित विकास खण्ड-सादाबाद एवं सहपऊ में 07 ग्रामों को गुणता प्रभावित ग्रामों के रूप में चिन्हित किया गया है। भारत निर्माण योजनान्तर्गत उक्त चिन्हित गुणता प्रभावित ग्रामों को वर्ष 2008-09 तक लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इनमें से 02 ग्रामों जटोई तथा महचौली की पाइप पेयजल योजनायें निर्माणाधीन हैं। 04 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के प्राक्कलन का कार्य प्रगति पर है। 01 ग्राम में गहरे हैण्डपम्प से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद मथुरा में गिरिराज महाराज की परिक्रमा मार्ग की कठिनाइयों को दूर करने की मांग

34-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गिरिराज महाराज की परिक्रमा मार्ग में प्राइवेट कम्पनी तीर्थ विकास ट्रस्ट द्वारा पूरे परिक्रमा मार्ग में सौन्दर्यीकरण के नाम पर ग्राम सभा की जमीनों पर कब्जा एवं परिक्रमा मार्ग में हरे पेड़ों के चारों तरफ गोल बाउन्ड्री तथा गिरिराज पर्वत की तरफ लोहे की वेरीकेटिंग कर दी गयी है जिससे आने वाले दर्शनार्थियों को परिक्रमा लगाने में भारी कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जा हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जनपद मथुरा में गिरिराज महाराज की परिक्रमा मार्ग में प्राइवेट कम्पनी तीर्थ विकास ट्रस्ट द्वारा ग्राम सभा की भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया गया है। गोवर्धन में कुछ स्वयंसेवी

संस्थाओं जैसे तीर्थ विकास ट्रस्ट, सिद्ध सिद्धान्त एकेडमी, वंशीवट आश्रम द्वारा परिक्रमा मार्ग तथा नगर में व्यवस्थायें बनाने के लिये सहायता की जाती है। इसी व्यवस्था में तीर्थ विकास ट्रस्ट द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु परिक्रमा मार्ग में सड़क के दाहिनी ओर मिट्टी का पाथवे विकसित किया गया है जिस पर श्रद्धालु नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा पथ पर करीब 02 कि0मी0 तक लोहे की जाली लगायी गयी है, जिससे तलहटी में लगे वृक्षों की सुरक्षा की जा सके। संस्था द्वारा अन्य धार्मिक कार्य जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, परिक्रमा मार्ग का सफाई व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था में सहयोग आदि किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा के गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने आये गोवर्धन में श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली रोकने की मांग

35-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने गोवर्धन में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं जिनसे गोवर्धन में आने पर पार्किंग के नाम पर नगर पंचायत गोवर्धन द्वारा अवैध वसूली की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध वसूली पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने हेतु आने वाले श्रद्धालुओं से पार्किंग स्थल पर वाहन खड़ा करने पर निर्धारित पार्किंग फीस/वाहन शुल्क वसूल किया जाता है। नगर पंचायत में किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

36-श्रीमती कृष्णा राज-

[3सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के ग्राम पटई में श्री इतवारी लाल पुत्र श्री अंगने लाल की मृत्यु में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

37-श्री मिथिलेश कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र पुवायां के ग्राम पटई में इतवारी पुत्र अंगने को ग्राम के ही राम राखन द्वारा दिनांक 25 मई, 07 को पीटा गया जिससे उसकी उसी दिन मृत्यु हो गयी तथा स्थानीय थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी ? क्या सरकार रिपोर्ट दर्ज कराकर विपक्षीगण के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 28-5-07 को वादी श्री नन्हें लाल पुत्र श्री नत्थू लाल निवासी, ग्राम पटई, थाना पुवायां, जनपद शाहजहांपुर द्वारा थाना पुवायां पर सूचना दर्ज करायी गयी कि दिनांक 25-5-07 को उसके ताऊ इतवारी लाल पुत्र श्री अंगने लाल अपने घर पर मरे पड़े हुए थे यह भी सूचित किया गया कि उसी गांव के राम राखन लाल शुक्ला पुत्र श्री पुत्तू लाल तथा उसके पुत्र नीरज ने श्री इतवारी लाल की लाठी-डण्डों से मारा था। उक्त सूचना के आधार पर थाना पुवायां पर मु0अ0सं0 136/07 धारा 304 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी ऐक्ट बनाम राम राखन लाल शुक्ला पुत्र पुत्तू लाल शुक्ला, नीरज पुत्र राम राखन लाल शुक्ला उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त नीरज को दिनांक 15-6-07 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा अभियुक्त राम राखन लाल शुक्ला की धारा 82 द0प्र0सं0 की तामील दिनांक 3-7-07 को की जा चुकी है। अभियुक्त राम राखन लाल शुक्ला की तत्काल गिरफ्तारी कर अभियोग के विस्तारण हेतु विवेचक को आवश्यक निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गत वर्षों में सड़क निर्माण में व्यय धनराशि का विवरण

38-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2005-06, 2006-07 में कितनी सड़कों का नव निर्माण किया गया उस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी और पुरानी सड़कों से निकाले गये पत्थरों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? उसका विवरण क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद झांसी के नगर निगम में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन भुगतान कराये जाने की मांग

39-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि झांसी नगर निगम में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों का वेतन शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम है ? यदि हां, तो कितना और क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

शासनादेश दिनांक 26 अगस्त, 2005 के अन्तर्गत संविदा के आधार पर नियोजित स्वच्छकारों का पारिश्रमिक रु0 2130/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। नगर निगम, झांसी में संविदा के आधार पर कार्यरत स्वच्छकारों को उक्त दरों के अनुसार ही मासिक पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है। अतः शासन द्वारा निर्धारित दर से कम पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सचिवालय के समीक्षा/सहायक समीक्षा अधिकारी को अनुभाग अधिकारी की भांति निःशुल्क समाचार-पत्र उपलब्ध कराये जाने का कथित प्रकरण

40-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सचिवालय में कार्यरत समीक्षा अधिकारियों एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों को अनुभाग अधिकारियों की भांति निःशुल्क समाचार-पत्र उपलब्ध कराने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के आयुर्वेदिक कालेजों के मानक पूर्ण कराने एवं सी0 सी0 आई0 एम0 से मान्यता दिलाये जाने की नीति सम्बन्धी जानकारी

41-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के आयुर्वेदिक कालेजों के मानक पूर्ण कराने और सी0 सी0 आई0 एम0 से मान्यता दिलाने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

सी0सी0आई0एम0 के मानकों को पूर्ण करने के लिये प्रथम चरण में आयुर्वेदिक कालेजों में 13 विभाग और यूनानी कालेज में 12 विभाग सृजित किये जाने हेतु आवश्यक पदों की व्यवस्था की जानी है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2006-07 में विभिन्न संवर्ग के 638 शैक्षणिक व 827 शिक्षणेत्तर कुल 1465 पद सृजित किये गये हैं। शैक्षणिक पदों पर नियमानुसार नियुक्ति हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किये जा चुके हैं। सृजित शिक्षणेत्तर पदों पर भी शीघ्र नियमानुसार नियुक्ति सुनिश्चित की जायेगी। द्वितीय चरण में मानकानुसार राजकीय आयुर्वेदिक एवं

यूनानी कालेजों में आवश्यक भवन निर्माण, साज-सज्जा एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की व्यवस्था वर्तमान पंचवर्षीय योजना काल में चरणबद्ध ढ़ंग से सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

42-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-45 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आगरा शहर के मलिन बस्तियों के विकास की कार्य योजना एवं इसमें कराये गये कार्यों की जानकारी

43-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में शहरी मलिन बस्तियों के विकास की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इन योजनाओं में कौन-कौन से विकास कार्य कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री यशवंत सिंह)-

जी हां।

आगरा शहर की मलिन बस्तियों के विकास हेतु जवाहर लाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन योजना लागू है।

भारत सरकार से अनुमोदन एवं योजना की शर्तों के अधीन उल्लिखित घटकों-जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, साइड वर्क्स मैनेजमेन्ट, पर्यावरण अर्बन रिन्यूवल, भवन निर्माण, स्ट्रीट लाइट, सामुदायिक केन्द्र सामुदायिक शौचालय आदि कार्य कराये जाने है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सचिवालय में गत वर्ष में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के सापेक्ष हुई नियुक्तियों की जांच की मांग

44-श्री आर0 पी0 एन0 सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय में 2005-2006 में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त एवं स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियां की गई हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उन नियुक्तियों में अन्य आरक्षित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जनपद वाराणसी नगर में पेयजल की समस्या के निराकरण की मांग

45-श्री हाजी अब्दुल समद अंसारी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी नगर में पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न होने से नागरिकों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी नगर में पेयजल की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर में नदी जल श्रोत से एवं नगर में अधिष्ठापित नलकूपों एवं मिनी नलकूपों से विद्युत उपलब्धता के अनुसार सामान्य जलापूर्ति की जा रही है। वाराणसी शहर की पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु जेएनएनयूआरएम के अन्तर्गत जल निगम द्वारा रु0 381.82 करोड़ की योजना तैयार की गयी है। भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर उक्त योजना के तहत कार्य प्रारम्भ होने के 3 वर्ष के अन्दर पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण होने का प्राविधान है।

जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर की निर्माणाधीन सीवर लाइन को समय से पूर्ण कराने की मांग

46-श्री लल्लू सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के अयोध्या नगर की निर्माणाधीन सीवर लाइन को समयबद्ध सीमा के अन्तर्गत पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश (वर्ष 2000-01) के अन्तर्गत स्वीकृत अयोध्या जलोत्सारण योजना फेज-1, ए रु0 393.80 लाख की है। उक्त योजना की अवशेष धनराशि रु0 53.555 लाख लोक निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जानी है। अवशेष धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त 6 माह के अन्दर समस्त कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के विकास खण्ड पसगवां में ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत गत वर्ष में सड़कों के निर्माण तथा आवंटित धनराशि सम्बन्धी जानकारी

47-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी (लखीमपुर खीरी) के अन्तर्गत विकास खण्ड पसगवां में ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत किन-किन सड़कों के निर्माण हेतु कुल कितना धन वर्ष 2006-07 में आवंटित हुआ ? क्या स्वीकृत सड़कों का कार्य पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी (लखीमपुर खीरी) के विकास खण्ड पसगवां में निम्नलिखित सड़कों पर वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल 4.80 लाख रुपये की धनराशि आवंटित हुई थी :-

1-राष्ट्रीय मार्ग-24 से रतनपुर मार्ग

2-मोइद्दीनपुर से सुनौरिया मार्ग

3-सिसौरा नासिर से नयागांव जाट मार्ग

उपर्युक्त मार्गों में से क्रमांक-1 व 2 पर इंगित मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। क्रमांक-3 पर इंगित मार्ग का निर्माण प्रगति पर है।

चित्रकूट धाम मुख्यालय में मेडिकल कालेज खोलने सम्बन्धी जानकारी

48-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चित्रकूट धाम मुख्यालय में वर्तमान वित्तीय वर्ष में मेडिकल कालेज खोलने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कालेज, झांसी पूर्व से स्थापित है। इसके अतिरिक्त उरई (जालौन) में राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है। वर्तमान में चित्रकूट मुख्यालय पर राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज खोले जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

49-डा0 धर्मपाल सिंह-

[दिनांक 11-7-2007 को अता0 प्र0 सं0-69 द्वारा उत्तरित।]

जनपद बलिया के ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में विगत दस वर्षों से कार्यरत लिपिकों के स्थानान्तरण की मांग

50-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बलिया में कितने लिपिक विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत ऐसे कर्मियों का अन्यत्र स्थानान्तरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रंगनाथ मिश्र)-

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा बलिया में 09 (नौ) लिपिक विगत 10 वर्षों से कार्यरत हैं।

स्थानान्तरण नीति के अनुसार उक्त लिपिकों को जनपद बलिया से तत्काल अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा दिनांक 03-07-2007 को अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, परिमण्डल-वाराणसी को निर्देशित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महराजगंज की बभनौली से नगरपंचायत हनुमान गढ़ी तक जाने वाली सड़क का निर्माण

51-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि महराजगंज जनपद की बभनौली से नगर पंचायत महराजगंज (हनुमान गढ़ी) तक जाने वाली सड़क को पिच करने का प्रकरण विभाग में छः माह से लम्बित है ? यदि हां, तो अब तक धन अवमुक्त न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार धन अवमुक्त करके सड़क निर्माण प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जनपद से हनुमान गढ़ी-पडरी-बभनौली मार्ग के नाम से सड़क निर्माण का प्रस्ताव नियोजन विभाग को प्राप्त हुआ था, इस कार्य के आगणन में मार्ग की लम्बाई 9 कि0मी0 इंगित की गई, जिसमें एक कि0मी0 में पी0सी0 का कार्य तथा शेष 8 कि0मी0 में क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण किये जाने का प्राविधान किया गया था। प्रश्नगत मार्ग का त्वरित आर्थिक विकास योजना में स्वीकृत करने हेतु चयन नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

52-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

[दिनांक 13-7-2007 को अता0 प्र0 सं0-35 द्वारा उत्तरित।]

लखनऊ जल संस्थान की गलत पड़ी सीवर लाइन की ग्रेडियंट विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

53-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जल संस्थान के अन्तर्गत यदुनाथ सान्याल वार्ड की सीवर लाइन की ग्रेडियंट विषयक अधिशासी अभियंता जोन-1 नगर निगम का पत्र सं0 1325/ई0-1/पी0सी0-6 दिनांक 13-12-2006 जिसमें गलत पड़े सीवर लाइन को ठीक करने हेतु महाप्रबन्धक जल संस्थान, लखनऊ एवं डूडा को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

कार्यस्थल का निरीक्षण दि0 22-12-06 को दो अवर अभियंताओं से कराया गया। डाली गयी सीवर लाइन की ढाल (ग्रेडियंट) सही है। डाली गयी सीवर लाइन के मेनहोल कहीं भी ओवरफ्लो नहीं कर रहे थे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के फूलबाग नाले की सफाई व पानी बैक फ्लो विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

54-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत नाले के भराव तथा सीवर लाइन का पानी बैक फ्लो होने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी का पत्र दिनांक 19-3-2007 जो नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त प्रथम नगर स्वास्थ्य अधिकारी, उ0 प्र0 जल संस्थान, लखनऊ को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में उठाये गये विषय पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगर निगम लखनऊ के अभियंत्रण विभाग द्वारा फूलबाग नाले की सफाई प्रारम्भ कर दी गयी है। सफाई कार्य प्रगति पर है, जो 10 दिन में पूर्ण हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम के यदुनाथ सान्याल वार्ड रिसालदार पार्क के जीर्णोद्धार विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

55-श्री विद्या सागर गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम के अन्तर्गत यदुनाथ सान्याल वार्ड रिसालदार पार्क के जीर्णोद्धार हेतु श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र

दिनांक 20-11-2006 जो नगर प्रमुख/नगर आयुक्त, लखनऊ नगर निगम को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा रु0 1027954/- का आगणन तैयार किया गया है, जिस पर नगर निगम, लखनऊ के सदन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची पुनरीक्षित कर प्रख्यापित करने की मांग

56-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों की अंतिम ज्येष्ठता सूची वर्ष 1993 में प्रख्यापित की गयी थी ? क्या यह सही है कि तत्पश्चात् समीक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति से काफी संख्या में नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो क्या समीक्षा अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची पुनरीक्षित की गयी है ? यदि नहीं, तो ज्येष्ठता सूची कब तक पुनरीक्षित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दो रिट याचिकाओं क्रमशः रिट याचिका संख्या-727(एस/एस)/2000 में पारित आदेश, दिनांक 24-4-2000 एवं रिट याचिका संख्या-2750(एस/एस)/2007 में पारित आदेश, दिनांक 14-5-2007 के प्रकाश में विधिक राय प्राप्त की जा रही है। विधिक राय के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जनपदों में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में वृक्षारोपण कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

57-श्री सुल्तान बेग-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आपको प्रेषित पत्रांक 788/2007, दिनांक 18-06-07 जोकि उत्तर प्रदेश के 39 जनपदों में संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 में वृक्षारोपड़ कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नगर निगम एवं नगर पालिकाओं में आबादी के हिसाब से सफाई कर्मचारी नियुक्ति करने के अन्तर्गत कानपुर नगर निगम से मानकों के अनुरूप नियुक्ति करने की मांग

58-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगमों एवं नगर पालिकाओं में कितनी आबादी पर कितने सफाई कर्मचारी नियुक्त करने का प्राविधान है ? क्या कानपुर नगर निगम सीमा अन्तर्गत सफाई कर्मचारियों की संख्या मानकों के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

पब्लिक हेल्थ मैनुअल के अनुसार 10000 की आबादी पर 28 सफाई कर्मचारी रखे जाने का प्राविधान है।

नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त नागर स्थानीय निकाय स्वतन्त्र सवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। वे अपने कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए उनका निर्वहन राज्य सरकार के राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि एवं अपने निजी स्रोतों एवं संसाधनों से प्राप्त आय से करते हैं। नागर स्थानीय निकायों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

जनपद कानपुर के लवकुश गंगा बैराज स्थित जल शोधन संयंत्र का उपयोग पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

59-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर, लवकुश गंगा बैराज स्थित 200 एम0 एल0 डी0 जल शोधन संयंत्र का पूरा उपयोग कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

कानपुर नगर के पश्चिमी क्षेत्र की जलापूर्ति हेतु लवकुश गंगा बैराज स्थित 200 एम0एल0डी0 जल शोधन संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कर चालू कर दिया गया है परन्तु वर्तमान मांग के अनुसार उक्त क्षेत्र में 50 एम0एल0डी0 की जलापूर्ति की जा रही है। योजना में प्रस्तावित मांग के अनुसार सामान्य उपभोक्ताओं एवं बल्क कन्ज्यूमर्स को जल संयोजन, जल संस्थान द्वारा दिये जाने के उपरान्त ही 200 एम0एल0डी0 पेयजल का उपयोग हो सकेगा।

तारांकित प्रश्न

नत्थी 'ग'

(दिनांक 16 जुलाई, 2007 के लिए निर्धारित प्रश्न)

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[4थे शुक्र0 के तारां0 प्र0 सं0-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोमती नदी को प्रदूषण से मुक्त करने तथा गहरा कर तल की सफाई करने की कार्य योजना की जानकारी

*2-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये तथा गोमती नदी को गहरा करने एवं तल से सफाई करने की कोई कार्य योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने की कार्य योजना बनायी जा रही है।

गोमती नदी को गहरा करने एवं तल से सफाई करने की कोई कार्य योजना विचाराधीन नहीं है।

गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिये लखनऊ नगर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन है। स्वीकृतोपरान्त योजना बनायी जायेगी।

सुल्तानपुर एवं जौनपुर नगरों के अवशेष कार्यों की कार्य योजना बनायी जा रही है, दिसम्बर, 2007 तक कार्य योजना भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित कर दी जायेगी।

नदियों को गहरा करने एवं तल से सफाई करने (डिसिल्टिंग) का कार्य आर्थिक एवं तकनीकी दृष्टि से कराया जाना औचित्य पूर्ण नहीं है।

प्रदेश के नगर निगमों में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का सृजन/तैनाती

*3-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों में स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पदों का सृजन एवं तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उ0प्र0 के नगर निगमों में स्टाफिंग पैटर्न के मापदण्ड निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्राम चौकीदारों को शस्त्र लाइसेन्स देने के निर्देश

*4-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के चौकीदारों को शस्त्र लाइसेन्स देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसको कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं। प्रदेश के ग्राम चौकीदारों द्वारा शस्त्र लाइसेन्स का आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर उनकी मांग के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत करने हेतु समस्त जिलाधिकारियों को शासनादेश संख्या-3060पी/छः-6-06-1860/81, दिनांक 5-1-2007 द्वारा निर्देश प्रदान किये जा चुके हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निकायों में उप महापौर/उपाध्यक्ष का चुनाव कराये जाने की मांग

*5-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के नगर निकायों में उप महापौर/उपाध्यक्ष का चुनाव सरकार कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या इस चुनाव में आरक्षण की भी व्यवस्था होगी ? यदि हां, तो आरक्षण का आधार क्या होगा ? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में थाना स्तर पर जांच अधिकारी नियुक्त करने की मांग

*6-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में थाना स्तर पर अपराधों की निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित करने हेतु थाने पर स्वतंत्र रूप से एक जांच अधिकारी (इन्वेस्टिगेटिंग

आफिसर) की नियुक्ति पर विचार करेगी जो थाना प्रभारी के नियंत्रण से मुक्त हो ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं।

वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन का कोई औचित्य नहीं है।

जनपद महामायानगर (हाथरस) के नगरपालिका सिकन्दरारऊ की सीमा पर तालाबों में अवैध कब्जा को हटवाने सम्बन्धी जानकारी

*7-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महामायानगर (हाथरस) के नगरपालिका सिकन्दरारऊ की सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2002 तक कितने तालाब अभिलेखों में दर्ज हैं और वर्तमान में उन तालाबों की भौतिक स्थिति क्या है ? क्या सरकार भू-माफियाओं द्वारा तालाबों पर किये गये अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगरपालिका सिकन्दरारऊ की सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2002 तक गाटा सं0-2061 रकबा 0.011 हैक्टेयर, गाटा सं0-1774 रकबा 1.499 है0, गाटा सं0-2176 रकबा 0.046 है0, गाटा सं0-1818 रकबा 0.127 है0 एवं गाटा सं0-1865 रकबा 0.852 है0 कुल 5 किता तालाब/पोखर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।

गाटा संख्या-2061 रकबा 0.011 है0 गाटा संख्या-2176 मि0 रकबा 0.046 है0, गाटा सं0-1818 रकबा 0.127 है0 एवं गाटा सं0-1865 रकबा 0.852 कुल 4 किता तालाब/पोखर मौके पर खाली है तथा सम्बन्धित मुहाल व खेवट में दर्ज जमींदारों के कब्जे में है। गाटा सं0-1774 रकबा 1.499 है0 ग्राम सिकन्दरारऊ जैड0 ए0 में भी दर्ज है। इस गाटा संख्या के खेवट में मा0 मुंसिफ मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीगढ़ के वाद सं0-14/90 में पारित आदेश दि0 20-3-90 के अनुसार सुशील कुमार पुत्र जयनारायण के नाम दर्ज हुआ। तदुपरान्त वाद संख्या-158 एस में पारित आदेश दि0 22-11-03 के आधार पर सुशील कुमार पुत्र जयनारायण के नाम से खारिज होकर द्वारा बैनामा देवेन्द्र यादव पुत्र दाताराम निवासी बिलराम गेट कासगंज, एटा का नाम दर्ज हुआ, जिसे 1411 फसली में उप जिलाधिकारी, सिकन्दरारऊ के आदेश दि0-29-11-03 द्वारा गैर कृषि प्रयोग हेतु घोषित किया गया। मौके पर वर्तमान में इन्हीं का कब्जा है।

उपरोक्त सभी तालाब/पोखर नान0 जेड0ए0/जैड0 ए0 राजस्व अभिलेखों में सम्बन्धित मुहाल एवं खेवट तथा खतौनी में सम्बन्धित जमींदार/भूमिधर के नाम दर्ज है तथा उन्हीं के कब्जे

में है। राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर इन पर कब्जों को अवैध कब्जों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर उक्त तालाबों पर किये गये कब्जों को अवैध कब्जों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के रोकथाम के उपाय

*8-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण में दिनों-दिन वृद्धि होने के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इसकी रोकथाम हेतु क्या रूप रेखा बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नही।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के 11 मुख्य शहरों लखनऊ, कानपुर, आगरा, अनपरा, गजरौला, गाजियाबाद, नोयडा, वाराणसी, फिरोजाबाद में 21 स्थलों पर वायु मण्डल में परिवेशीय वायु गुणता की जांच/अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है वर्ष 2007 (जनवरी से मई) में किये गये जांच एवं अनुश्रवण से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार उक्त सभी स्थलों पर चार प्रचालकों सस्पेण्डेड पार्टीकुलेट मैटर, रिसपरेबिल पार्टीकुलेट मैटर, सल्फर डाईआक्साइड गैस एवं नाइट्रोजन आक्साइड में से दो प्रचालक सल्फर डाई आक्साइड तथा नाइट्रोजन के आक्साइड गैस बोर्ड मानकों के अनुरूप पाये गये केवल सस्पेण्डेड पार्टीकुलेट मैटर एवं रिसपरेबिल पार्टीकुलेट मैटर बोर्ड मानकों से अधिक पाया गया है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश के प्रमुख शहरों में ध्वनि गुणता अनुश्रवण कार्य भी किया जाता है। वर्ष 2007 के औसत आंकड़ों के अनुसार अधिकांश शहरों के आवासीय व्यावसायिक तथा शान्त क्षेत्र के स्थलों पर ध्वनि स्तर दिन एवं रात्रि के समय निर्धारित मानकों से अधिक पाया गया है।

प्रथम चरण में प्रदेश के महानगरों में परिवेशी वायु गुणता सुधार हेतु एक कार्य योजना बनायी गयी है जिसके प्रमुख बिन्दु सी0 एन0 जी0 ईंधन पर आधारित वाहनों का संचालन, लो सल्फर डीजल की आपूर्ति, टूटी आयल की खुली बिक्री पर प्रतिबन्ध, आटोमेटिक सिगलिंग व्यवस्था, पुराने व्यवसायिक वाहनों का शहर सीमा के अन्दर प्रवेश पर रोक लगाया जाना, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं फ्लाई ओवर इत्यादि का निर्माण कराया जाना आदि प्रमुख है। उक्त कार्य योजना पर प्रदेश के महानगरों लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में कार्य योजना के अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में अप्रैल, 2006 से

सी0 एन0 जी0 गैस की आपूर्ति प्रारम्भ हो चुकी है तथा आटो एवं फोर व्हीलर छोटे वाहनों में सी0 एन0 जी0 गैस भरने की सुविधा उपलब्ध है। कार्य योजना का अनुश्रवण मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जा रहा है।

जनपद आगरा में पेयजल समस्या के समाधान हेतु प्रस्तावित योजना

*9-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद में पेयजल समस्या के समाधान तथा पानी में फ्लोराइड की मात्रा नियंत्रित करने के लिए कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददू प्रसाद-

जी हां

जनपद-आगरा में गिरते भूजल स्तर तथा पेयजल में रासायनिक अशुद्धियों की मात्रा नियंत्रित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत भूजल रिचार्ज का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जनपद-आगरा में 114 बस्तियां फ्लोराइड से प्रभावित हैं। जिनमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित हैं :-

1-24 बस्तियों के लिये पाइप पेयजल योजना के आगणन स्वीकृत हैं, इनमें से 4 बस्तियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है।

2-24 बस्तियों हेतु गहरे हैण्डपम्प के आगणन स्वीकृत हैं।

3-14 बस्तियों के आगणन विरचित किये जा चुके हैं।

4-18 बस्तियों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर आगणन विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है

5-34 बस्तियों के सर्वेक्षण एवं आगणन विरचन की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के महानगरों में आबादी एवं क्षेत्रफल के आधार पर स्थायी सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की मांग

*10-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगरों की आबादी एवं क्षेत्रफल को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी सफाई कर्मियों की नियुक्तियों में मानक एवं संख्या में परिवर्तन की कोई नीति शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पब्लिक हेल्थ मैनुअल में मानक निर्धारित है, जो पर्याप्त हैं। साथ ही 74वें संविधान संशोधन के उपरान्त नागर स्थानीय निकाय स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। वे

अपने कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुये उनका निर्वहन राज्य सरकार के राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि एवं अपने निजी स्रोतों एवं संसाधनों से प्राप्त आय से करते हैं। नागर स्थानीय निकायों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है।

जनपद उन्नाव में अधिक फ्लोराइड युक्त पानी की समस्या के निराकरण की योजना

*11-श्री सुन्दर लाल लोधी

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निवारण हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। जनपद उन्नाव में 1427 ग्रामीण बस्तियों के पेयजल श्रोतों में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक (1.50 मि0 ग्रा0 प्रति लीटर) से अधिक पाई गई है।

जनपद-उन्नाव के सभी नगरीय क्षेत्र पेयजल फ्लोराइड अशुद्धि से मुक्त हैं।

मानक से अधिक फ्लोराइडयुक्त जल दीर्घ अवधि तक पीने से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

जनपद उन्नाव की 1193 फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में पाइप पेयजल योजना से तथा 7 बस्तियों में गहरे इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के द्वारा शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। 93 बस्तियों में पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत तथा 5 बस्तियों में गहरे इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। शेष 129 फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना विरचित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

जनपद हाथरस के ग्राम नगला में जल निगम द्वारा बनी पानी की टंकी से सप्लाई न होने में दोषी के विरुद्ध कार्यवाही

1-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जल निगम द्वारा ग्राम नगला आल ब्लाक हंसायन जनपद हाथरस (महामायानगर) में बनी पानी की टंकी से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पानी की सप्लाई समयबद्ध तरीके से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

श्रीनगर ग्राम समूह पेयजल योजना का जलकल परिसर नगला आल में स्थित है। विगत कई माह से विद्युत उपकरण (स्टार्टर) में आई खराबी के कारण जलापूर्ति बाधित रही। जलापूर्ति कई माह तक बाधित रहने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।

योजना के स्टार्टर को बदलकर ग्राम नगला आल में जलापूर्ति चालू कर दी गई है। योजना के अन्य ग्रामों में जलापूर्ति माह जुलाई, 2007 तक चालू किये जाने का लक्ष्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस के सिकन्दराराऊ में जी0 टी0 रोड पर खुले आम मांस बेचने के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

2-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सिकन्दराराऊ (महामायानगर) हाथरस में जी0टी0 रोड पर खुलेआम बकरे, मुर्गियों को काटकर उनका मांस बेचा जा रहा है ? क्या सरकार सार्वजनिक स्थान पर खुली मांस की दुकानों को बन्द करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कुछ निर्धन व्यक्ति सड़क के किनारे कस्बे में अस्थायी रूप से ठेले, खोखे, ढकेल आदि लगाकर सब्जी, फल, मूंगफली एवं बकरे, मुर्गे का गोश्त एवं अन्य सामान बेचने का व्यापार करते हैं। जिसे समय-समय पर पुलिस, प्रशासन एवं नगर पालिका के सहयोग से हटवाया जाता रहा है। दिनांक 07-05-07 एवं 16-05-07 को अभियान चलाकर हटाया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार अभियान चलाकर हटाया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर निगम से सेवानिवृत्त श्री हरिशंकर श्रीवास्तव के चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान कराये जाने की मांग

3-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरीशंकर श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त मोहर्रिर, जोन-5, नगर निगम, कानपुर द्वारा अपनी चिकित्सा पर हुए व्यय रुपया 11,017.00 (रु0 ग्यारह हजार सत्तरह मात्र) की प्रतिपूर्ति हेतु खरीदी गयी दवाओं की रसीदें तथा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चिकित्सक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर के कार्यालय में दिनांक 28-5-2005 को जमा किया था ? यदि हां, तो क्या इनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति

का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

श्री हरिशंकर श्रीवास्तव, मोहर्रिर, जोन-5, नगर निगम, कानपुर ने दिनांक 02-07-2004 से 10-11-2004 तक कराये गये उपचार हेतु किये गये व्यय रु0 11,017.00 का चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु छः माह के पश्चात् दिनांक 28-05-2005 को खरीदी गयी दवाओं की रसीदें तथा डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया था, उ0 प्र0 सरकार कानपुर नगर महापालिका कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा विनियम-1962 के नियम-4(2) में प्राविधान है कि प्राइवेट उपचार कराने के पूर्व स्वीकृति ली जानी आवश्यक है, संकटकालीन स्थिति में प्राइवेट इलाज कराने पर भी प्रत्येक मामले की सूचना तुरन्त मुख्य नगर अधिकारी को देनी होती है। श्री श्रीवास्तव से उक्त के सम्बन्ध में दिनांक 30-05-2005 के द्वारा नगर आयुक्त से पूर्वानुमति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी सूचना मांगे जाने पर उन्होंने पूर्वानुमति लिये जाने सम्बन्धी कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये। तद्नुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी में मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0 चीनी मिल से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने की मांग

5-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बजाज हि0 लि0 खम्भा खेड़ा फैक्ट्री द्वारा लखीमपुर खीरी की दुमहनी नदी में प्रदूषित जल प्रवाहित किया जा रहा है, जिसका पानी पीने से मछलियां व जानवर मर रहे हैं, जिससे पर्यावरण को खतरा पैदा हो गया है ? सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है तथा जो जनहानि हुई है उसके लिए चीनी मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

मै0 बजाज हिन्दुस्तान लि0, चीनी मिल से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को शुद्धिकरण के उपरान्त दुमहनी (कण्डवा) नदी में निस्तारित किया जाता है। उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित प्रदूषित उत्प्रवाह को स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र में बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत

करने के उपरान्त निकटस्थ स्थित कण्डवा (दुमहनी) नदी में निस्तारित किया जाता है, जिससे नदी के जीव जन्तुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने/मछली एवं जानवरों के मरने की कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं है। वर्तमान में उद्योग "आफ सीजन" होने के कारण बन्द चल रहा उद्योग में स्थापित शुद्धिकरण संयंत्र की इकाइयों के विवरण के साथ-साथ दिनांक 01-02-2007 को उद्योग से नदी में निस्तारित किये जा रहे शुद्धिकृत उत्प्रवाह के नमूने एकत्रित किये गये जो कि मानकों के अनुरूप है। उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सशर्त सहमति भी प्राप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ0 प्र0 डा0 रक्षा गोस्वामी को उनकी सहमति व मा0 मुख्य मंत्री के आदेशानुसार उत्तरांचल राज्य हेतु कार्य मुक्त कराये जाने की मांग

6-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 रक्षा गोस्वामी, निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ0 प्र0 को उनकी सहमति के आधार पर उत्तरांचल राज्य में योगदान दिये जाने हेतु मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 17-3-2007 को आदेश/अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है ? यदि हां, तो डा0 रक्षा गोस्वामी को उक्त आदेशों के अनुपालन में उत्तरांचल राज्य में योगदान देने हेतु कार्य मुक्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

इस सम्बन्ध में तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा दिनांक 17-3-2006 को अनुमोदन प्रदान किया गया था।

जी नहीं।

डा0 रक्षा गोस्वामी का प्रकरण राज्य परामर्शीय समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर, 2005 में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने यह पाया कि डा0 रक्षा गोस्वामी द्वारा दो विकल्प दिनांक 4-10-2000 एवं 17-11-2000 दिये गये थे। किसी भी कार्मिक को विकल्प देने का केवल एक अवसर प्राप्त था। यदि किसी कार्मिक द्वारा दो विकल्प दिये गये हों, तो समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार पहला विकल्प पत्र ही मान्य होगा। डा0 रक्षा गोस्वामी द्वारा पहला विकल्प दिनांक 4-10-2000 उ0 प्र0 राज्य हेतु दिया गया था। उत्तराखण्ड राज्य को प्रधानाचार्य के दो पद आवंटित हैं। नियत तिथि को अविभाजित उ0 प्र0 में प्रधानाचार्य के 12 पदों के विरुद्ध केवल 07 कार्मिक कार्यरत थे तथा 05 पद रिक्त थे। दोनों राज्यों में दिनांक 8-11-2000 से वर्तमान रिक्तियां भी अनुपातिक रूप से दोनों राज्यों के मध्य बांटी जानी थी। इस प्रकार उत्तराखण्ड राज्य

के लिये एक रिक्त पद जाना है। एक पद के विरुद्ध पहले से ही एक विकल्पधारी डा0 सुश्री पूजा भारद्वाज भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से आवंटित है। अतः उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित प्रधानाचार्य के अवशेष एक पद पर नियमानुसार किसी कार्मिक का आवंटन नहीं किया जाना है। तत्कालीन मा0 मुख्य मंत्री जी उक्त स्थिति से दिनांक 31-3-2007 को पत्रावली पर अवगत हो चुके हैं।

निदेशक आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ0 प्र0 के डा0 रक्षा गोस्वामी तथा वित्त नियंत्रक श्रीमती सन्ध्या मोहन के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की जांच पर कार्यवाही की जानकारी

7-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा0 रक्षा गोस्वामी, निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें उ0 प्र0 तथा वित्त नियंत्रक श्रीमती सन्ध्या मोहन आयुर्वेद निदेशालय के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में सतर्कता जांच कराये जाने के आदेश मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा दिनांक 5-5-06 को दिया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है, तथा उस पर अब तक कोई कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी वर्मा-

जी हां।

प्रकरण की सतर्कता जांच कराने से पूर्व निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0 को तथ्यात्मक आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। निदेशक, आयुर्वेद एवं यूनानी सेवायें, उ0 प्र0 ने अपने पत्र दिनांक 17-5-2006 द्वारा तथ्यात्मक आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। परीक्षणोपरान्त वस्तुस्थिति से अवगत होने तथा प्रकरण में आदेश हेतु पत्रावली तत्कालीन मा0 विभागीय राज्य मंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार) को दिनांक 14-6-06 को प्रस्तुत की गयी। संगत पत्रावली बिना किन्हीं आदेशों के दिनांक 13-3-2007 को वापस प्राप्त हुई।

प्रदेश के नोटरी अधिवक्ताओं के नवीनीकरण का प्रकरण

8-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से नोटरी अधिवक्ताओं का नवीनीकरण प्रकरण शासन के समक्ष विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त नवीनीकरण कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां। कतिपय प्रकरणों में ऐसी स्थिति है।

सुसंगत शासनादेश में निहित प्रक्रिया पूर्ण होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

9-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-74 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

आगरा शहर में पेयजल की समस्या के स्थायी निदान की मांग

10-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगरा शहर में पेयजल की समस्या निरंतर बनी हुयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शहरवासियों को शुद्ध एवं सुचारु रूप से पेयजल उपलब्ध कराये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो पेयजल समस्या का स्थायी निदान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। आगरा शहर में पेयजल की समस्या नहीं है।

जी हां। जे0 एन0 एन0 यू0 आर0 एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत रु0 266.76 करोड़ का प्राक्कलन बनाया गया है जिसमें एक नये शोधन संयंत्र, वर्तमान कार्यों का सुदृढ़ीकरण स्थायी रूप से खराब पाइप लाइनों के बदलने के कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त पालरा फल बुलन्दशहर से आगरा तक गंगाजल पाइप लाइन के माध्यम से लाये जाने हेतु रु0 1179.72 करोड़ विरचित की गयी है। जेबीआईसी के साथ एम0ओ0यू0 हो चुका है।

उक्त कार्य क्रमशः वर्ष 2014 एवं 2012 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की योजना

11-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल है, जहां पर प्रतिदिन हजारों/ लाखों की संख्या में देश/विदेश से पर्यटक आते रहते हैं ? क्या आगरा शहर को पर्यटन की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किये जाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूप रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां

सम्प्रति आगरा के पर्यटन विकास के लिये भारत सरकार की एक वृहद योजना संचालित है।

ताजमहल के पूर्वी द्वार की तरफ रु0 767.00 लाख तथा पश्चिमी द्वार की तरफ रु0 758.00 लाख की योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा शहर में आधुनिक मशीनों से सड़कों की धुलाई एवं सफाई की व्यवस्था

12-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा शहर में आधुनिक मशीनों से सड़कों की धुलाई एवं सफाई की व्यवस्था कराई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। आगरा शहर की सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की डी0 पी0 आर0 में रोड वैक्यूम स्वीपिंग मशीन का प्राविधान है। डी0 पी0 आर0-जे0एन0एन0यू0आर0 के अन्तर्गत भारत सरकार से स्वीकृत है। जिसका शीघ्र कार्यान्वयन किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखनऊ के कतिपय मुहल्लों में जलभराव से खराब मार्गों का डामरीकरण कराये जाने की मांग

13-श्री अब्बास अली जैदी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के मोहल्ला सरफराजगंज (ठाकुरगंज) स्थित जिन्नातों की मस्जिद में आवागमन हेतु मुख्य मार्ग हरदोई मार्ग पर डेडीकूल स्कूल से जिन्न मस्जिद तक मार्ग अत्यन्त खराब होने के कारण वर्षा ऋतु में जल भराव हो जाता है और वहां के निवासियों तथा श्रद्धालुओं को आवागमन में घोर असुविधा होती है ? क्या सरकार उक्त मुख्य मार्ग डेडीकूल स्कूल से जिन्न मस्जिद तक डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

कार्य की निविदायें नगर निगम द्वारा प्राप्त कर ली गयी हैं। स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गुटका व पाउच की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाये जाने की मांग

14-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में गुटका व पाउच के रैपर से नाली आदि चोक हो जाती है, जिससे मिथेन गैस उत्पन्न होने से मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सामग्री, जो पाउचों या रैपरों में बिक रही है, की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, गुटका व पाउच के रैपर से नाली आदि यदाकदा चोक हो जाती हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर यथासमय ठीक करा दिया जाता है। नगरीय ठोस अपशिष्ट से पालीथीन की सामग्री का पृथक्करण सम्यक रूप से न किये जाने के कारण नालियों के चोक हो जाने एवं कूड़ा कचरा सड़ जाने की दशा में मीथेन गैस उत्पन्न हो सकती है।

पाउचों व रैपरों में बिक रही सामग्री के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उक्त सामग्री के उपयोग को नियंत्रित करने हेतु "उ0 प्र0 प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) अधिनियम, 2000" के अन्तर्गत यथेष्ट प्राविधान उपलब्ध है, जिनके प्रवर्तन का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है।

15-श्री प्रदीप जैन "आदित्य"-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

जनपद सीतापुर में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत अनेकों ग्रामों में सड़कों का निर्माण व डामरीकृत सड़क से जोड़ने की मांग

16-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर के ग्राम पट्टी बछाइन, समदा, महम्मदीपुर, खितमनी, मितौरा, भागीपुर तहसील-महमूदाबाद ग्राम रोड निर्माण हेतु चयनित व स्वीकृत हैं ? यदि हां, तो इन गांवों को कब तक डामर रोड से जोड़ दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

जी हां। इनमें से ग्राम पट्टी, बछाईन व महम्मदीपुर फेज-3 (विश्व बैंक घटक) में तथा ग्राम समदा फेज-4 में स्वीकृत हैं। इन मार्गों के निर्माण हेतु कई बार निविदा आमंत्रित करने के बावजूद भी कोई निविदा प्राप्त नहीं हुई। ग्राम समदा अम्बेडकर ग्राम है। इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से इतर अन्य योजना से निर्मित कराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2 (प्र0प0) लो0 नि0 वि0 सीतापुर का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है। ग्राम-खितमनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत फेज-4 में स्वीकृत है। परन्तु जिलाधिकारी, सीतापुर द्वारा इस ग्राम को अन्य सरेखण से जोड़ दिये जाने के कारण इसे अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जोड़ा जाना प्रस्तावित नहीं है। ग्राम-मितौरा एवं ग्राम-भागीपुर योजनान्तर्गत फेज-5 में स्वीकृत किया जा चुका है।

निविदाओं की स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के बाद प्रश्नगत गांव को डामर रोड से जोड़ दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव में सड़कों का आंशिक कार्य व भुगतान सम्बन्धी जानकारी

17-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव में विगत 5 वर्षों से अब तक कितनी सड़कें विभाग द्वारा बनायी गयी हैं, जिन पर आंशिक कार्य कराकर पूरा भुगतान लिया जा चुका है ? यदि हां, तो सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

उल्लिखित अवधि में जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव में कोई ऐसी सड़कें विभाग द्वारा नहीं बनायी गयी हैं, जिन पर आंशिक कार्य कराकर पूरा भुगतान लिया गया है।

उपरोक्त के दृष्टिगत जांच कराये जाने का औचित्य नहीं है।

उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ के गेटों पर लगे सुरक्षाकर्मियों द्वारा धन लेकर प्रवेश दिये जाने की शिकायतों की जांच

18-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ के गेटों पर लगे सुरक्षाकर्मियों द्वारा अनाधिकृत लोगों को धन लेकर प्रवेश दिये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

जी हां। कतिपय शिकायतें प्राप्त हुयी हैं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के रायबरेली रोड स्थित साउथ सिटी के ब्लाक जी की क्षतिग्रस्त व जल भराव की सड़कों की मरम्मत कराये जाने की मांग

19-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ रायबरेली रोड पर स्थित साउथ सिटी के जी ब्लाक की सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने के कारण जल भराव हो जाता है तथा वहां के

निवासियों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी के जी ब्लाक की सड़कों की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी ब्लाक की सड़कों की कुल लम्बाई 5.5 किमी0 है। जो वर्तमान में काफी क्षतिग्रस्त हैं।

जी-ब्लाक की सड़कों का सर्वेक्षण कराने के उपरान्त आवश्यकता को देखते हुये सड़कों एवं डीप ड्रेन के सुधार हेतु धनांक रु0 11.50 लाख का आगणन तैयार किया गया है। नगर निगम द्वारा धन की उपलब्धता एवं नगर निगम के सदन की स्वीकृतोपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उटता।

फैजाबाद नगर में जल निकासी की व्यवस्था एवं सीवर लाइन डालने पर विचार

20-श्री लल्लू सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद नगर में जल निकासी न होने के कारण नगरवासियों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर में सीवर लाइन डालने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

नगर पालिका परिषद् फैजाबाद से प्राप्त प्रस्ताव भारत सरकार के यू0 आई0 डी0 एस0 एस0 एम0 टी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत फैजाबाद नगर की जल निकासी योजना अनुमानित लागत रु0 1085.61 लाख विरचित कर धनावंटन हेतु मई, 2007 में भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। उक्त योजना के अन्तर्गत 9 नालों का निर्माण प्रस्तावित है। धनराशि प्राप्त होने पर कार्य कराने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधायक निधि का पैसा अपने माता-पिता के नाम के महाविद्यालय को दिये जाने का प्रकरण

21-श्री बृजेश सौरभ-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि 14वीं विधान सभा के सदस्य एवं मंत्री श्री राजा राम पाण्डेय द्वारा अपनी विधायक निधि से 1.40 लाख रुपये अपने माता-पिता (यशोदा नन्दन हरवंश) के नाम के महाविद्यालय को दिया था ? यदि हां, तो क्या उनका यह कृत्य विधायक

निधि के उपयोग के लिए जारी शासनादेशों के अन्तर्गत आता है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में जांच कराकर कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

यशोदा नन्दन हरिवंश महाविद्यालय, यशोदा नन्दन हरिवंश बी0पी0एड0 महाविद्यालय एवं यशोदा नन्दन हरिवश बी0एड0 महाविद्यालय कटका-तारनपुर, विकास खण्ड सण्डवा चन्द्रिका के पक्ष के कुल 140.00 लाख रु0 विभिन्न वर्षों में अवमुक्त किया गया है। उक्त विद्यालय पूर्व मा0 मंत्री जी श्री राजाराम पाण्डेय के पिता के नाम से संचालित है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की संख्या एवं नगर के मध्य हरे भरे मैदान को कूड़ाघर बनाने पर रोक की मांग

22-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बतायेंगे कि शाहजहांपुर नगरपालिका में कितने सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या ये सफाई कर्मचारी एक शिफ्ट में कार्य करते हैं अथवा दोनों शिफ्टों में ? क्या मंत्री जी को जानकारी है कि नगर के मध्य मो0 बहादुर गंज चमकनी में इस्लामिया इण्टर कालेज तथा पावर हाउस विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय कार्यालय के पूरब में चार बीघे के हरे-भरे मैदान में कूड़ा डालने से प्रदूषण का खतरा उत्पन्न हो गया है ? क्या मा0 मंत्री जी इस खुले स्थान को कूड़ा घर बनाने पर रोक लगायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पालिका परिषद शाहजहांपुर में 410 नियमित एवं 199 संविदा पर नियुक्त कुल 609 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं।

दोनों शिफ्टों में।

नगर के मध्य मो0 बहादुर गंज चमकनी में इसलामिया इण्टर कालेज तथा पावर हाउस विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय कार्यालय के पूरब में स्थित मैदान में पालिका द्वारा कूड़ा नहीं डाला जा रहा है, बल्कि वहां स्थानीय जनता एवं निकट की सब्जी मण्डी के सब्जी विक्रेताओं द्वारा कूड़ा डाला जा रहा है, जिसको पालिका द्वारा सप्ताह में दो बार ट्रालियों से कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार उक्त स्थल पर डाले गये कूड़े को नगर पालिका परिषद् द्वारा सप्ताह में दो बार ट्रालियों से कूड़ा उठाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

23-श्री मदन भैया-

[5वें बुधवार के अता0प्र0सं0-73 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पुलिस विभाग में विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) का गठन

24-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने पुलिस विभाग में किसी विशेष अनुसंधान दल (एस0 आई0 टी0) का गठन किया है ? यदि हां, तो उक्त दल का कार्य क्षेत्र क्या है तथा जांच हेतु इसकी परिधि में कौन से विभाग और विषय आते हैं ?

कुमारी मायावती-

जी हां। शासन द्वारा पुलिस विभाग में विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) का गठन किया है।

उक्त दल का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा तथा एस0 आई0 टी0 गृह विभाग द्वारा संदर्भित प्रकरणों कीजांच करेगी।

25-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[4थे सोम0 के अता0प्र0सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

26-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[5वें बुध0 के अता0प्र0सं0-29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

27-28-चौ0 रवीन्द्र प्रताप-

[4थे बुधवार के अता0प्र0सं0-46 व 47 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

29-श्री आलोक कुमार शाक्य-

[3सरे शुक्र0 के अता0प्र0सं0-34 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

30-श्री डी0पी0 यादव-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के कैम्पस में बने सरकारी आवासों पर हुए अवैध कब्जे को खाली कराये जाने की मांग

31-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विकास खण्ड बभनजोत के कैम्पस में बने सरकारी आवासों में लोग अनधिकृत कब्जा करके रह रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जादारों से ब्लाक कैम्पस खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

जी हां।

अवैध कब्जेदारों से विकास खण्ड कैम्पस खाली करा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद महानगर के अनेकों मोहल्ले में जल भराव की समस्या के निराकरण के उपाय

32-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर में अल्लापुर, टैगोर टाउन, एल0आई0सी0 कालोनी, जार्ज टाउन, मलाकराज, नया बैराहना एवं छीतापुर आदि मुहल्लों में जल भराव समस्या को दूर करने हेतु कोई योजना उनके विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

इलाहाबाद महानगर में अल्लापुर, टैगोर टाउन, एल0आई0सी0 कालोनी, जार्ज टाउन, मलाकराज, नया बैराहना एवं छीतापुर आदि मुहल्लों में जल भराव की समस्या को दूर करने हेतु जवाहर लाल नेहरू रोड पर रेलवे पुल संख्या-174 पर लगभग 330 मीटर लम्बाई में आर0सी0सी0 नाले का निर्माण, बक्शी खुर्द से बक्शी बांध तक 901 मीटर नाले का निर्माण एवं प्रयाग घाट रेलवे ट्रैक के नीचे आर0सी0सी0 कनवर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम (द्वितीय शाखा), इलाहाबाद तथा सिंचाई विभाग द्वारा बक्शी बांध पर रलूज गेट का निर्माण कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त इलाहाबाद महानगर में शहर के बाहरी छोरों पर पम्पिंग स्टेशनों की स्थापना की गयी है जो जल निगम द्वारा संचालित है जिसमें मोरी गेट, बक्शी बांध, चाचर नाला, मम्फोर्डगंज, गेट नं0-9, गेट नं0-13, ई0सी0सी0 व गेट नं0-1 से 5 तक बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों की स्थापना की गयी है जिससे गंगा-यमुना जल स्तर में बढ़ोत्तरी होने पर गेट बन्द होने एवं अतिवृष्टि होने की स्थिति में पम्पिंग स्टेशनों पर स्थापित पम्प द्वारा जल निकासी की जाती है।

प्रदेश की पुलिस द्वारा बगैर मुकदमा पंजीकृत किये जांच करने के अधिकार का कथित प्रकरण

33-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की पुलिस को सी0आर0पी0सी0 धारा-2 (जी) के अन्तर्गत बगैर मुकदमा पंजीकृत किये प्रार्थना-पत्रों पर जांच करने का अधिकार प्राप्त है ? यदि नहीं, तो पुलिस को प्राप्त ऐसे प्रार्थना-पत्रों पर उनके द्वारा जांच करने का औचित्य क्या है ?

कुमारी मायावती-

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता ने किसी प्रकरण विशेष का उल्लेख नहीं किया है अतः इस बिन्दु पर उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है।

34-डा0 धर्मपाल सिंह-

[उसरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-38 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद महामाया नगर (हाथरस) नगरपालिका परिषद् सीमा के अन्तर्गत अनेकों तालाबों के भू-खण्डों पर अवैध कब्जे को हटाने की मांग

35-श्री धर्मपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिकन्दराराऊ (महामायानगर) नगरपालिका परिषद् सीमा के अन्तर्गत आने वाले अनेकों तालाब जैसे जी0टी0 रोड पर पंत चौराहे के पास का तालाब, लाला के नगला वाला तालाब, जी0 एस0 कालेज के सामने वील वाला तालाब भू-अभिलेखों में तालाब दर्ज नहीं है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि ऐसे तालाबों का भू-अभिलेखों में दर्ज न होने के कारण भू-माफिया अपने नाम से इन तालाबों को दर्ज करवा कर कब्जा कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर भू-अभिलेखों में तालाब दर्ज कराने एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी0 टी0 रोड पंत चौराहे के पास तथा लाला के नगला वाला तालाब गाटा सं0-1774 रकबा 1.499 हे0 नॉन0 जेड0 ए0 राजस्व अभिलेखों में मुहाल मीरान खां के खेवट सं0-22 में तालाब दर्ज था जो वर्तमान में भी नॉन0 जेड0 ए0 खतौनी पर दर्ज है। वर्ष 1990 में मा0 न्यायालय मुंसिफ मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अलीगढ़ के द्वारा वाद सं0-14/90 में पारित आदेश दि0 20-3-90 के अनुसार इस तालाब पर सुशील कुमार पुत्र जयनरायण नौरंगाबाद का नाम जेड0 ए0 में दर्ज हुआ।

तदोपरान्त वाद सं0-158 एस0 में पारित आदेश दि0 22-11-03 के आधार पर सुशील कुमार जयनरायण के नाम से खारिज होकर द्वारा बैनामा देवेन्द्र यादव पुत्र वासाराम निवासी बिलराम गेट-कासगंज का नाम दर्ज हुआ। जिसे 1411 फसली में उप जिलाधिकारी, सिकन्दराराऊ के आदेश दि0 29-11-03 द्वारा गैर कृषि प्रयोग हेतु धोषित किया गया। मौके पर वर्तमान में इन्हीं का कब्जा है।

जी0 एस0 कालेज के सामने वील वाला तालाब गाटा सं0-2061 रकबा 0.011 हे0 मुहाल लश्करगंज से दर्ज है, पानी कम होने के कारण इसका कुछ भाग सूख गया है। मौके पर खाली है।

उक्त तालाब उपरिलिखित विवरण के अनुसार जमींदारों के खेवट एवं मुहाल में नॉन0 जेड0 ए0 में तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। वर्तमान में वील वाला तालाब गाटा सं0-2061 रकबा 0.011 हे0 मौके पर खाली है। गाटा सं0-1774 रकबा 1.499 हे0 नॉन0 जेड0 ए0 अभिलेखों में मुहाल मीरान खां के खेवट संख-22 में तालाब के नाम से दर्ज है पर देवेन्द्र सिंह यादव पुत्र दाताराम का कब्जा है। इस प्रकार से राजस्व अभिलेख में दर्ज जमींदारों/भूमिधर के कब्जे में है।

प्रदेश के एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में पैरा चिकित्सक कर्मियों के नियुक्ति के मानक एवं इनकी तैनाती की मांग

36-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में पैरा चिकित्सक कर्मियों (नर्सेज, फार्मेसिस्ट, वार्ड ब्वायों, लैब टेक्निशियन, सफाई कर्मी) के नियुक्ति के मानक क्या हैं ? क्या मा0 मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न मेडिकल कालेजों में मानक के अनुरूप पैरा चिकित्सक कर्मी कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो उक्त मेडिकल कालेजों में मानक के अनुरूप तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

एम0सी0आई0 द्वारा प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कालेजों में पैराचिकित्सक कर्मियों (नर्सेज, फार्मेसिस्ट, वार्ड ब्वायज, लैब टैक्नीशियन, सफाई कर्मी) के नियुक्ति के मानक निम्न प्रकार निर्धारित हैं :-

स्टाफ	टीचिंग हास्पिटल
1-नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	1 (अधिकतम 150 बिस्तर के लिए)
2-डिप्टी नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट	01
3-असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट (प्रत्येक अतिरिक्त 50 बिस्तरों हेतु एक और असिस्टेन्ट नर्सिंग सुपरिन्टेन्डेन्ट होना चाहिए)	02

	स्टाफ नर्स	सिस्टर
मेडिकल वार्ड	1:3	1:25
सर्जिकल वार्ड	1:3	1:25
आर्थोपेडिक्स वार्ड	1:3	1:25
गायनोक्लोजी वार्ड	1:3	1:25
मैटरनिटी वार्ड	1:3	1:25
पीडियाट्रिक वार्ड	1:3	1:25

फार्मेसिस्ट, वार्ड ब्वायज, लैब टेक्नीशियन तथा सफाई कर्मी चिकित्सालय की आवश्यकतानुसार रखे जाते हैं।

जी नहीं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

(12 बजकर 20 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 15 मिनट का बढ़ा दिया है। 12 बजकर 35 मिनट पर मार्शल ने पुनः सूचित किया कि श्री अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 10 मिनट और बढ़ा दिया है। 12 बजकर 45 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

बतायें ?

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी 13 तारीख को मान्यवर, श्रावस्ती की जिस घटना का उल्लेख हुआ, 13 तारीख तक सरकार को प्रश्नकाल के समाप्त होने तक इस घटना की जानकारी नहीं थी फिर इतनी गम्भीरता हुई हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कम से कम सरकार को निर्देशित किया और शाम तक पुलिस अधिकारियों पर कार्यवाही की बात की। लेकिन असल बात यह नहीं थी उस दिन भी हमने कहा कि दरोगा की लापरवाही का सवाल नहीं है। कप्तान की कार्यवाही का सवाल नहीं है। मान्यवर, हमारी मांग सीधे-सीधे यह थी कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में यह कृत्य हुआ और इतना घिनौना कृत्य हो नहीं सकता है। सामूहिक बलात्कार दर्जनों महिलाओं के साथ किया गया है। उसकी जांच के लिए एक कमेटी गई मा0 माता प्रसाद जी की अध्यक्षता में। मा0 वकार साहब, मा0 अवधेश प्रसाद, मा0 लालजी यादव जी कुछ और मा0 सदस्य गए वहां की सांसद गईं और इतनी गम्भीर घटना के बाद सरकार अपने उस मंत्री के विरुद्ध जिनके संरक्षण में यह कुकृत्य हुआ अगर उसके सवाल पर यह सरकार कुछ नहीं करना चाहती है तो सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है। सरकार सीधे-सीधे इसमें इन्वाल्व है.....

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मंत्री जी आरोपित हैं। आज जो मैंने दूसरी सूचना दी थी उसको आप भले ही बाद में ले लें लेकिन मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में रहने का अधिकार है या नहीं। अजमेर शरीफ जाने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले लोगों को पहचान करके लूटा जाएगा। जियारत करने जाने वालों के पास बहुत माल रहता है। लेकिन मात्र इन कारणों से....

श्री अध्यक्ष-

सरकार का वर्जन तो आने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

सरकार जो अत्याचार कर रही है, अनाचार कर रही है उसमें सरकार के वर्जन की क्या बात है मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपने कृपापूर्वक हमारी बात सुन ली बिना नोटिस, उस दिन नहीं लिया जाना था फिर भी। सरकार ने दरोगा और कप्तान पर कार्यवाही कर दी लेकिन असली आरोपी जो है उसके विरुद्ध सरकार क्या करना चाहती है क्या दृष्टिकोण है यह महत्वपूर्ण है। मंत्री के परिवार और जो लोग इस घटना में शामिल थे उनको बचाकर यदि अपने संरक्षण में पाप कराना चाहती है। सदन में हम कहने आए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गई है। सरकार का पक्ष सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

इस सदन में हम अपनी बात कहने सुनने आए हैं यह सदन प्रदेश की स्थिति का आइना है खाली बात रखने से काम नहीं चलेगा। हम कोई उनके प्रवक्ता नहीं हैं कि हम सदन में आए और हमने उनकी बात रख दी अगर सदन में भी संरक्षण नहीं मिलेगा, सरकार तो जो कर रही है वह कर ही रही है, उसके वर्जन का सवाल नहीं है उसके दृष्टिकोण का सवाल है। सरकार हमारी बात से संतुष्ट हो गई एस0पी0 सस्पेंड हो गए, दरोगा बर्खास्त और मंत्री पर कोई कार्यवाही नहीं, सबसे पहली कार्यवाही मंत्रि-परिषद् से उस मंत्री जिनके विरुद्ध यह आरोप है उनको बर्खास्त होना चाहिए इससे कम पर कुछ नहीं होना चाहिए। मंत्री के इस्तीफे की बात से कम पर और क्या वर्जन आएगा ? अगर उनका इस्तीफा है तो घोषणा करवा दें।

श्री प्रमोद तिवारी-

नेताओं को सुन लें।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 चौधरी साहब इस इश्यू पर कितने गम्भीर हैं इससे मालूम होता है कि इनकी इस पर कोई नोटिस ही नहीं है। जब इस पर नोटिस नहीं है यह इस बात का परिचायक है इस मसले को नहीं उठाना चाहते हैं। यह घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं।

(संसदीय कार्य मंत्री के कथन से असन्तुष्ट होकर श्री शिवपाल सिंह यादव, डा0 वकार अहमद शाह आदि समाजवादी पार्टी के सदस्यगण सदन के फ्लोर पर आ गये और सम्बन्धित मंत्री को बर्खास्त किये जाने की मांग करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

अगर गम्भीर है तो इस तरह न करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं भी बहुत दिनों से इस प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति देख रहा हूं। मान्यवर, इनकी भी सरकार रही है और इनकी सरकार के समय भी बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई निर्णय, निष्पक्ष निर्णय आज तक कभी लिया नहीं गया है जो बहन कु0 मायावती जी ने लिया। पहली बार एक मामूली सी घटना में एस0पी0 को, पुलिस अधीक्षक को निलम्बित किया गया और दरोगा जो निष्क्रियता का दोषी पाया गया उसको बर्खास्त किया गया। मान्यवर, रामपुर तिराहा की भी घटना हुई थी, पूरे प्रदेश के लोगों ने आवाज उठायी, इस विधान सभा में भी लोगों ने आवाज उठायी, उस जांच को स्वीकार करने का काम नहीं किया और एक दरोगा भी सस्पेंड नहीं किया गया था। आज बहन कु0 मायावती जी ने दरोगा को बर्खास्त किया और पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड किया। इससे ज्यादा निष्पक्ष कार्यवाही हो नहीं सकती है, मान्यवर। इसके बाद जब जनता ने इन्हें ठुकरा दिया तो यह घड़ियाली आंसू बहाने का कार्य कर रहे हैं।

(वेल में आए हुए सपा के सदस्य नारे लगा रहे थे)

(श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री प्रमोद तिवारी तथा तमाम अन्य सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी क्या चाहते हैं ?

***श्री ओम प्रकाश सिंह-**

मान्यवर, मैं समस्त सदस्यों से और सभी लोगों से आग्रह करना चाहूंगा और सौभाग्य से नेता प्रतिपक्ष भी इस समय हम सबके बीच में हैं। सबके विचार आ जायें क्योंकि बाकी सदस्य भी कई बार और दलों के नेता भी कई दिनों से कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने विचार हर विषय पर रखने का अवसर नहीं मिलता। हम समझते हैं कि सभी लोग अपने विचार रख लें, सत्ता का पक्ष आ जाए, सहमति-असहमति का निर्णय करने का हर दल को अपना अधिकार है। सत्तापक्ष का विचार आने के बाद सहमत हों, असहमत हों, जैसा उचित समझें, निर्णय ले लें। लेकिन सबका विचार आ जाये। ऐसा मेरा आग्रह सभी से है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

हम तो आग्रह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं लेकिन पहले आप तो तैयार हों।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप पहले सभी दलों के विचार को सुन लें, जब तक सभी के विचार न आ जायें, इस सन्दर्भ में मेरी नोटिस है। कांग्रेस पार्टी भी कुछ कहना चाहती है, लोकदल भी कहना चाहती है, सबकी बातें आ जायें, उसके बाद ही कोई कार्यवाही करें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष जी सभी से निवेदन कर रहा हूं, पहले आप लोगों के तो विचार बन जायें, तभी तो हम आप लोगों के विचार सुनेंगे। हमारा तो विचार है कि हम सुनें सभी को।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जहां तक सवाल कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी चाहती है, अपनी बात रखना।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, ठीक है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस सदन को व्यवस्थित करने के लिए बी0जे0पी0 ने एक सुझाव दिया है, उस पर पहले विचार हो जाए, हम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिले।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी सहमत हूं कि विचार आए, सरकार का भी पक्ष आ जाए।

(घोर व्यवधान जारी)

मैं तो नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन करता हूं, दलीय नेताओं से भी मैंने निवेदन किया है कि सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों के विचार आ जाएं। श्रावस्ती की घटना पर सभी दलीय नेताओं के विचार आ जाएं और उसके बाद सरकार का विचार आ जाए, उसके बाद अगर आप सरकार के विचार से संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास विकल्प है। मैंने नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन किया है कि इस गम्भीर घटना के संदर्भ में सभी दलीय नेताओं के विचार आ जाएं। सभी दलीय नेता अपने विचार रखें। अगर आप सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होते तो आपके पास विकल्प खुला है। यह आपका अधिकार है। आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत अपने अधिकार का प्रयोग करें, उसमें हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो इस गम्भीर विषय पर सबके विचार चाहता हूं जो कि इस सदन के अन्दर और बाहर भी जाएं कि विपक्ष ने यह कहा और सरकार ने यह निर्णय लिया। मैं तो तैयार हूं। नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं। दलीय नेताओं को विचार के लिए आमंत्रित किया

गया. उसमें सबके सुझाव आए. आपका भी सुझाव आया। इस गम्भीर घटना के बारे में सभी दलीय नेताओं के विचार आ जाए। सत्तापक्ष का भी विचार आ जाए। अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आपके पास विकल्प खुला है। सरकार से कहा गया कि हमारा केवल चर्चा तक ही अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार है कि इस बिन्दु पर सरकार का कुछ न कुछ निर्णय आए। लेकिन जब आप कुछ कहेंगे और सत्ता पक्ष से जब कुछ बोलेंगे तभी तो बीच का कोई रास्ता निकलेगा। अगर नेता प्रतिपक्ष सहमत हों तो आधे घण्टे या 20 मिनट में सभी दलीय नेताओं का वर्जन आ जाए। इसके बाद आप जो भी निर्णय करें।

*नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभापति जी के यहां चला गया था। बीच में क्या हुआ, मैं पूछ ही रहा हूं ? मान्यवर, हमारी जो बात हुई थी उसमें सरकार का पक्ष आ गया। अगर आप चाहते हैं कि कुछ नेता 15 मिनट बोल लें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उसके बाद जो हमारी तरफ से समिति वहां पर गई थी उसमें जो हमारे सदस्य गए थे वह भी बोलेंगे। आप नेताओं को सुन लें और हमारी कमेटी में जो लोग गए थे उन्हें भी सुन लें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पक्ष तो वहां का आ चुका है। आपने जो निर्देश दिया, उसका पालन किया गया। अगर आप 15 मिनट बुलवाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरा निवेदन है कि हम भी सहमत हैं कि आपने जो निर्देश दिए हैं उन लोगों की ग्राह्यता के सम्बन्ध में जो भी बातें हैं, या जो जांच समिति गई है, उनकी बात सुन लें।

(श्री अध्यक्ष के सुझाव का समर्थन करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने समाजवादी पार्टी के सदस्यगण को अपनी सीटों पर वापस बुला लिया)

लेकिन साथ ही साथ निवेदन यह भी है कि उसके बाद सरकार का भी पक्ष आ जाना चाहिये कि उसने क्या कार्यवाही की है।

श्री अध्यक्ष-

इसी बिन्दु पर तय भी हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दलों के नेताओं और जो समिति गयी है उसके सदस्यों की बात आ जायेगी उसके बाद सरकार का वर्जन आयेगा फिर उसके बाद अगर नेता प्रतिपक्ष या अन्य दलों के नेता सन्तुष्ट हों या न हों, तो उनके पास विकल्प है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय ओम प्रकाश जी और शिवासी जी बोल रहे थे, उनकी बात बीच में ही रह गयी थी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, अभी हमारी बात शुरू नहीं हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

इससे पहले कुछ औपचारिक कार्य हैं उसे हम ले लेते हैं। इसमें पांच मिनट का समय लगेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, फिर यह विषय हल्का हो जायेगा। पहले इसे होने दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, श्रावस्ती में धर्मन्तापुर और धुन्नीडीह दो गांवों के बीच 7 से 10 तारीख के बीच जो दुर्घटनायें घटीं, 7 तारीख को धर्मन्तपुर से नाबालिग लड़की गायब हो गयी। उसके घर से पिता और अन्य लोगों ने पुलिस की परिक्रमा की, थाने गये लेकिन उसकी रिपोर्ट 11 तारीख को लिखी गयी जिसमें सात लोगों को नामजद किया गया। इसमें सात पुरुष और तीन महिलाओं को नामजद किया गया। 7 तारीख से वह प्रयास करते रहे कि उनकी रिपोर्ट लिख दी जाय। हमारी समिति को सूचना दी कि थाने के लोग आश्वस्त करते रहे, इज्जत बेइज्जती का सवाल है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिपोर्ट मत लिखवायें। उसमें उत्तेजना होना स्वाभाविक है। वह लोग 10 तारीख को धुन्नीडीह के उस परिवार में गये, जिस परिवार के लड़के ने अपहरण किया था, वहां तोड़-फोड़ की, कुछ महिलाओं के साथ हाथापाई भी हुई और बलात्कार हुआ। शासन की तरफ से अधिकारी गये, जो मेडिकल रिपोर्ट आयी है उसमें यह कहा गया है कि बलात्कार नहीं हुआ है, यह विवादित प्रश्न है। मान्यवर, अगर यह रिपोर्ट लिख दी गयी होती तो निश्चित रूप से उत्तेजना न फैलती। मान्यवर, अगर 7 तारीख से 11 तारीख तक रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी तो यह निश्चित रूप से इसे प्रशासनिक निष्क्रियता कहें, लापरवाही कहें या गैर जिम्मेदाराना कार्य कहें, यह हुआ। 10 तारीख को जो घटना हुई, उस दिन की रिपोर्ट 12 तारीख को एस0 पी0 के हस्तक्षेप से हुई। यह जानकारी नहीं है कि वह थाने में गये या एस0 पी0 के यहां लिखी गयी, साढ़े बारह बजे मुकदमा दर्ज हुआ तो दोनों ही घटनाओं का जो एफ0 आई0 आर0 है वह समय से नहीं हुआ यह प्रशासनिक शिथिलता अपनाई गई मान्यवर, लेकिन इसमें जब यहां प्रश्न उठा तो दबाव में तो कार्यवाही सरकार के अधिकारियों ने नीचे किया उसमें उसी लड़की के परिवार के सभी पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया ? जिनके दर्द था कि मेरी लड़की कैसी होगी ? सुरक्षित है ? जिन्दा है, मर गई है ? उसके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है ? स्वाभाविक है मान्यवर, अगर कोई भी पिता के स्थान में अपने को रखे तो अगर उसके घर की लड़की अज्ञात रूप से गायब हो गई

तो उसको दर्द होगा और उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 150 लोगों के विरुद्ध अज्ञात था, लेकिन लड़के पक्ष से जिन सात लोगों को नामजद किया गया था एक भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। इसमें हमारे दल की जो समिति गई थी और जो अखबारों में पढ़ा आज भी एक अखबार में निकला हुआ है कि 10 तारीख की घटना के बाद वहां चुनावी राजनीति से जुड़े हुये एक व्यक्ति ने इस घर की महिलाओं को प्रशिक्षित किया, ट्यूटर दिया और उनसे बयान ले जाकर के बलात्कार का दिलवा दिया। यह भी एक पक्ष है मान्यवर, एक पक्ष है कि बलात्कार हुआ है, दूसरा पक्ष है कि बलात्कार नहीं हुआ है, एक पक्ष है कि दबाव में एक पक्षीय कार्यवाही हुई, लड़की वालों की तरफ से है लड़की वालों को राहत देने के लिये कोई कार्यवाही नहीं, निश्चित है कि यह एक संवेदनशील प्रश्न है। न हिन्दू का प्रश्न है मान्यवर, न मुसलमान का प्रश्न है, लेकिन यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज की राजनीति में इसे साम्प्रदायिक रंग देने का प्रयास कहीं न कहीं हुआ और मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो पिछली बैठक में इस पक्ष को रखा गया तो केवल एक पक्षीय रखा गया जैसे केवल एक सम्प्रदाय विशेष लोगों के साथ हुआ जिसकी लड़की का अपहरण हुआ उस परिवार के पक्ष को नहीं रखा गया, यह दुःख का विषय है मान्यवर। एक यह भी प्रश्न आ रहा है कि इसमें मंत्री जी इन्वाल्व हैं, मंत्री के भाई इन्वाल्व हैं इसमें कई ऐंगिल से अभी अनिश्चितता है और सही अर्थ में सबका निष्कर्ष तो यह है कि वहां का प्रशासनिक अमला इतने निकम्मेपन का परिचय दिया जिसकी वजह से यह परिस्थिति सारी उत्पन्न हुई और इसमें कई पहलू राजनीतिक भी हैं, तथ्यपरक भी हैं, प्रशासनिक भी हैं। इसमें प्रशासन पर से विश्वास उठ गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मत का हूं कि ऐसे विषयों पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिये। राजनीति मानवीय संवेदनशील प्रश्नों पर, अपहरण और बलात्कार के विषयों पर राजनीति की रोटी सेंकने से न समाज में शान्ति आयेगी न कानून व्यवस्था कायम होगी और न तो जन सुरक्षित होगा न किसी की इज्जत सुरक्षित रहेगी। इसलिये मान्यवर, हमारी तरफ से मैं चाहूंगा कि शासन स्पष्ट करे कि लड़की अभी तक बरामद नहीं हुई है, उसकी क्या स्थिति है ? वह जिन्दा है ? मर गई है ? उसकी तरफ से जो एफ0 आई0 आर0 दर्ज की गई थी उसमें एक व्यक्ति भी क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ ? दूसरी तरफ अगर शासन का पक्ष हम मान लें, अगर शब्द कह रहा हूं मान्यवर, अगर बलात्कार नहीं हुआ है, तो जिन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट लिखाई पुलिस में उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? क्योंकि फर्जी रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट, गलत सूचना पुलिस को देकर लिखाना भी, उसमें भी शासन शिथिल है, उसमें भी कोई निर्णय नहीं ले रहा है। अगर कमिश्नर की जांच बैठाई तो पहले फिर क्यों कहा कि बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ ? यह शासन की तरफ से क्यों पक्ष आया ? इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं मान्यवर, और इस संवेदनशील गम्भीर प्रश्न को राजनीतिक पक्ष से वोट की दृष्टि से, साम्प्रदायिक दृष्टि से देखना निश्चित रूप से जनता के साथ अन्याय करना, शान्ति व्यवस्था के साथ अन्याय करना और मैं समझता हूं कि मानवीय

पहलुओं के प्रति संवेदनहीन होना है। मान्यवर, इससे पहले एक घटना के सम्बन्ध में यहां पर प्रश्न उठा था तो उस इनकाउन्टर को नकार दिया था। मान्यवर, बरेली का इनकाउन्टर निश्चित रूप से वह फर्जी था और उसमें निर्दोष को मारा गया। आज भी इसमें कुछ परिवारों की इज्जत से यह सम्बन्धित है, लड़की की इज्जत जुड़ी है, लड़की के परिवार की इज्जत जुड़ी है। जिनके साथ लूटपाट हुई है जिनकी मार हुई है उनकी इज्जत जुड़ी है। अगर बलात्कार हुआ है तो उसकी भी इज्जत जुड़ी है। लेकिन आज लोगों को वहां के प्रशासन से विश्वास उठ गया है। इसलिये मेरी मांग है कि संसदीय समिति बनाकर इसकी जांच करायी जाय या न्यायिक जांच करायी जाय। जांच जरूर करायी जाय और इस पर किसी तरह की राजनीति न हो। अत्यन्त गम्भीर और संवेदनशील होकर शासन को इसमें अपना दृष्टिकोण अपनाना है। शासन भी केवल वोट के दवाब में एक पक्षीय बात न करे। वहां दोनों सम्प्रदायों का सौहार्द इससे बिगड़ा है। वहां का सौहार्द बनाने का हम सबका दायित्व है इस सदन का दायित्व है। मान्यवर, सौहार्द तभी बनेगा जब लड़की वाले पक्ष को दूसरे पक्ष को भी समझाया जायेगा जिसके साथ लूटपाट हुई है मान्यवर, इसमें एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है और अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर चुके हैं इसलिये उस कार्यवाही के बारे में हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। जो जांच आपने बिठा दी है वह कितनी निष्पक्ष होगी इस पर अभी एक प्रश्नचिन्ह है। इसलिये मैं चाहूंगा कि इस पर पूरी चर्चा सदन में करायी जाय।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आपको सत्ता पक्ष और विपक्ष को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि एक वातावरण यहां बना है जिसमें हम सभी को अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। मान्यवर, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी हैं इसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है। मान्यवर, सभी समाज में ऐसी बातें जो घटती है उसकी कोई जगह नहीं है। सभ्य समाज में बर्बरता के लिये कोई स्थान नहीं होता है। यह घटनायें मान्यवर इसलिये तभी घटित हो जाती हैं जब स्थानीय प्रशासन के स्तर नर लापरवाही होती है उनकी कोई कमी होती है। मान्यवर, इस घटना पर नजर डालें तो 10 जुलाई को जनपद श्रावस्ती के थाना सिरसिया में धनीपुरवा गांव में लगभग 11.30 बजे दिन में कुछ व्यक्तियों का समूह एक गांव में दाखिल होता है वहां मान्यवर आरोप यह है कि एक लड़का एक लड़की को भगा ले गया था जो नाबालिग थी और उसी उत्तेजना में मान्यवर, काफी लोग इक्ट्ठा होकर जाते हैं। गांव में लूटपाट करते हैं और उसके मकान में तोड़फोड़ करते हैं और बर्बरतापूर्वक सामानों की लूटपाट करते हैं। महिलाओं का जो बयान है उसके अनुसार उनके साथ बलात्कार हुआ है। मान्यवर, यह जो सारी बातें हैं इसमें सबसे दुःखद पहलू यह है कि अगर

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

रिपोर्ट लिख ली जाती और तत्परता से कार्यवाही हो जाती तो बात इतनी न बिगड़ती। जब सम्बन्धित लोग जिले के एस0 पी0 के पास गये तब जाकर रिपोर्ट लिखी गयी है। मान्यवर, स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर थाने में लापरवाही की गयी है। अगर वह न की गयी होती तो इस घटना का यह स्वरूप सामने न आता और इससे यहां सभी सहमत हैं। दो बातें महत्वपूर्ण हैं। मान्यवर बलात्कार के मामले में मेडिकल इन्वेस्टीगेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके समय में जितना विलम्ब होता है साक्ष्य उतने ही मिटते चले जाते हैं। इसमें विलम्ब किया गया है। जिन लोगों ने यह विलम्ब किया है उन्होंने साक्ष्य को मिटाने में अपरोक्ष रूप से सहायता की हैं मान्यवर, अगर एफ0 आई0 आर0 तुरन्त लिखी जाती और कार्यवाही हो जाती तो सब कुछ साफ हो जाता कि रेप हुआ है ? मान्यवर, उन औरतों का बयान है कि रेप हुआ है। मान्यवर, यह एक गम्भीर घटना है। न्याय का एक नैसर्गिक सिद्धान्त है और न्यायपालिका उसी पर चलती है कि न्याय होना ही नहीं चाहिये बल्कि दिखना भी चाहिये। अब इसमें कार्यवाही समय से नहीं हुई है इसलिये बात इतनी बढ़ गयी है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि इस घटना में अगर पहले जब लड़की भागी थी और नाबालिग थी, वह एफ0 आई0 आर0 लिख ली जाती और तत्परतापूर्वक कार्रवाई हो जाती तो शायद बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होती और अगर बदले की भावना से कार्रवाई हो गयी थी उस पर रिपोर्ट लिख ली जाती और तत्परता से कार्रवाई हो जाती तो शायद यह सदन इतनी चिन्ता और दुःख न व्यक्त कर रहा होता। निःसन्देह स्थानीय पुलिस का रवैया इसमें किसी भी हालत में माफी योग्य नहीं है उन्होंने अगर लापरवाही नहीं बरती होती अपने कर्तव्यों में शिथिलता नहीं बरती होती तो शायद यह घटना घटित नहीं होती। मान्यवर, आज जिस नैसर्गिक सिद्धान्त का मैं जिक्र कर रहा हूं उसका तकाजा यही है कि सम्पूर्ण घटना की सी0बी0आई0 द्वारा जांच करा ली जाय और अगर सी0बी0आई0 द्वारा जांच हो जायेगी तथ्य सामने आ जायें और अगर इसके अलावा भी सी0बी0आई0 जांच की सहमति न बने तो मैं समझता हूं कि जुडीशियल जांच हो जाय उससे दो बातें सामने आ जायेंगी कि घटना हुई, कैसे हुई, कौन दोषी है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो उसमें भी सहायता मिलेगी इसमें विलम्ब होगा तो वह न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि विलम्ब से दिया गया न्याय कोई मायने नहीं रखता। मान्यवर, इसमें सी0बी0आई0 जांच हो तो वह भी समयबद्ध ढंग से हो या न्यायिक जांच हो तो भी समयबद्ध ढंग से हो। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से पीड़ितों को सुरक्षा देने तथा दोषियों के खिलाफ दण्ड की मांग करता हूं दोषी जो भी हों चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे बड़े से बड़े हों, दोष सिद्ध हो जाने पर किसी की बख्शा नहीं जाना चाहिये। यह भी मैं मांग करता हूं कि एक ऐसा वातावरण बनाया जाय जिससे दोषी चिन्हित हो सकें, उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी है जिससे कि दोषी बच सकें। मैं पुनः कांग्रेस पार्टी की ओर से सी0बी0आई0 जांच या जुडीशियल जांच की मांग करता हूं।

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है जो 7 तारीख को हुआ। और अगर 7 तारीख में जो कहा जाता है एक लड़की एक लड़के के साथ चली गयी या अगवा हुई। अगर उसकी जांच कर ली जाती, यह बात सही है तो मान्यवर, 10 तारीख को एक गांव के अन्दर धुन्नीडीह के अन्दर लोग बाकायदा आये और अल्पसंख्यक औरतों को लड़कियों को वे 5-7 घंटे तक वस्त्रहीन करके टहलाये उसके बाद उनके साथ जो औरतों ने बताया उनके साथ रेप भी हुआ। मान्यवर, यह गौर की बात है कि 7 से 10 तारीख तक वहां टेंशन था, वहां गम्भीर बात हो गयी थी, वहां दिक्कत थी तो प्रशासन क्या करता रहा ? कैसे आने दिया गांव के लोगों को और कौन ताकतें थीं जो गांव को लेकर आ गयीं और बाकायदा वहां जो नंगा नाच हुआ, जो नहीं होना चाहिये हमारी माताओं बहनों के साथ, मातायें बहने सबकी हैं, अगर यह होता है तो हमारे लिये शर्म की बात है। यह शर्म की बात है कि 7-8 घंटे तक यह हो न एफ0 आई0 आर0 हो, न पुलिसवाले कोई आयें, न कोई रोकने आये और उनके परिवार वालों के साथ ज्यादती की जाय यह गलत बात है। इससे रोष तो है ही और याद आ जाता है रामपुर तिराहा, क्या उधम हुआ था उन लोगों ने कर दिया उनके लिये कोई रोने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। मान्यवर, सोचने की बात है चाहे वह बलात्कार का हो और जो उनके साथ ज्यादतियां की गयी उसकी बात हो, चाहे जो अगवा करके लड़का ले गया उसकी बात हो इसकी जांच सी0बी0आई0 से होनी चाहिये और इसके साथ ही जो ज्यादतियां हुयी हैं और प्रशासन ने उन लोगों को आने दिया, गम्भीर बात यह है कि आपने उस गांव के अन्दर उन लोगों को, जो इस नीयति के साथ आये थे कि हम उन औरतों के साथ गलत बात करेंगे, उनको आपने आने दिया, यह सबसे गम्भीर बात है, ऐसे लोगों के साथ सख्ती से कार्यवाही की जाय।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक समिति बनाई गयी और उस समिति का मैं नेतृत्व करते हुये परसों उस गांव में गया था। माननीय ओम प्रकाश जी ने, माननीय प्रमोद तिवारी जी ने और माननीय कौकब हमीद जी ने जिन प्रश्नों को आपके सामने रखा है, उन प्रश्नों के साथ ही मैंने जो कुछ वहां देखा है ओर जो रिपोर्ट तैयार की है, वह बहुत लम्बी है। इसलिये मैं संक्षिप्त में महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने और सदन के सामने लाना चाहता हूं। मान्यवर, धर्मान्तापुर और धुन्नीडीह के बीच में कोई गांव नहीं है। दोनों के बीच में आधा कि0मी0 या एक कि0मी0 का फासला होगा। 7 तारीख को यह बताया गया कि लड़की चली गयी, अपहरण हुआ, क्या हुआ, हम नहीं कह सकते। लेकिन 7 तारीख को गयी, आपने कहा मुकदमा नहीं लिखा गया, आप स्वयं जानते हैं लोकतंत्र रूल आफ लॉ से चलता है और जब

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लोकतंत्र में रूल आफ लॉ नहीं, रूल ऑफ लाठी चलने लगे, रूल आफ पावर चलने लगे तो इस प्रकार की घटनायें स्वाभाविक रूप से हो जाती हैं। मान्यवर, मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया, सामान्य आदमी इसमें इन्वाल्व नहीं थे, गांव में बड़े ब्राह्मण हैं, मैं रास्ते में उन लोगों से मिला भी, उन लोगों ने कहा, मेरी पूरी बात सुनिये। मैंने कहा पूरी सुनने की बात नहीं एक ही घटना आपकी है, वह तो मैं जान चुका हूं। सम्पन्न लोग थे बगल वाला जो गांव धुन्नीढीह है, वहां 30-35 घर मुस्लिम हैं, 50-60 घर के बीच हिन्दू आबादी है। 7 तारीख को घटना हुयी तो 7 तारीख को मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया। आप कल्पना करिये कि यह जाते मुकदमा लिखाने तो क्या हिम्मत थी पुलिस की कि वह मुकदमा न लिखते। आपसे मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि वहां ऐसा संरक्षण है और राजनैतिक संरक्षण के कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुयी, मुकदमा न लिखे जाने से लोगों में आक्रोश था और जब आक्रोश था तो क्या पुलिस को नहीं जानना चाहिये कि मुस्लिम आबादी कमजोर है, गरीब तबके के लोग हैं, थोड़ी संख्या में पी0 ए0 सी0 वहां लगा दी जाय। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो बीसों मुस्लिम आदमी को पकड़कर थाने में क्यों बैठाया गया ? मान लीजिये उनसे पूछताछ करनी थी तो पूरे गांव के लोगों को क्यों लाया गया और जब तीन दिन तक पता नहीं चला था, 7 को, 8 को और 9 को पता नहीं चला तो पुलिस क्या कर रही थी। 10 तारीख को भारी संख्या में लोग वहां इकट्ठा हुये और नाम लेकर बताया एक आलोक मिश्रा, अशोक मिश्रा और घनश्याम पाठक, जो माननीय मंत्री जी हैं, जिन्हें मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, यह उनसे सम्बन्धित लोग हैं, ये लोग भारी संख्या में लाव-लश्कर के साथ उस गांव में गये। बताया मुझे यह भी गया कि ये लोग ट्राली लेकर गये और उसमें बंदूकें भी थीं। साथ में लालबत्ती भी वहां थी और पुलिस के दो लोग भी थे और उसके बाद गांव में यह लोग घुसे। पुरुष संख्या में कम थे, क्योंकि कुछ पुलिस उत्पीड़न की वजह से भाग गये थे और कुछ थाने पर बैठा लिये गये थे, यह लोग जाते ही अगर आप कहें तो सबके नाम बता दूं। पहले जाते ही जो पुरुष मिले उनको तो मारा पीटा, तो पुरुष भाग गये। उसके बाद महिलायें मिलीं, महिलाओं को पकड़ा गया, नंगा किया गया उनके कपड़े उनके सिर पर रखे गये, उनको कई कि0मी0 चलाया गया। कई औरतों ने रो-रोकर कहा कि साहब, मैंने पैर पकड़ा और कहा कि मुझे मार डालो लेकिन मेरी इज्जत न लूटो, उसके बाद भी वह लोग नहीं माने। जब लोग हमारी इज्जत लूटने को तैयार नहीं हुये तो उसमें से कुछ लोगों को दबाया गया, धमकाया गया कि तुम लोग इसीलिये आये हो इसके बाद औरतों के साथ बलात्कार किया गया, इसे औरतों ने रो-रो करके बताया। मेरे पास उनके नाम हैं, 25 औरतों ने रो-रो करके बताया, उनकी बकरियां खोली गईं, घर में घुस-घुस करके घर को तोड़ा गया। एक ने बताया कि वह बम्बई से एक लाख रुपया ले आया था बैनामा कराने को, मुझे मारा भी गया मेरा पैसा भी लूट लिया गया। गांव में जो गरीब तबके के लोग होते हैं, ज्यादातर दीवाल में छेद करके थोड़ा सा उसमें रख करके बाल घड़ी टांग देते हैं या पाट देते हैं, उसने बताया कि देखिये इसमें से खोद करके मेरा जेवर ले जाया गया, रुपया ले जाया गया,

तीन-चार दिन नहीं थे, पशुओं का चारा नहीं था, एक पशु को मरते हुये मैंने खुद अपनी आंख से देखा, जिसके पास चारा नहीं था, बहुत दुबला हो गया था। एक 18-20 साल की लड़की ने रो-रो करके बताया कि किस तरह से मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। कई औरतों ने मुझसे बताया कि एक नहीं साहब दस-दस लोगों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार, दुराचार किया है, मैं रो-रोकर रह गई मेरा कोई सुनने वाला नहीं था। वहां गांव के पास पीपल का पेड़ है, वहां पर इन औरतों को नंगी करके ले जाया जाता था और वहीं बलात्कार किया जाता था, फिर उनको मारा-पीटा जाता था। यह घटना आठ और नौ बजे से शुरू होती है और दो-ढाई बजे तक होती है। थाना-सिरसिया वहां से कुल दो-तीन किलोमीटर होगा, पुलिस के दो लोग साथ में, लालबत्ती पेड़ के नीचे खड़ी थी, भारी संख्या में भीड़ थी, क्या पुलिस को इसकी सूचना नहीं थी इतनी देर तक पांच घण्टे-चार घण्टे तक यह काण्ड चलता रहा फिर भी वहां कोई न जाये तो इससे सीधा स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर सका। पुलिस के लोगों को आप चाहे जितना दण्ड दे दीजिये लेकिन पी0ए0सी0 क्यों नहीं लगायी गयी गांव में ? अगर यह संवेदनशील इश्यू था और यह मान्य था कि साहब यह संवेदनशील इश्यू है, इसे ले करके उत्तेजना हो सकती है। क्योंकि गरीब की इज्जत पर जब हाथ उठता है तो कोई संवेदना नहीं प्रकट करता है लेकिन जब किसी बड़े के घर उंगली उठ जाती है तो आफत आ जाती है और कयामत लाने की कोशिश होती है। यह समाज का स्वभाव है, और जब यह था तो पुलिस को पी0ए0सी0 लगानी चाहिये थी। हम लोगों की तरफ है, घटनायें होती हैं, सतर्कतापूर्वक पी0ए0सी0 लगा दी जाती है उस गांव की सुरक्षा के लिये और यह जानते हुये कि राजनीतिक संरक्षण है, लोगों ने सीधे आरोप लगाया है कि जो मंत्री जी हैं, मंत्री जी के भाई, मैं नहीं जानता हूं कि उनके भाई हैं, आलोक मिश्रा, अशोक मिश्रा, श्री घनश्याम पाठक और भी कई नाम हैं मैं रिपोर्ट टाइप करा रहा हूं, आपको भी मैं रिपोर्ट दे दूंगा और माननीय मंत्री जी को भी दे दूंगा। मान्यवर, एक-एक औरत का नाम लेकर बतायें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं नाम न लें।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[xxx] ने बताया कि इसे नंगा करके दो किलोमीटर तक घुमाया गया और गांव के उत्तर की ओर ले जा करके बलात्कार किया गया। दूसरी औरत है [xxx] लड़की है जो लगभग 10 वर्ष की है। इसके साथ बलात्कार किया गया।

श्री अध्यक्ष-

कृपया नाम न लें।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

नाम न पढ़ें क्या ?

समाजवादी पार्टी के कई माननीय सदस्य-

नाम पढ़ करके बतायें तभी तो पूरी बात आ पायेगी।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

तीसरी [xxx] जो 20 वर्ष की है, इसको घर से पकड़कर ले आये, पूरे कपड़े उतरवाकर दौड़ाकर पीटा गया, गन्ने के खेत में ले जाया गया, पीपल के पेड़ के पास ले गये, फिर इसके साथ बलात्कार हुआ। चौथी है [xxx] इसने बताया कि इसके घर में घुसकर, पकड़कर, कपड़ा उतरवाकर नंगा किया गया, दो किलोमीटर ले जाया गया और इसके साथ भी वही व्यवहार किया गया। पांचवीं, [xxx] इसके बताया कि इसकी लड़की, बकरी तथा इसके घर के सारे लोग भाग गये और उसके साथ भी दुराचार किया गया। छठवां है [xxx] यह अपने घर में थी, इसने बताया कि जैसे वह लोग आये वैसे ही हम लोग भागने लगे, इसलिये घर में रखा सारा सामान ले गये, 36 हजार हमारा रुपया ले गये, पांच थान जेवर ले गये और इसे पेड़ के नीचे ले जाकर दस लोगों ने इसके साथ दुराचार किया। उसने यह भी बताया कि अशोक मिश्रा, आलोक मिश्रा, घनश्याम पाठक और प्रकाश प्रधान धर्मन्तापुर उसके घर से सब सामान, बर्तन, राशन उठा ले गये और पांच दिनों से उसके घर के लोग बाहर हैं। [xxx] ने बताया कि वह घर में थी लोग आये उसे पकड़कर ले गये, नंगा करके गांव में घुमाया तथा मारापीटा, उसे चोटें आयी हैं मैंने उसकी चोटें देखी हैं तथा 6 व्यक्तियों ने बलात्कार किया।

श्री अध्यक्ष-

जांच रिपोर्ट दे दीजियेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

तीसरी है [xxx] ने बताया कि जब लोग उसके घर पर आये तो वह घर के अन्दर थी उसे घर में पकड़कर लूटपाट की तथा नंगा करके बरगद के पेड़ के नीचे ले गये तथा 10 व्यक्तियों ने उसके साथ दुराचार किया। मैं नाम पढ़ देता हूं आप जान लीजिये। [xxx]

श्री लालजी वर्मा-

अगर कोई पीड़ित महिला है उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ तो नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, नाम पढ़कर क्या साबित करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

हर व्यक्ति की इज्जत होती है नाम पढ़कर क्या साबित करना चाहते हैं ?

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट लाये हैं माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी उस चेयर पर रहे हैं, आज से नहीं कितने अनुभवी नेता हैं।

(श्री घूराराम द्वारा कुछ कहने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव-

चलिये हुड़दंग करिये, चलिये हुड़दंग करिये।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री मुलायम सिंह यादव-

और मैंने रिपोर्ट भी देखी है। यह बात अखबारों में आ चुकी है कि नंगा किया गया, यह इलाके में पूरा पता है। यह नई बात कौन सी है। लेकिन कार्यवाही में तो लाना ही पड़ेगा पूरे प्रदेश के अन्दर और उत्तर प्रदेश के बाहर पत्रकारों ने सहयोग किया है, वह बेमिसाल है। अगर अखबारों में आ चुका है तो उसे यहां पढ़ने में कौन सी आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं।

(हाजी याकूब द्वारा खड़े होकर कुछ कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, आप बैठिये। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी इस भावना से नहीं कहा था, मैं सोच रहा था कि जिन लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है उनका नाम प्रोसीडिंग में न आये, इस बिन्दु पर कह रहा था। बात समाज में आ चुकी है, तो मैं उसका एतराज नहीं कर रहा हूं कि नाम न आये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कार्यवाही में नाम न आये तो ज्यादा उचित होगा।

श्री अध्यक्ष-

कोई रोक नहीं है, अगर मा0 पाण्डेय जी कह रहे हैं कि बलात्कार हुआ, फलां लड़की के साथ बलात्कार हुआ, फलाँ लड़की के साथ बलात्कार हुआ, वह पढ़ें, हम नहीं एतराज कर रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, हुआ या नहीं हुआ, मैं तो यह कह रहा हूं कि लोगों ने मुझे बताया। मैं आपसे आग्रह करूंगा बजाय इसके सम्पूर्ण सदन से मैं बहुत सी घटनाओं में गया हूं,

बहुत सी यहां इस पर बहस भी हुई है, सजाएं भी हुई हैं और न्यायिक जांच भी हुई है, मुझे भाग लेने का अवसर मिला है। मैं एक निवेदन आपसे करूंगा आप और संसदीय कार्य मंत्री जी चले जायं और हमारी अगर इन बातों को झूट पायें तो जो आप कहेंगे मैं मान लूंगा। आप दोनों चले जाइये।

श्री अध्यक्ष-

मैं आपकी बात को झूट नहीं मान रहा हूं। माननीय पाण्डेय जी, हम उस बिन्दु पर नहीं जा रहे हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मैं पूरी लिस्ट पढ़ूं, मैं यह रिपोर्ट छपवा दे रहा हूं सारी रिपोर्ट माननीय सदस्यों को भी दे दूंगा। लेकिन मा0 अध्यक्ष जी, यह सही है कि जघन्य कृत्य है, इस कृत्य की जितनी निन्दा की जानी चाहिये वह कम है। झगड़ा दो परिवारों का था, एक पंडित का था जिनकी लड़की गयी दूसरा मुस्लिम परिवार था जिसका लड़का गया, पूरा परिवार न तो मुसलमान का इससे सम्बन्धि था न हिन्दुओं का परिवार इससे सम्बन्धित था इसलिये हिन्दुओं के इस झगड़े को साम्प्रदायिक बात करना, इस झगड़े को दो बिरादरी की बात करना उचित नहीं है। मेरी आपसे मांग है कि इस घटना की निन्दा की जानी चाहिये और इस घटना की जांच करनी चाहिये। क्या आपके एस0 पी0, दरोगा की हिम्मत थी अगर जाते तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, ब्लाक प्रमुख हैं, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। लेकिन उसके पीछे कारण रहा होगा, कारण यह रहा होगा कि प्रयास करो लड़की मिल जाये, इज्जत बच जाये, कोई बवाल न हो, यह भी प्रयास हो सकता है। दूसरी बात यह हो सकती है कि क्या पुलिस की हिम्मत थी कि उस गांव में 4 घण्टे तक लूटपाट हो और पुलिस न पहुंचे, इसके पीछे बड़ा भारी षड़यंत्र था और मेरा आरोप है कि इसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोगों ने भारी संख्या में एकत्र हो करके उस गांव में लूटपाट की, घर गिराये गये, दरवाजे तोड़े गये, ट्रैक्टरों पर सामान लादकर लाये गये, बकरी तक उठा ले जायी गयी। जितना भी निन्दनीय कृत्य करना चाहिये था सब निन्दनीय कृत्य किया गया। मेरा आग्रह है कि मेरी रिपोर्ट आप मानें या न मानें जो कुछ मानें आग्रह है कि अध्यक्ष जी आप चले जायें और संसदीय कार्य मंत्री जी चले जाएं कल ही चले जाइये आपको पता चल जाएगा। जहां तक यह कहा जाता है कि बनावट है एक औरत उसके 12 दिन का बच्चा था वह रो-रो कर कहती है रही कि मेरी इज्जत बख्श दो मेरे 12 दिन का बच्चा है, मुझे छोड़ दो लेकिन दरिन्दों ने उसे भी नहीं छोड़ा यह सारी बातें बनावटी होतीं तो दर्द भरी बातों से पता चल जाता। वहां पर कोई चला जाए घटना स्थल को देखने से ही पता चल जाएगा जहां अनाज रखा जाता था सब तोड़ा-फोड़ा गया है। एक के घर में पैसा रखा हुआ था उसका घर खोदकर पैसे निकाले गये घर खुदा हुआ पड़ा है। वहां पर गांव के पुरुष गांव छोड़कर चले गये जब हम लोग गये तो कुछ पुरुष वापस आये जो महिलायें चली गयीं उनमें

कितनी तो अभी तक लौटी ही नहीं हैं। यह गम्भीर घटना है इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिये। दूसरी बात यह जो मंत्री जी हैं मैं इनसे आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि संवेदनशीलता सबके प्रति होनी चाहिये। हम राजनीतिज्ञ लोग हैं समाज को सुधारने, सामाजिक रक्षा का दायित्व लेकर राजनीति में आते हैं अगर आप किसी पद पर न हों तब तो आक्रोश प्रकट कर सकते हैं लेकिन जब आप किसी पद पर हों तो यह आपका दायित्व बनता था आपको जानकारी थी कैसे नहीं दरोगा ने रिपोर्ट लिखी कैसे इनको दौड़ना पड़ा। हम सभी लोग जानते हैं कि लोग गांव सभा के सदस्य का चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते हैं लेकिन अगर सत्ताधारी दल से जुड़े होते हैं तो दरोगा को घर पर बुला लेते हैं वहीं से उसको निर्देश देते रहते हैं कि इनका दफा 151 में चलान कर दो इनको घर से पकड़वा लें ऐसी स्थिति में मंत्री जी के क्षेत्र में दरोगा कैसे रिपोर्ट नहीं लिखता क्या यह गम्भीर बात नहीं है। वहां पर घरों में चार घण्टे तक लूट पाट होती रही ओर पुलिस क्यों नहीं पहुंची मेरा आरोप है कि यह सब मंत्री जी के संरक्षण [illegible] आ मंत्री जी को खुद त्याग-पत्र दे देना चाहिये अगर जांच के बाद आरोप सिद्ध न हों तो [illegible] मंत्री बन जायेंगे। श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, है इजाजत।

श्री अध्यक्ष-

हां।

श्री मुलायम सिंह यादव-

माननीय ओम प्रकाश सिंह जी, माननीय प्रमोद तिवारी और नेता लोकदल तीनों के भाषण से आपने अहसास कर लिया मालूम कर लिया कि मामला क्या है जो माता प्रसाद पाण्डेय जी ने अपनी रिपोर्ट रखी है उससे कहीं न कहीं सहमति है। यहां जो नैसर्गिक न्याय है उस सम्बन्ध में जो कुछ कहा गया। यह भी सही है कि जिस परिवार की बेटी और जिस परिवार का लड़का ले गया या जो भी हो ऐसी एक नहीं अनेक घटनायें हैं उसको हम अच्छा नहीं मानते हैं। लड़की सहमति से गई है या असहमति से गई है यह सारी बातें पता चल जाएंगी लेकिन उस परिवार में लड़के के बाप की क्या गलती है, ऐसे मामलों में उस की मां की क्या गलती है, बहन की क्या गलती है, उसके परिवार की क्या गलती है कोई सदन में यह कहे। अध्यक्ष महोदय, आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस इलाके का मंत्री जिस गांव का मंत्री ऐसा नहीं है कि उसको घटना का पता न हो। मैं कहता हूं कि मिनट-टू-मिनट क्षण-प्रति-क्षण की खबर रहती है। अध्यक्ष महोदय आजकल मोबाइल है, टेलीफोन है। मैंने आपको चैम्बर में उदाहरण दिया था मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं अभी हाल ही में हमारे यहां एक घटना हुई थी उसमें [illegible] बेटे ने बचाया था। हम यहां बैठे हैं अगर क्षेत्र में कुछ हो जाये तो तुरन्त हमारे पास पर्ची आ जाएगी। मंत्री जी को क्षेत्र के बारे में पता न चले यह हो नहीं सकता है। क्या कोई ऐसी हिम्मत कर

सकता है। बिना मंत्री की राय के रपट न लिखना, उत्तेजना फैलाना और चार-पांच घंटे तक यहां आपको सूचना नहीं मिली। कैसे कह सकते हैं ? हम भी जानते हैं हमारे यहां गांव में कोई घटना हो जाय तो तुरन्त यहां सूचना आ जायेगी। कोई बता दे मंत्री नेता या कोई कि चार घंटा, पांच घंटा क्या हुआ उसे पता नहीं था। यह कैसे मान सकते हैं ? यह तो सामान्य ज्ञान की बात है। अगर कहीं भी कुछ भी हो। अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं आपसे कि कोई भी महिला अपनी इज्जत को इस तरह से दिखाने के लिये और कहने के लिये तैयार नहीं होती है। आज मैं कह सकता हूं कि बहुत सी लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने नहीं कहा। मुझे खबर है कि बहुत सी लड़कियां हैं, जो अविवाहित हैं, उनकी शादी होनी है उन लड़कियों ने अभी तक नहीं कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ और न उनके परिवार ने कहने दिया है। आप स्वयं विचार करें कि 4 घंटे तक 5 घंटे तक इतनी बड़ी भीड़ और वहां कोई पुरुष नहीं, कोई नौजवान नहीं परिवार का, केवल महिलाएं हैं तो क्या करती रहीं ? अगर लूटपाट थी तो 20 मिनट हुई होती। 15 मिनट 20 मिनट में तो लूट-पाट हो जाती है। बड़ी-बड़ी लूट होती है। डकैत आते हैं और 15 मिनट में लूटकर सब लेकर चले जाते हैं लेकिन यहां पर 4-5 घंटे तक क्या होता है ? इसलिये अध्यक्ष महोदय यह भी सदन का अगर महत्व कम हुआ मैं जानता हूं कि न्याय पालिका की जांच का विषय होता है। सरकार के सामने आती है सरकार उसको स्वीकार करे या न करे। यह पता होना चाहिये माननीय ओम प्रकाश जी आप वरिष्ठ नेताओं में से हैं और लॉ-मिनिस्टर भी रहे हैं हमारे साथ। इसलिये हम कहना चाहते हैं कि जूडिशियरी न्याय की जांच भी सरकार के समक्ष आयेगी। कैबिनेट स्वीकार करती है या नहीं करती है। जहां तक सी0 बी0 आई0 का सवाल है. सी0 बी0 आई0 देख तो ली पूरा देश जानता है, सुप्रीम कोर्ट जानता है और नहीं है तो जान जायेगा पूरा देश कि सी0 बी0 आई0 क्या करती है ? सी0बी0आई0 की जांच को सब देख चुके हैं एक नहीं अनेक घटनायें हो चुकी हैं। हम भी देख रहे हैं कि कहां जाते हैं ? छापा कहां मारते हैं, कहां का मार रहे हैं। यह बात जानकारी में आ चुकी है। बड़े से बड़े अधिकारियों की भी आ चुकी है, इसमें हम नहीं जाना चाहते इसलिये अध्यक्ष महोदय सदन में अगर कोई भावुक हुआ हो न हुआ हो जब पैरों पर गिरकर एक महिला कहती है कि मेरी इज्जत बचा लो तो अध्यक्ष महोदय मेरा तो गला भर आया था सुनके। पता मुझे सब है। टेलीफोन से भी पता है। इनकी रिपोर्ट से भी पता है। इतनी शर्मनाक घटना हुई है लेकिन इस तरह की घटना हो और 4-5 घंटे तक एक मंत्री के गांव वाले परिवार वाले जायं मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि मंत्री का परिवार नहीं जाता तो कोई नहीं जा सकता था। मंत्री का परिवार मंत्री के बिना पूछे नहीं जा सकता। इतने मंत्री बैठे हैं कोई ऐसा नहीं कर सकता, यह मंत्री बता दें। इसलिये मेरा सीधा आरोप है और इस बात का समर्थन करता हूं माननीय माता प्रसाद पांडेय का कि उनको तत्काल इस्तीफा देना चाहिये था और नहीं इस्तीफा दे रहे तो माननीय अध्यक्ष जी आप पीछे पड़ करके इस्तीफा दिलवाइये। इसके अलावा कोई और नहीं। हमारी मांग यही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दिनांक 7 तारीख और 10 तारीख की दोनों घटनाओं की मैं निन्दा करता हूं और मेरा मानना है और इस सरकार का मानना है जिसका नेतृत्व बहिन कुमारी मायावती जी कर रही हैं, कि अपराधी कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी राजनैतिक पार्टी से संबंधित हो, अपराधी अपराधी है उसके साथ कोई रियायत नहीं होनी चाहिये। मान्यवर, निश्चित रूप से यह घटना हुई और उस घटना के आधार पर एफ0 आई0 आर0 दर्ज हुई है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, जहां मंत्री बैठे हों वहां उसी तरह की एफ0 आई0 आर0 होगी, उसी तरह की देरी होगी। मंत्री जिस गांव के हों, परिवार हो, और गांव में पांच घंटे तक कोई पुलिस न पहुंचे। पूरी फौज हो, कहें लाल बत्ती है। अध्यक्ष महोदय क्या सफाई चाहते हो ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह सरकार घटना को छिपाना नहीं चाहती है और मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं आपने भी बहुत घटनाओं का जिक्र किया होगा और मा0 कौकब हमीद साहब ने अपनी बात रखते हुये एक घटना का जिक्र किया मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन इस घटना की गम्भीरता को सरकार ने समझा और उसी आधार पर कार्यवाही भी की है। जहां तक मंत्री जी की बात आती है ..

श्री मुलायम सिंह यादव-

कांस्टेबिल और दरोगा को बर्खास्त करने से महत्ता कम हो जाएगी।

श्री लालजी वर्मा-

पूरी बात आने दीजिये नेता प्रतिपक्ष।

श्री मुलायम सिंह यादव-

एक सिपाही को बर्खास्त करने से न्याय नहीं मिल सकता है।

श्री लालजी वर्मा-

जो तहरीर दिया गया है अब्दुल रहमान साहब ने एक तहरीर दिया और उन्होंने तहरीर में एक बार भी यह जिक्र नहीं किया है कि मा0 मंत्री जी का या उनके परिवार के किसी सदस्य का हाथ है (समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे)

मान्यवर, कहीं पर भी नहीं आया मेरे पास एफ0 आई0 आर0 की प्रतिलिपि है जिसमें अब्दुल रहमान ने घटना का जिक्र किया और कहीं भी न तो बलात्कार की बात कही और न ही कहीं पर उन्होंने मंत्री के भाई की बात कही। जहां तक मान्यवर, मंत्री जी की बात है तो मंत्री जी दस तारीख को इसी सदन में उपस्थित थे।

(घोर व्यवधान)

रामपुर तिराहा का काण्ड हुआ तत्कालीन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की थी और जो आज घटना हुई इसमें शिथिलता के लिये दोषी पाये गये थाना प्रभारी सिरसिया श्री नवीन कुमार मिश्रा को बर्खास्त किया गया। प्रदेश के इतिहास में यह पहली घटना है कि शिथिलता के आरोपी को किसी दरोगा को बर्खास्त किया गया।

(समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्य नारे लगा रहे थे और मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगे)

मान्यवर, इलाहाबाद मदरसा काण्ड हुआ उसको मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कितनी प्रमुखता दी, इसको पूरे प्रदेश की जनता ने देखने का काम किया अपराधियों को बचाने का काम किया गया हम अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ कार्यवाही करने के लिये यह सरकार तैयार है। मान्यवर, क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी मयाराम निलम्बित किये गये पुलिस अधीक्षक निलम्बित किये गये ..

(घोर व्यवधान)

मुस्लिम पक्ष द्वारा लिखाये गये अभियोग अपराध संख्या-3167 धारा 147, 323, 504, 427 और 506 में दस व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं अपहृत बालिका की बरामदगी हेतु एक टीम बम्बई रवाना हो चुकी है। मान्यवर, इस गम्भीरता को देखते हुये उच्च स्तरीय जांच आयुक्त, देवी पाटन मंडल उससे बड़ा अधिकारी कौन हो सकता है। आयुक्त के द्वारा जांच की जा रही है और आयुक्त के द्वारा जांच करने पर जो दोषी पाया जाएगा निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक बलात्कार की बात है प्रार्थना-पत्र में अंकित 21 महिलाओं का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया और प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मेड़िकल परीक्षण में बलात्कार की पुष्टि नहीं होती है। मान्यवर, लेकिन घटना निन्दनीय है कार्यवाही पूरी हो चुकी है अपोजीशन के पास कोई मुद्दा नहीं बचता है और जब मुद्दा नहीं बचता है तो इनको लोकतांत्रिक ढंग से हमारी बात सुनने के लिये फुरसत नहीं है केवल हल्ला बोलने के लिये, केवल हल्ला करने के लिये केवल इस विधान सभा को हल्ला मचाने का केन्द्र बनाना चाहते हैं। वेल में आये हुये समाजवादी पार्टी के सदस्य नारे लगा रहे थे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, विधान सभा को केवल हल्ला मचाने का एक केन्द्र बनाना चाहते हैं, कार्यवाही से कोई लेना-देना नहीं है और इसके माध्यम से साम्प्रदायिकता फैलाना चाहते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं, मान्यवर, कि इस सरकार के रहते इनके तमाम प्रयासों के बाद भी किसी भी तरह से साम्प्रदायिकता नहीं फैलने पायेगी और साम्प्रदायिक ताकतों को कुचलने का काम किया

जायेगा और प्रदेश की कानून-व्यवस्था के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जायेगी, इस बात को मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, निश्चित रूप में मुझे बड़ा कष्ट होता है कि अपनी बात को आपने बड़े ढंग से सुना लिया, मुझे तरस आता है श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी पर, उन्होंने एक नया इतिहास रचा है, इस कुर्सी पर बैठकर। ऐसे लोगों से अगर निष्पक्षता की कामना करें जिन्होंने इस प्रदेश को सर्वोच्च न्यायालय में कलंकित करने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति की जांच पर हम भरोसा कर लें ? जिस तरह से उन्होंने चित्रण करने का काम किया, उन मासूमों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन आज उन्होंने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया। उस आसन पर बैठकर भी लोकतंत्र को कलंकित किया था और आज यहां भी लोकतंत्र को कलंकित कर रहे हैं। मान्यवर, इतना ही नहीं, श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में जब प्रदेश में उनकी सरकार थी, जब रामपुर तिराहा काण्ड हुआ था, उसमें क्या कार्यवाही इन्होंने किया था ? हमने तो कार्यवाही करके दिखाया है, पुलिस अधीक्षक को सस्पेंड करके हमने एक नयी व्यवस्था करने का काम किया है। मान्यवर, निश्चित रूप से यह सरकार गम्भीर है, अगर चाहते हो कार्यवाही करना तो निश्चित रूप से आइये, आप मांग करिये, हम कार्रवाई करने के लिये तैयार हैं। लेकिन आप केवल अपनी बात सुनाकर राजनैतिक रोटी सेंकना चाहते हैं, उस क्षेत्र की जनता ने आपको पीछे खदेड़ने का काम किया, आप दूसरे नम्बर पर भी नहीं आने पाये। अपनी कमी को छुपाने के लिये आज ऐसा माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बहन कु0 मायावती जी के उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री रहते कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत किसी भी व्यक्ति को नहीं दी जायेगी, नहीं दी जायेगी। इसलिये मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि यह नियम-56 के तहत आ ही नहीं सकता, इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इसको अग्राह्य करें और निश्चित रूप से जनता ने इनके ऐसे कर्तव्यों के कारण ही, इनके इस हल्ला मचाने के कारण ही इनको दण्ड देने का काम किया है और यदि आज भी लोकतंत्र की इज्जत करना नहीं सीखे तो प्रदेश की जनता आपका माफ करने वाली नहीं है, मान्यवर, मैं चाहूंगा कि आप इसको अग्राह्य कर दें और एजेण्डे के और विषय ले लें। मान्यवर, इसमें 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 सदस्यों और संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि महिलाओं के जो नाम आये हैं, आप उनको कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, निकलवा देंगे।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 जुलाई, 2007 को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं :-

पहली सूचना श्री बाला प्रसाद अवस्थी की उपस्थित नहीं हैं। दूसरी सूचना श्री निर्मल वर्मा की उपस्थित नहीं हैं। तीसरी सूचना श्री बिरजू राम की जौनपुर के केराकत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा कनौरा में पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल की पालीटेक्निक विद्यालयों (सहायतित) के वेतन प्राविधान 1998 के स्तर पर सीज किये जाने एवं रिक्त पदों को न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री यशपाल सिंह चौहान की हाथरस के सिकन्दराराऊ क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पिपरगवां के पास पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में है। छठवीं सूचना श्री विद्या सागर गुप्ता की लखनऊ पूर्वी क्षेत्रान्तर्गत अमीनाबाद वार्ड स्थित जंगली गंज में 01 जून, 2007 को हुये अग्निकाण्ड के प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत दखवा से इब्राहिमपुर घाट तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की उपस्थित नहीं है। नौवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा विद्यालयों के पुस्तकालयों की दशा सुधारने के लिये कार्य योजना बनाकर लागू करने के सम्बन्ध में हैं दसवीं सूचना श्री धनन्जय सिंह की जनपद जौनपुर के रारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत गढ़ासैनी होकर जाने वाले रीठोघाट पर सई नदी पर सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है

(स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गईं)

(घोर व्यवधान जारी)

जौनपुर के केराकत क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा कनौरा में पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिरजू राम-

श्री अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा क्षेत्र केराकत जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत 10 खं0-शाहा में ग्राम सभा-कनौरा जो मुख्यालय से काफी दूरी पर हैं। वहां पर कोई पशु

नोट :- यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चिकित्सालय की व्यवस्था नहीं हैं। पशु चिकित्सालय वहां से काफी दूरी पर है जिससे बीमार पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था में अत्यन्त कठिनाइयों का सामना पड़ता है। इस बात को लेकर क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए केराकत वि0खं0-ग्राम सभा-कनौरा में पशु चिकित्सालय खुलवाये जाने की मांग करता हूं।]

पालीटेक्निक विद्यालयों (सहायतित) के वेतन प्राविधान 1998 के स्तर पर सीज किये जाने एवं रिक्त स्थानों को न भरे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल -

[अध्यक्ष महोदय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इस दौर में तकनीकी विद्यालयों के महत्व से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। रोजगारोन्मुख शिक्षा से बेरोजगारी को कम करने तथा बेरोजगार नौजवानों को स्व-रोजगार की ओर प्रेरित करने का अकेला माध्यम है। प्रदेश के पालीटेक्निक विद्यालयों की इस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका है।

इन पालीटेक्निक विद्यालयों के सफल संचालन हेतु विद्यालयों के कर्मचारियों एवं अध्यापकों के हितों का ख्याल रखना अत्यन्त आवश्यक है। शासन द्वारा इन संस्थाओं के बजट प्राविधान, 1998 के स्तर पर फ्रीज कर दिये जाने के कारण इन पालीटेक्निक विद्यालयों के अध्यापकों को वर्ष के 7-8 माह का ही वेतन मिल पाता है।

अध्यापकों/कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित हो जाने, महंगाई भत्ता बढ़ जाने, कार्यरत कर्मचारियों के सेवाकाल बढ़ने, मकान किराया भत्ता बढ़ने तथा 8,14,19 एवं 24 की सेवा पर चयन वेतनमान/प्रोन्नति वेतनमान के अनुसार वेतन में वृद्धि के कारण 1998 के बाद से वेतन मद में तिगुनी वृद्धि हुयी है।

अधिकांश पालिटेक्निक में शासन द्वारा सृजित एवं स्वीकृत विभिन्न शैक्षणिक एवं लिपिकीप वर्ग के पद रिक्त चल रहे हैं। उच्च स्तरीय पठन-पाठन के सुचारु संचालन के लिये यह भी आवश्यक है कि इन रिक्त पदों को जनहित में अविलम्ब भरा जाये। तथा 1998 के वेतन फ्रीज को डी-फ्रीज किया जाये :

लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर विधान सभा कार्य प्रक्रिया नियमावली के नियम-301 के तहत शासन को पहल पर जवाब देने हेतु निर्देशित करें।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हाथरस के सिकन्दराराऊ क्षेत्र के गांव पिपलगवां के पास पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री यशपाल सिंह चौहान-

[अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ की कोतवाली सिकन्दराराऊ के अन्तर्गत ग्राम पिपलगवां जो कि मेरा गांव है कोतवाली से लगभग 12 किमी0 दूर है। यह जनपद एटा की सीमा से लगा हुआ है इसलिए एटा जनपद के अपराधियों का आवागमन भी इसी रास्ते से होकर आना-जाना लगा रहता है। यहां पर कोई पुलिस सहायता केन्द्र न होने के कारण आये दिन अपराधी अपनी वारदातों को आसानी से अंजाम देकर चले जाते हैं। यहां से सिकन्दराराऊ कोतवाली 12 किमी0 दूर होने के कारण घटना की सूचना भी तत्काल नहीं दी जा सकती है। इसलिए जनहित में ग्राम पिपलगवां के पास एक पुलिस चौकी स्थापित किया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र पुलिस चौकी खोले जाने की मांग करता हूं।]

लखनऊ के अमीनाबाद वार्ड स्थित जगंलीगंज में 01 जून, 2007 को हुए अग्निकाण्ड में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विद्यासागर गुप्ता-

[श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूर्वी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के अमीनाबाद वार्ड स्थित जंगलीगंज में 1 जून, 2007 को हुए भीषण अग्निकाण्ड में की तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

पूर्वी विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के अमीनाबाद वार्ड के जंगलीगंज में 1 जून, 2007 को हुए भीषण अग्निकाण्ड में 13 परिवारों का सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवारों के पास न तो खाने के लिए कुछ बचा है न ही पहनने के लिए। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा पीड़ितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा गया है परन्तु अभी तक पीड़ित परिवारों को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा नहीं प्रदान की गयी है। परिवार इस समय भुखमरी के कगार पर हैं।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल सहायता उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत दखवा से इब्राहिमपुर घाट तक क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[अध्यक्ष महोदय, जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग दखवा से इब्राहिमपुर घाट जो लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाया गया है, विगत तीन वर्षों से क्षतिग्रस्त है एवं संचालन योग्य नहीं रह गया है। साथ ही इब्राहिमपुर पुल जिसका दखवा से चलने पर प्रारम्भ का हिस्सा जनपद प्रतापगढ़ में पड़ता है और सुल्तानपुर के विजेथुआ धाम से चलने पर पुल का दूसरा छोर जुड़ता है। पुल के दोनों ओर के पहुंच मार्ग तथा दखवा से इब्राहिमपुर तक का सम्पर्क मानक के अनुरूप न होने के कारण कई हजार लोगों को गम्भीर जन असुविधा है और आये दिन दुर्घटना होने की आशंका क्षेत्रीयजनों द्वारा व्यक्त की जाती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक तथा विद्यालयों के पुस्तकालयों की दशा सुधारने के लिए कार्य योजना बनाकर लागू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[अध्यक्ष महोदय, लगभग एक वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। इसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय एक पुस्तकालय परिषद का गठन होना था, जिसमें मा0 माध्यमिक शिक्षा मंत्री को अध्यक्ष के रूप में तथा प्रमुख सचिव (मा0 शिक्षा) को उपाध्यक्ष के रूप में नामित होना था। अभी तक यह सुनिश्चित जानकारी नहीं मिल पायी है कि इस पुस्तकालय परिषद का गठन हो गया है अथवा नहीं। जनपद स्तर पर पुस्तकालयों की स्थिति आज भी बहुत दयनीय है। सार्वजनिक पुस्तकालय का स्टाफ कहीं काम कर रहा है और पुस्तकालय खुलते नहीं है। प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालयों के कर्मचारियों के काफी पद रिक्त चल रहे है उनके भरने की व्यवस्था भी सरकार के द्वारा नहीं की गयी है। राज्य के सहायता प्राप्त इण्टर कालेजों में भी पुस्तकालय स्टाफ के पद रिक्त चल रहे हैं, इनको भरने की भी जनहित में आवश्यकता है। कर्मचारियों की कमी की वजह से पुस्तकालय का कार्य सुचारु रूप से नहीं चल पाता, जिससे पुस्तकालयों का होना भी निष्प्रयोज्य हो गया है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनहित में प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालयों की दशा चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है। यह समय से तभी खोले बन्द किये जा सकते हैं जब आवश्यकता के अनुरूप स्टाफ की तैनाती हो।

लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पुस्तकालय अधिनियम के अनुसार प्रदेश के सार्वजनिक पुस्तकालयों की तथा विद्यालयों में स्थित पुस्तकालयों की दशा सुधारने के लिए एक कार्य योजना बनाकर तत्काल लागू की जाय।]

जौनपुर के रारी क्षेत्रान्तर्गत राठी घाट पर सई नदी पर सेतु बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धनन्जय सिंह-

[श्री अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं। जनपद जौनपुर के रारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-56 से प्रदेशीय राजमार्ग को जोड़ने हेतु राठी घाट पर सई नदी पर पुल की महती आवश्यकता है। वक्त तेजी बाजार, लोहिन्दामार्ग से गढ़ासैनी होते हुए, भर्रीरा, इदौली होते हुए लखनऊ-माझीघाट मार्ग को जोड़ता है। लखनऊ माझीघाट मार्ग महत्वपूर्ण राजमार्ग है। इस मार्ग पर (गढ़ासैनी होकर राठी घाट पुरा) पुल निर्माण से लाखो-लाख आबादी प्रभावित होगी। इसकी मांग लम्बे समय से चल रही है। किन्तु अभी तक इस पर कार्यवाही न होने से क्षेत्रीय जनता में असंतोष तथा आक्रोश व्याप्त है। इस लोकप्रिय सरकार से काफी आशायें हैं।

आपसे अनुरोध है कि क्षेत्रीय जनजीवन से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।]

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दसवीं कक्षा की जीव विज्ञान की पुस्तक विद्या भारती में प्रजनन विषय पर अश्लील भाषा और रेखाचित्रों का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 जुलाई, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित एक सूचना प्राप्त हुई है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा दसवीं कक्षा के जीव विज्ञान की पुस्तक विद्या भारती के पृष्ठ संख्या-175 पर प्रजनन विषय पर अश्लील भाषा तथा रेखाचित्रों का उल्लेख किये जाने के सम्बन्ध में है। इसमें मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। यह विषय बहुत ही संवेदनशील, गंभीर एवं अत्यन्त महत्व का है।

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 03 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घोषित करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 03 जुलाई, 2007 के उपवेशन में पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 06 जुलाई, 2007 की बैठक में पारित किया गया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 12 जुलाई, 2007 को प्राप्त हो गई और वह सन् 2007 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

3 और 4 में कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-5 और 6 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा के आधार पर

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 24-8-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 ††

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मन्त्री (श्री लालजी वर्मा)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश वन निगम (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 16 जुलाई, 2007 को नियम-311 में प्राप्त 5 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुईं। जिनमें से निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गईं। प्रथम दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। पहली सूचना 1-श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री प्रमोद तिवारी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री शिवपाल सिंह यादव, डा0 सकलदीप राठौर एवं श्री जगदम्बा प्रसाद श्रीवास्तव के भाग लिए जाने के अन्तर्गत पथित अपहरण की घटना तथा प्रतिक्रियास्वरूप घटी घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी, श्री अरविन्द सिंह गोप, श्री लालजी यादव, श्री जोखूलाल यादव, श्री श्यामदेव राय चौधरी की जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर अन्तर्गत अजमेर शरीफ जा रहे जायरीनों को लूटे जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह 'सीपू' की जनपद आजमगढ़ के सगड़ी क्षेत्रान्तर्गत दलित परिवार के पांच व्यक्तियों द्वारा रेल से कटकर आत्महत्या किए जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर के तहसील भवन के जर्जर होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित नहीं की गईं, अतः अस्वीकृत हुई :-

1-सर्वश्री प्रमोद तिवारी, प्रदीप माथुर, अजय कपूर, प्रदीप जैन आदित्य, अनुग्रह नारायण सिंह, अजयपाल सिंह, विनोद चतुर्वेदी तथा संजीव दरियाबादी,

---

†† दिनांक 20-8-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

2-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल तथा श्री संजय कपूर,

3-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री श्रीपति आजाद,

4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

5-श्री ओम प्रकाश सिंह तथा डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल,

6-श्री इमरान मसूद,

7-श्री दुर्गा प्रसाद यादव,

8-श्री अवधेश प्रसाद,

9-श्री धनन्जय सिंह,

10-श्री दीप नारायण सिंह,

11-श्री आर0 के0 चौधरी।

श्री अध्यक्ष-

मैं इन सभी सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं।

(व्यवधान के मध्य)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं संस्थागत वित्त मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,80,44,41,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

कोई माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, सदन में व्यवधान आर चर्चा नहीं हो पा रही है, आप अपना भाषण लिखकर दे दें वह कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा। मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह

है कि अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-37-नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,80,44,41,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक के अनुदान की मांग पर चर्चा और मतदान-अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं संस्थागत वित्त मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,73,48,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना भाषण लिखकर दे दें यह कार्यवाही † का अंग मान लिया जायेगा। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-45-पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 91,73,48,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

†(लिखित भाषण के लिए देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 114-137 पर।)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग पर मतदान अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं संस्थागत वित्त मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,77,33,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-92-संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 57,77,33,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-88 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं संस्थागत वित्त मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,31,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-88-संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,42,31,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर)

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं संस्थागत वित्त मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की

पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,27,76,20,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-89 संस्थागत वित्त विभाग (व्यापार कर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,27,76,20,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)

नगर विकास, पर्यावरण, संस्कृति, शहरी समग्र विकास एवं संस्थागत वित्त मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बार्जीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,31,24,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-90 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 28,31,24,000 रुपये सें अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-2008 के आय-व्ययक में अनुदान की मांगों पर मतदान अनुदान संख्या-21

खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,40,71,82,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं लिख कर के दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

हां दे दीजिएगा, कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा।†

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम प्रसाद चौधरी)-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 38,40,71,82,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान)

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को लेता हूं।

आज दिनांक 16-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है।

पहली सूचना श्री धनंजय सिंह की जनपद जौनपुर के रारी क्षेत्रान्तर्गत गढ़ासैनी होकर जाने वाले मार्ग पर रीटीघाट पर सई नदी में सेतु निर्माण के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री बिरजू राम की जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत टंडवा व भैंसा नहरों के बन्द होने तथा शारदा सहाय खण्ड-23 नहर में सिल्ट भराव के कारण समुचित जलापूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है तथा तीसरी सूचना श्री विजय कुमार की जनपद गाजीपुर की तहसील जखनिया में मुख्यालय पर समुचित जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। चौथी सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ की

† (लिखित भाषण के लिए देखिए नत्थी 'घ' पृष्ठ 114-137 पर)

लालगंज तहसील के अन्तर्गत मुस्तफाबाद घाट पर सई नदी पर स्वीकृत पक्के पुल का निर्माण कार्य शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की प्रदेश शासन के 14 वर्षों पर प्रोन्नत वेतनमान के शासनादेश का कार्मिक विभाग के कार्यालय-ज्ञाप द्वारा अतिक्रमण कर 12 वर्ष की सेवा पर प्रोन्नत वेतनमान दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तथा छठी सूचना श्री हुकुम सिंह की जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना अन्तर्गत ग्राम ईसापुर खुरगान की जमीन पर प्रधान एवं तहसील स्टाफ की साजिश से भू-माफियाओं की अवैध कब्जेदारी के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। सातवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों की बिक्री/लीज पर देने के प्रभावों से मिल कर्मचारियों के भविष्य तथा गन्ना कास्तकारों के हितों के संरक्षण के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा में प्रतिवर्ष लगने वाले "गोबर्धन गिरिराज महाराज मुडिया पूर्णिमा मेले" को समुचित व्यवस्था के मद्देनजर सरकारी मेला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री अब्दुल वारिस खां की लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में अनुभाग अधिकारियों के रिक्त पदों पर पदोन्नति के सम्बन्ध में है, तथा दसवीं सूचना श्री राम प्रकाश कुशवाहा जनपद कानपुर नगर के पतारा विकास खण्ड के ग्राम पतारा में राशन वितरण व अपात्रों को बी0पी0एल0 कार्डों के वितरण के सम्बन्ध में सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं :-

1-श्री लल्लू सिंह 2-श्री मदन चौहान 3-डॉ0 आर0 ए0 उस्मानी 4-श्री अवस्थी बाला प्रसाद 5-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह 6-श्री उमेश पाण्डेय 7-डॉ0 राजेन्द्र सिंह 8-श्री प्रजापालन 9-श्री दीप नारायण सिंह 10-डॉ0 अजय तोमर 11-श्री संजय कपूर 12-श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भैया 13-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 14-श्रीमती कृष्णाराज 15-श्री विद्यासागर गुप्ता 16-श्री जगन प्रसाद गर्ग 17-श्री महेश चन्द्र गुप्ता 18-श्री उदयभान करवरिया 19-श्रीमती नन्दिता शुक्ला।

(घोर व्यवधान)

(सदन के वेल में खड़े समाजवादी पार्टी के सदस्यगण नारे लगाते रहे)

नगर निगम वाराणसी द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों के पेंशन भुगतान रोके जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, नगर निगम, वाराणसी द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में सेवानिवृत्त 44 शिक्षकों के पेंशन का भुगतान विगत तीन माह से रोक दिये जाने से उत्पन्न भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में।

वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[नगर निगम वाराणसी द्वारा संचालित तीन विद्यालयों क्रमशः जे0 पी0 मेहता नगर निगम इण्टर कालेज, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मच्छोदरी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामघाट, वाराणसी के सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के देयों के भुगतान के सम्बन्ध में उक्त सेवानिवृत्तिक शिक्षकों द्वारा रिट याचिका संख्या-23719/2007 श्री देवी प्रसाद बटव्याल व अन्य बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य दायर की गई थी जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23-5-2007 में यह आदेश दिये गये कि जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी याचीगणों के पेंशन आदि का भुगतान 1 मई, 2007 से नियमित रूप से करें। इसी क्रम में अवकाश प्राप्त शिक्षिका कल्पना चटर्जी एवं स्वामी चरण मिश्र द्वारा दो रिट याचिकायें क्रमशः 43053/2006 कल्पना चटर्जी बनाम राज्य एवं रिट याचिका संख्या-16150/2007 स्वामी चरण मिश्र बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य द्वारा सेवानिवृत्तिक लाभ एवं पेंशन के प्राप्ति हेतु दायर की गई थी। इस सम्बन्ध में दिनांक 28-3-07 को नगर विकास विभाग स्तर पर बैठक आहूत की गई थी। जिसमें नगर आयुक्त, नगर निगम, वाराणसी, सचिव, नगर विकास, सचिव, शिक्षा विभाग एवं निदेशक, शिक्षा विभाग उपस्थित थे। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा-16 एच में निहित प्राविधानों के तहत नगर निगम द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के पेंशनादि सेवानैवत्तिक देयों का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार शासन के पत्र संख्या-746/15-8-07 दिनांक 29-3-07 द्वारा शिक्षा निदेशक को निर्देश जारी किये गये तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को उक्त दोनों याचीगण कल्पना चटर्जी एवं स्वामी चरण मिश्रा के सेवानिवृत्तक देयों का भुगतान कर मा0 न्यायालय को अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में सम्बन्धित याचीगणों को 31 मार्च, 2007 के आदेश द्वारा उनको देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है।

अन्य सेवानैवृत्तिक शिक्षकों/प्रधानाचार्यों के पेंशनादि देयों के तुरन्त भुगतान के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को निर्देश दे दिये गये हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सिद्धार्थनगर के मिसरौलिया थानाध्यक्ष द्वारा गणमान्य नागरिकों का उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में श्री माता प्रसाद पाण्डेय, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। उक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी इटवा से कराई गयी थी। जांच के दौरान पाया गया कि श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री मंसू साकिन दिनांक 25-6-2007 को जब टैक्सी लेकर अपने ग्राम नवेला आ रहा था तो प्रधानपति जगराम केवट पुत्र श्री छब्बी एवं उसके लड़के कमलेश से गांव में गाड़ी लेकर आने के विषय पर झगड़ा-झंझट हुआ और हाथापायी भी हुई। चूंकि प्रधानपति पूर्व में श्री दिलीप कुमार से सीनाजोरी कर चुका था, अतः वह अपनी शिकायत लेकर थाना मिसरौलिया गया और पीछे-पीछे प्रधानपति भी थाने पहुंच गया। थाने पर एस0 ओ0 श्री जयदीप दुबे द्वारा दोनों पक्षों को गांव के अन्य व्यक्तियों के सामने बैठाकर समझा-बुझाकर सुलह करा दिया गया ओर सचेत किया गया कि भविष्य में झगड़ा करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री मंसू साकिन ने जांच के दौरान बताया कि थाने पर एस0 ओ0 ने न तो उसे और न ही प्रधानपति श्री जगराम को गाली दी या बंद किया या पैसे मांगे। जांच के दौरान जगराम पुत्र श्री छब्बी निषाद जो गांव सभा नेवला के प्रधानपति हैं बार-बार बुलाने पर भी बयान देने नहीं आये। श्री जयदीप दुबे एस0 ओ0 मिसरौलिया ने भी दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा कराने की बात कही एवं गाली देने या पैसा मांगने की बात से इन्कार किया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गयी जांच से यह पाया गया कि ग्राम नवेला के प्रधानपति श्री जगराम के विरुद्ध पूर्व में थाना मिसरौलिया के अभिलेख में मु0 अ0 सं0 29/81 धारा 147/342/323/332 भा0दं0वि0 व मु0अ0सं0 53/82 धारा 457/380 भा0दं0वि0 का मुकदमा दर्ज है। दबंग होने के कारण सामान्य जनता पर दबाव रखते हैं तथा अपना वर्चस्व रखना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक की जांच रिपोर्ट के अनुसार एस0 ओ0 मिसरौलिया श्री जयदीप दुबे पर इस प्रकरण में लगाया गया आरोप असत्य व बेबुनियाद है।

ग्रेटर नोयडा सिटी में प्लाट आवंटन में की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि श्री जय किशन अग्रवाल को ग्रेटर नोयडा क्षेत्र में सोशियल एण्ड कल्चरल सेन्टर की स्थापना हेतु दिनांक 18-12-2001 को 2000 वर्गमीटर भूमि के लिये आरक्षण पत्र जारी किया गया। आरक्षण पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार आरक्षण पत्र जारी होने के 30 दिन के भीतर भूखण्ड के प्रीमियम का 10 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराई जानी थी जो कि आवंटी द्वारा दिनांक 15-01-2002 को ही जमा करा दी गयी। तदोपरान्त दिनांक 16-01-2002 को श्री जय किशन अग्रवाल के पक्ष में आवंटन पत्र जारी किया गया। आवंटन पत्र में निर्धारित शर्तों के अनुसार आवंटी को भूखण्ड की कुल कीमत की 20 प्रतिशत धनराशि अंकन रु0 2,56,000.00 दिनांक 17-03-2002 तक प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराई जानी थी परन्तु आवंटी द्वारा आवंटन धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा नहीं कराई गई। इसके उपरान्त आवंटी को दिनांक 07-01-2004, दिनांक 11-08-2004 तथा दिनांक 09-09-2004 को डिफाल्टर नोटिस प्रेषित किये गये तथा धनराशि जमा न कराये जाने की दशा भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने की सूचना भी प्रेषित की गयी किन्तु आवंटी द्वारा कोई धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा नहीं कराई गई।

2-प्रकरण में प्राधिकरण के पत्र दिनांक 01-11-2004 द्वारा आवंटी को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये भूखण्ड के विरुद्ध देय धनराशि एक माह के अन्दर प्राधिकरण के पक्ष में जमा कराये जाने हेतु सूचित किया गया परन्तु इसके उपरान्त भी आवंटी द्वारा कोई धनराशि प्राधिकरण के पक्ष में जमा नहीं करायी गयी। आवंटी को कई अवसर देय धनराशि एवं ब्याज को जमा कराने हेतु दिये गये परन्तु आवंटी द्वारा न तो किश्ते ही प्राधिकरण के पक्ष में जमा करायी गई और न ही ब्याज की धनराशि जमा कराई गई। तदोपरान्त प्राधिकरण के पत्र दिनांक 22-12-2005 के माध्यम से श्री जय किशन अग्रवाल के पक्ष में किया गया आवंटन निरस्त कर दिया गया।

3-उक्त से स्पष्ट है कि बार-बार पत्र भेजे जाने के बावजूद आवंटी द्वारा कोई धनराशि जमा न किये जाने के कारण आवंटन निरस्त किया गया है। आवंटी द्वारा धनराशि न जमा किये जाने के कारण न तो उनके पक्ष में एलोकैशन पत्र जारी किया जा सका और न ही लीजडीड निष्पादित कराकर कब्जा दिया जा सका। इस प्रकार श्री जय किशन अग्रवाल के पक्ष में किये गये आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही की गई है।

4-जहां तक ग्रेटर नोयडा में वर्ष 2004-2005 से अब तक किये गये प्लाट आवंटनों की [illegible] प्रश्न है, इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि वर्ष 2004-2005 से अब तक किये गये प्लाट आवंटन की कार्यवाही प्राधिकरण के नियमों के अनुसार ही सम्पादित की जाती है। यदि किसी आवंटन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी जांच कराकर नियमों के सापेक्ष कार्यवाही की जाती है। अतः इस सम्बन्ध में किसी जांच की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में वित्त विभाग के कोषागारों में की गयी अनियमित नियुक्तियों व पदोन्नति के लिये उत्तरदायीजनों के विरुद्ध संस्तुत कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार सिंह, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर

मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

आयुक्त, गोरखपुर/बस्ती मण्डल द्वारा अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर/बस्ती मण्डल श्री तापस बनर्जी द्वारा कोषागार सिद्धार्थनगर एवं कुशीनगर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान तत्कालीन कोषाधिकारी/वरिष्ट कोषाधिकारी श्री मनमोहन मिश्र द्वारा नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में की गयी कथित अनियमितताओं के आधार पर आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराते हुये यह अनुरोध किया गया था, कि श्री मिश्र के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाय। आयुक्त द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के साथ संदर्भगत निरीक्षण आख्या तथा आरोपों की पुष्टि में पठनीय साक्ष्यों की प्रति संलग्न नहीं की गई और न ही आरोप पत्र भेजने के पूर्व श्री मनमोहन मिश्र से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया था। श्री मिश्र ने इस आरोप पत्र की प्राप्ति के पूर्व ही अपने पत्र दिनांक 21-7-06 द्वारा अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गोरखपुर श्री तापस बनर्जी के विरुद्ध पूर्वाग्रह का आरोप लगाते हुये यह अनुरोध किया था कि वर्ष 1990-91 तथा 1996-97 में तत्कालीन जिलाधिकारियों के अनुमोदन से हुई नियुक्तियों के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के पूर्व उनको स्पष्टीकरण का अवसर दिया जाय। श्री मिश्र को निरीक्षण आख्याओं की प्रतियां, स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध करायी जा चुकी हैं, जिसके लिये उन्हें अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये हैं।

श्री मिश्र का स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर आयुक्त, गोरखपुर/बस्ती की संस्तुति के अनुसार उनके विरुद्ध नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज अन्तर्गत सिंचाई विभाग की रामपुर कसिहा लिफ्ट कैनाल का निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[रामपुर पम्प नाहर योजना का उद्गम स्थल सई नदी के बायें तट पर जनपद प्रतापगढ़ की लालगंज तहसील के ग्राम-रामपुर कसिहा में है। इस परियोजना के अन्तर्गत 30 क्यूसेक जल

नोट :-] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(10 क्यूसेक के तीन पम्पों द्वारा तथा एक स्टैण्ड बाई पम्प) एक स्टेज में 22 मीटर लिफ्ट करके 2,235 कि0मी0 लम्बी फीडर चैनल (पोखरे नहर के माध्यम से डीह राजबाहा तिरानवे लम्बाई 69.60 कि0मी0 है, के कि0मी0 62.00 पर सिंचाई हेतु उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। डीह राजबाहा पुरानी शारदा नहर प्रणाली का अंग है तथा यह जौनपुर ब्रांच के दायें किनारे पर कि0मी0 22.00 से निकलती है। इसके कि0मी0 62.00 के नीचे सींच हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध न हो पाने के कारण यह परियोजना प्रस्तावित की गयी। कि0मी0 62.00 से कि0मी0 69.60 के मध्य इसका सी0सी0ए0 2226 हेक्टेयर है। पी0पी0ए0 खरीफ 735 हे0 तथा पी0पी0ए0 रबी 801 हे0 है। इसके द्वारा लालगंज तहसील के सांगीपुर ब्लाक के 12 ग्राम-रामपुर कसिहा, रहाटीकर, नरवल, सलेहापुर, ऊंछापुर, देवली, पथरिया, चाहिन, समसपुर, लाखपुर, अभिशंकरपुर, दर्रा के मौजों में सिंचाई की जाती है। परियोजना के पूर्ण होने पर उक्त सभी क्षेत्र लाभान्वित होंगे। सूचनीय है कि डीह राजबहा का रख-रखाव का कार्य पैक्ट संगठन के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-45, रायबरेली द्वारा किया जा रहा है।

इस परियोजना का कार्य वर्ष 1996 में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत प्रारम्भ किया गया था। इस परियोजना की लागत तब 843.78 लाख आंकी गयी थी जिसमें यांत्रिक एवं विद्युत कार्य रु0 57.02 लाख तथा सिविल कार्य रु0 786.76 लाख के थे। इसके अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित किये गये थे :-

1-वेल सिंकिग का कार्य।

2-वाटम प्लगिंग का कार्य।

3-वेल सुपर स्ट्रक्चर का कार्य।

4-टाप प्लगिंग का कार्य।

5-पम्प हाउस का निर्माण कार्य।

6-एप्रोच ब्रिज का निर्माण।

7-900 मीटर आर0सी0सी0 वायडक्ट का निर्माण कार्य।

8-डिलेवरी टैंक का निर्माण।

9-2.235 कि0 मी0 फीडर चैनल का निर्माण (लाइनिंग सहित)।

10-यांत्रिक एवं विद्युत कार्य।

11-सई नदी में बैराज/वियर का निर्माण।

उपरोक्त कार्यों में से निम्नलिखित कार्य शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत पूर्ण कर लिये गये थे :-

1-वेल सिंकिग का कार्य।

2-900 मीटर आर0सी0सी0 वायउक्ट का निर्माण कार्य।

3-डिलेवरी टैंक का निर्माण।

4-2.235 कि0 मी0 फीडर चैनल का निर्माण (लाइनिंग सहित)।

5-यांत्रिक एवं विद्युत कार्य का अंशतः कार्य।

जून, 2000 में शारदा सहायक परियोजना बन्द हो जाने के फलस्वरूप धनावंटन न होने के कारण यह परियोजना अधूरी रह गयी थी। अवशेष कार्य को पूर्ण करने हेतु माह दिसम्बर, 05 में रु0 185.63 लाख की परियोजना स्वीकृत की गयी। इस कार्य के सम्पादन में उ0 प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ से दिनांक 10-03-06 को एम0 ओ0 यू0 किया गया जिसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गयी थी। उक्त एम0 ओ0 यू0 के अन्तर्गत मुख्यतः निम्नलिखित कार्य किये जाने निर्धारित हैं :-

1-वेल सिंकिग के अवशेष कार्य।

2-वाटर प्लगिंग का कार्य।

3-वेल सुपर स्ट्रक्चर का कार्य।

4-टाप प्लगिंग का कार्य।

5-पम्प हाउस का निर्माण कार्य।

6-एप्रोच ब्रिज का निर्माण।

7-विद्युत एवं यांत्रिक के अवशेष कार्य को पूर्ण करना।

8-सई नदी में बैराज/बियर का निर्माण।

उपरोक्त कार्यों में से उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ द्वारा निम्नलिखित कार्य माह जून, 2007 तक कर दिया गया है :-

1-वेल सिंकिग के अवशेष कार्य।

2-वाटम प्लगिंग का कार्य।

3-वेल सुपर स्ट्रक्चर का कार्य।

4-टाप प्लगिंग का कार्य।

शेष निर्माण कार्य लक्ष्य के अनुरूप चल रहे हैं, जो इसी वित्तीय वर्ष 2007-08 में पूर्ण हो जायेंगे। परियोजना के पूर्ण हो जो पर सिंचन क्षमता का विकास हो सकेगा तथा किसानों की सिंचाई सम्बन्धित समस्याओं का निदान हो जायेगा।

जनपद इटावा में बन्द पड़ी सूती मिल के पुनः चालू कराने व श्रमिकों द्वारा अन्य कर्मचारियों को बकाया देनदारियों के भुगतान के सम्बन्ध में श्री भीमराव अम्बेडकर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[श्री भीमराव अम्बेडकर, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी नोटिस दिनांक 10-07-2007 के अन्तर्गत बताया गया है कि जनपद इटावा में एक सूत मिल काफी पुराने समय से काम कर रही थी जिसमें 8-10 हजार कर्मचारी कार्यरत थे, जिसे अपरिहार्य कारणों से वर्ष 2001 में बंद कर दिया गया, जिससे हजारों श्रमिक बेकार हो गये एवं सरकार की चल एवं अचल सम्पत्ति का भी दुरुपयोग हुआ। उक्त मिल आज तक चालू नहीं किया गया जिसके कारण हजारों श्रमिक भीख मांगने एवं आत्महत्या करने के कगार पर हैं, मिल की बंदी के कारण पूरे जनपद की जनता में भारी असंतोष है। मिल के प्रबन्धक व लेबर आफिसर के बाबू द्वारा मिल की बंदी के कारण कर्मियों के बकाया वेतन बोनस आदि का भुगतान नहीं किया गया है। अतएव मांग की गयी है कि इटावा में बंद पड़ी सूत मिल को पुनः चालू करायी जाय तथा श्रमिकों व अन्य कर्मियों की सभी देनदारी दिलवाई जाय।

2-इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि इटावा स्थित सहकारी कताई मिल, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लि0 की सदस्य मिल है। इसके अलावा 10 और सदस्य मिलें हैं, जो मगहर (संत कबीर नगर), नगीना (बिजनौर), बुलन्दशहर, महमूदाबाद (सीतापुर), कम्पिल (फर्रुखाबाद), बहेड़ी (बरेली), अमरोहा (जे0पी0 नगर), मऊआइमा (इलाहाबाद), बहादुरगंज (गाजीपुर) एवं फतेहपुर में स्थापित हैं। संघ एवं उनकी ये सदस्य मिलें उत्तर प्रदेश सहकारी कताई समिति अधिनियम, 1965 के प्राविधानों के तहत पृथक-पृथक सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत हैं।

3-संघ की इन सदस्य मिलों में इटावा सहित मगहर (संत कबीर नगर), नगीना (बिजनौर), बुलन्दशहर, महमूदाबाद (सीतापुर), कम्पिल (फर्रुखाबाद) स्थित 6 कताई मिलें घाटे पर चलने के कारण हानि पर हानि निरन्तर बढ़ते रहने से विधिक रूप से बंद हो चुकी हैं। इन बन्द कताई मिलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति [illegible] (वीआरएस) भी लागू हो चुकी है, जिसके अन्तर्गत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

शासन द्वारा संघ को ऋण के रूप में रु0 60.01 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है और अधिकांश धनराशि का भुगतान पात्र कर्मियों को हो चुका है। इटावा स्थित बंद कताई मिल के 804 कर्मियों को वीआरएस के अन्तर्गत लगभग रु0 11.70 करोड़ का हितलाभ देकर सेवामुक्त किया जा चुका है।

4-संघ की समस्त मिलों की दिनांक 31-03-2007 की स्थिति के अनुसार कुल संचित हानि लगभग रु0 484.44 करोड़ है तथा कुल दायित्व/देनदारियां लगभग रु0 464.02 करोड़ है। इन दनदारियों में मिलों के समस्त कर्मियों एवं श्रमिकों का बकाया वेतन, मजदूरी आदि लगभग रु0 70.81 करोड़ शामिल है। इटावा स्थित बंद कताई मिल के कर्मियों एवं श्रमिकों के वेतन, मजदूरी एवं पी0एफ0 के रूप में लगभग रु0 3.81 करोड़ का बकाया है। इसका भुगतान इस मिल में उत्पादन प्रक्रिया वर्ष 1998 में ही बंद हो जाने और इसके अनन्तर दिनांक 05-10-2000 से इसकी विधिक बंदी हो जाने से आय के स्रोत के अभाव में मिल प्रबंधन के लिए सम्भव नहीं हो सका है। संघ पर बकाया इन देनदारियों का भुगतान संघ की परिसम्पत्तियों को बेच कर ही किया जाना सम्भव है।

5-संघ के विरुद्ध दायर एक वाद संख्या-2792/2000-पी0एम0ए0 हकीम व अन्य बनाम उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल संघ लि0 व अन्य में बम्बई उच्च न्यायालय के पारित दिनांक 03-12-2001 के आदेश से कोर्ट रिसीवर नियुक्त है तथा संघ एवं उनकी समस्त 11 कताई मिलें कोर्ट रिसीवर के कब्जे में हैं। इन 11 मिलों में कोर्ट रिसीवर ने विधिक रूप से बंद 06 मिलों में महमूदाबाद (सीतापुर) एवं इटावा स्थित मिलों की प्लांट मशीनरी का विक्रय वर्ष 2003 में कर दिया गया है, जिसमें महमूदाबाद (सीतापुर) मिल की प्लांट एवं मशीनरी का निस्तारण कोर्ट रिसीवर द्वारा किया जा चुका है।

6-जहां तक इटावा स्थित कताई मिल की प्लांट एवं मशीनरी का निस्तारण का प्रश्न है, संघ की ओर से योजित एक विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-5578-5580/2004 पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 28-04-2004 द्वारा कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति पर रोक लगा दी गयी, परन्तु 6 माह पश्चात् दिनांक 06-12-2005 के आदेश द्वारा यह रोक समाप्त कर दी गयी। इसके दृष्टिगत संघ की ओर से बम्बई उच्च न्यायालय की डबल बेंच के समक्ष एक अपील संख्या 576/06 संघ बनाम पी0एम0ए0 हकीम व अन्य प्रस्तुत की गयी।

इसके अलावा निबंधक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग उ0 प्र0 कानपुर जो कताई मिल संघ एवं उसकी सदस्य मिलों के भी निबंधक हैं, के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पर बम्बई उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 27-06-2006 द्वारा संघ एवं सदस्य मिलों के परिसमापन की कार्यवाही करने तथा परिसमापक नियुक्त करने की अनुमति मिल जाने पर निबंधक के दिनांक 19-08-2006 के आदेश द्वारा संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को परिसमापक के रूप में नियुक्तियां की जा चुकी

हैं। दिनांक 27-06-2006 के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि [illegible] मे इटावा स्थित मिल की प्लांट एवं मशीनरी का विक्रय प्रभावित नहीं होगी। निबंधक द्वारा भी एक अपील संख्या-427/07 निबंधक बनाम पी0एम0ए0 हकीम व अन्य योजित की गयी, परन्तु यह अपील बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04-06-2007 द्वारा खारिज कर दी गयी। इसके विरुद्ध निबंधक की ओर से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 05-06-2007 को एक विशेष अनुज्ञा याचिका प्रस्तुत की गयी है, जिस पर सुनवाई की अगली तिथि 20-07-2007 नियत है।

7-इसी बीच परिसमापक की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र जिसमें संघ की योजित संख्या-576/06 में पक्षकार बनाने की प्रार्थना की गयी थी, को बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14-06-2007 द्वारा इस तकनीकी आधार पर निरस्त कर दिया गया कि परिसमापक द्वारा स्वयं अपील प्रस्तुत की जानी चाहिए। इसके दृष्टिगत परिसमापक की ओर से दिनांक 16-06-2007 को अपील प्रस्तुत की गयी है जो बम्बई उच्च न्यायालय के डबल बेंच के समक्ष लम्बित है।

8-जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है, निबंधक के दिनांक 19-08-2006 के आदेश द्वारा संघ एवं उनकी सदस्य मिलों में संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को परिसमापक नियुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार इटावा स्थित बंद कताई मिल के परिसमापक, इटावा के जिलाधिकारी हैं। संघ एवं सदस्य मिलों की परिसम्पत्तियां कोर्ट रिसीवर से वापस लेने हेतु निबंधक द्वारा दाखिल आवेदन पर बम्बई उच्च न्यायालय के दिनांक 19-01-2007 के आदेश द्वारा यद्यपि अनुमति प्रदान की गयी है परन्तु वादी द्वारा इस आदेश के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय के डबल बेंच के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी गयी है जो लम्बित है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इटावा स्थित बंद कताई मिल से संबंधित प्रकरण का निस्तारण परिसमापक व बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है।

जनपद इलाहाबाद के यमुना पार क्षेत्र में बढ़ रही नक्सलवाद की घटनाओं के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जनपद इलाहाबाद के थाना कोरांव/शकरगढ़ का अधिकांश क्षेत्र पथरीला एवं पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पर गिट्टी तोड़ने आदि का कार्य मजदूर वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। लाल झंडा गाड़कर किसी भी जमीन पर कब्जा किये जाने के प्रश्न पर गहराई से छानबीन किये जाने हेतु थाना प्रभारी शकरगढ़ कोरांव, खीरी, मेजा व बारा की अलग-अलग टीम तैयार कराकर क्षेत्रों में काम्बिंग करायी गयी किन्तु कहीं किसी भी थाना क्षेत्र में लाल झंडा नामक पार्टी द्वारा लाल झंडा

गाड़कर किसी भी जमीन/व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर कब्जा किये जाने की बात प्रकाश में नहीं आयी है। फिर भी इस ओर निरन्तर सतर्क दृष्टि रखने तथा क्षेत्र में गस्त/भ्रमण/काम्बिंग के दौरान लाल झंडा गाड़कर किसी भी जमीन पर जबरन कब्जा करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना प्रभारियों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

नक्सलवाद की समस्या से निपटने हेतु प्रदेश स्तर पर मुख्य रूप से नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस कार्यवाही, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार आदि मूलभूत आवश्यकताओं के विकास, जन शिकायतों, विवादों के त्वरित न्यायिक निस्तारण एवं क्षेत्रीय लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाने की रणनीति बनाई गयी है तथा तद्नुसार सुविचारित कार्य योजना लागू की गयी है।

लखनऊ महानगर में रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर स्थित अमीन कॉम्प्लेक्स में चल रहे फड प्लेनेट के संचालक को भवन स्वामी द्वारा रेस्टोरेण्ट खाली कराये जाने तथा रेस्टोरेण्ट के मालिक द्वारा पंजीकृत एफ0आई0आर0 में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवस्तव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 10-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना जो कि लखनऊ महानगर में रानी लक्ष्मीबाई मार्ग पर स्थित अमीन कॉम्प्लेक्स में चल रहे फड प्लेनेट के संचालक को भवन स्वामी द्वारा रेस्टोरेण्ट खाली कराये जाने तथा रेस्टोरेण्ट के मालिक द्वारा पंजीकृत एफ0आई0आर0 में पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 अध्यक्ष द्वारा वक्तव्य दिये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रकरण की वरिष्ट पुलिस अधीक्षक, लखनऊ से प्राप्त आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत है :-

दिनांक 21-5-2006 को वादी श्री राजीव कुमार पुत्र श्री रमेश नरायन सक्सेना, निवासी 14 मोहन मीकिंग रोड, डालीगंज, लखनऊ के लिखित तहरीर पर मु0अ0सं0-119/06 धारा-147/148/149/324/504/506/427/448/307/511 भा0दं0वि थाना-कैसरबाग, लखनऊ में सैय्यद सिद्दीकी हसन उर्फ छोटू पुत्र रसीद अहमद निवासी रानी लक्ष्मीबाई मार्ग, हसन पुत्र मसूद निवासी-जाफरटोला, बरेली, (3) श्री बृज किशोर, पुत्र अज्ञात व 20-25 अन्य अज्ञात लोग के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया।

विवेचना से धारा 307 भा0दं0वि0 का जुर्म नहीं पाया गया। अभियुक्त सैय्यद सिद्दीकी, हसन एवं बृज किशोर को दिनांक 21-5-06 को धारा 147/504/506/448 एवं

551 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उक्त अभियोग में आरोप-पत्र संख्या-116/06 दिनांक 4-9-06 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया है।

जनपद सीतापुर की नगर पालिका महमूदाबाद में पेयजल की समस्या के सम्यक निराकरण के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा, विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

[नगर पालिका परिषद्, महमूदाबाद जनपद सीतापुर की वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 41920 है। वर्ष 2007 की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या 50,000 है। नगर में वर्तमान में दो नलकूप क्रियाशील हैं जिनका कुल श्राव 2400 ली0 प्रति मिनट है तथा एक उच्च जलाशय जिसकी क्षमता 500 कि0 ली0 है, के द्वारा नगरवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

2-पेयजल मानक के अनुसार 70 एल0पी0सी0डी0 तथा (15 प्रतिशत वेस्टेज जोड़ते हुए) की दर से 50,000 आबादी हेतु 4.03 एम0एल0डी0 पानी की आवश्यकता है। वर्तमान नलकूपों से नगर में 2.16 एम0एल0डी0 पेयजल उपलब्ध हो रहा है। शेष 1.87 एम0एल0डी0 पेयजल हेतु दो अतिरिक्त नलकूपों की आवश्यकता है। उक्त जनसंख्या के लिए कुल 1350 कि0ली0 क्षमता के शिरोपरि जलाशय की आवश्यकता के विरुद्ध 500 कि0ली0 की क्षमता का शिरोपरि जलाशय उपलब्ध है। अतः 850 कि0ली0 क्षमता के शिरोपरि जलाशय की वर्तमान में अतिरिक्त आवश्यकत है। साथ ही नगर के 9 विकसित क्षेत्रों में लगभग 8 कि0मी0 अतिरिक्त पाइप लाईन बिछाये जा की आवश्यकता है। उक्त कार्य कराने हेतु जल निगम से प्रस्ताव मांग कर वित्तीय संसाधनों क उपलब्धता के आधार पर धनावंटन किये जाने पर विचार किया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन घोर व्यवधान के मध्य ही अपराह्न 02 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ : **राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,**

दिनांक : 16 जुलाई, 2007 **प्रमुख सचिव, विधान सभा**

उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 14 पर)

विधान सभा क्षेत्र पट्टी प्रतापगढ़ में जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, एवं 2006-07 में स्वीकृत पर्यटन योजनाओं का विवरण

वर्ष	क्रम संख्या	योजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (लाख रुपये में)	कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	किये गये कार्यों का विवरण	कार्य पूर्ण होने की तिथि	कार्यदायी संस्था का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2003-04	1	हनुमान मंदिर पट्टी का सौन्दर्यीकरण	रु0 9.63	29.3.05	यात्री शेड, बाउन्ड्रीवाल, एप्रोच रोड एवं सीढ़ी	31.5.05	सी0 एण्ड डी0एस0 यूनिट-10, उ0प्र0 जल निगम	कार्य पूर्ण
	2	अमरगढ़ शिवालय का सौन्दर्यीकरण	रु0 10.00	29.3.05	एप्रोच रोड, कोटा एवं मार्बल स्टोन का कार्य	31.5.05	-तदैव-	कार्य पूर्ण
	3	दुर्गा मन्दिर सर्वजीतपुर का सौन्दर्यीकरण	रु0 7.28	29.3.05	बरामदा, मार्बल कोटा स्टोन का कार्य	31.5.05	-तदैव-	कार्य पूर्ण
	4	मगरौरा शिवालय का सौन्दर्यीकरण	रु0 8.84	29.3.05	यात्री शेड, कोटा एवं मार्बल स्टोन का कार्य	31.5.05	-तदैव-	कार्य पूर्ण

2004-05	1	मडडौरा शिव मंदिर का सौन्दर्यीकरण	रु0 2.96	26.6.07	यात्री शेड, कोटा एवं मार्बल स्टोन का कार्य	--	-तदैव-	कार्य प्रगति पर
	2	कुण्डाधाम पट्टी का पर्यटन विकास	रु0 5.66	10.1.06	मार्बल फ्लोरिंग एवं विद्युतीकरण	30.9.06	सी0एण्ड डी0एस0वि0/या0 नलकूप उ0प्र0 जल निगम	कार्य पूर्ण
	3	मुजाही देवी मन्दिर में विद्युत व्यवस्था	रु0 2.76		--	--	-तदैव-	आगणन के अनुरूप धनराशि स्वीकृत न होने की दशा में कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि विभाग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

								को वापस कर दी गयी है।
	4	कल्याणी देवी मंदिर का सौ0 एवं विकास	रु0 2.54			-	ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, प्रतापगढ़	कार्यदायी संस्था को धनराशि प्रेषित
2005-06	1	मुजाही देवी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	9.3.07	सी0सी0 रोड, हैण्डपम्प	31.3.07	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, इला0	कार्य पूर्ण
	2	शिव मंदिर बेलारामपुर का सौ0	रु0 0.78	10.4.07	यात्री शेड का निर्माण	--	-तदैव-	कार्य प्रगति पर
	3	शिव मंदिर भनईपुर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	25.5.07	सीढ़ियों का पी0सी0सी0 प्लास्टर	--	-तदैव-	कार्य प्रगति पर
	4	राम जानकी मंदिर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	27.6.07	सी0सी0 कार्य	--	-तदैव-	कार्य प्रगति पर
	5	दुर्गाधाम मंदिर बहुता का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	27.6.07	दरवाजा एवं प्लास्टर का कार्य	--	-तदैव-	कार्य प्रगति पर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

	6	शिव मंदिर महडौरा का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	27.6.07	बाउन्ड्रीवाल एवं हैण्ड पम्प का कार्य	--	-तदैव-	कार्य प्रगति पर
	7	महादेवन पट्टी का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	27.6.07	सी0सी0 कार्य	--	-तदैव-	कार्य प्रगति पर
	8	रामजानकी मंदिर ढिढुली पट्टी का सौ0/वि0	रु0 0.78	--	--	--	-तदैव-	कार्य प्रारम्भ की कार्यवाही की जा रही है।
	9	काली मंदिर उदई शाहपुर का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	--	--	--	-तदैव-	-तदैव-
	10	दुर्गाधाम मंदिर कंजासराय का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	--	--	--	-तदैव-	-तदैव-
	11	कुण्डाधाम पट्टी का सौन्दर्यीकरण	रु0 0.78	--	--	--	-तदैव-	-तदैव-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

2006-07	1	कुण्डाधाम पट्टी का सौन्दर्यीकरण एवं विकास	रु0 4.41	--	--	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम सीमित इकाई प्रतापगढ़।	-तदैव-

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 18 पर)

गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में निगम से सम्बन्धित तालाब, गड्ढों की सूची/विवरण

क्रम सं0	आराजी नं0	रकबा एकड़ में	मुहल्ला/ग्राम
1	2	3	4
1	263	1.44	पोखर भिण्डा उर्फ करीमनगर
2	561	2.48	ग्राम जंगल नकहा नं 1
3	105	2.65	पोखर भिण्डा उर्फ करीमनगर
4	430	460	जंगल नगहा नं0 2
5	1041/4	1.36	ग्राम महोदव झारखण्डी टु0 नं0।
6			ताल कटान महेबा
7			ताल कटान महेबा
8	हाल नं0 21 क 225 कुल 280 एअर नौसढ़ ग्राम		
9	हरिजन बस्ती में भूखण्ड सं0 373 मी0 रकबा एअर		
10	ताल महेबा ताल कटान महेबा मुस्तिकल एवं एहतमाली		
11	514	1.31	जंगल नगहा नं0 2
12	भूखण्ड सं0 592	3.14	जंगल नगहा नं0 1
13	,, 458	1.88	जंगल नगहा नं0 2
14	,, 430	4.64	मौजा जंगल नकहा
15	,, 561	2.48	जंगल नगहा नं0 1
16	,, 82	0.60	रामपुर नया गांव
17	,, 136	1.15	रामपुर नया गांव
18	,, 8 मी0	1.02	सलेमपुर उर्फ मुवलपुर
19	,, 152	0.05	फतेहपुर
	,, 153	0.07	,, ,,
20	,, 154	0.88	,, ,,
21	,, 77	1.83	,, ,,
22	,, 167	0.12	,, ,,

1	2	3	4
23	,, 125	2.21	बशारतपुर
24	,, 403	1.31	,, ,,
25	,, 706	0.33	,, ,,
26	,, 422	0.42	बशारतपुर
27	,, 27	0.30	,, ,,
28	,, 263	1.44	पोखर भिण्डा उर्फ करीमनगर
29	,, 178	0.47	सलेमपुर उर्फ मुगलपुर
30	,, 179	0.30	,, ,,
31	,, 181	0.02	,, ,,
32	,, 65	0.30	,, ,,
33	,, 730	1.62	मानबेल
34	,,729	0.58	,, ,,
35	,, 731	0.46	,, ,,
36	,, 607	0.83	,, ,,
37	,, 16	0.45	हमीदपुर
38	,, 96	1.81	बुगियां
39	,, 67	1.47	,, ,,
40	,, 156/3	0.91	पट्टन उर्फ पटनियां
41	,, 49	0.30	चिलमापुर
42	,, 68	0.60	महुईपुर सुधरपुर
43	,, 142	0.70	शिवपुर सहबाजगंज
44	,, 1041/4	1.36	महादेव झारखंडी टुकड़ा नं 1
45	,, पोखरा जंगल बनीमाधव नं0 ,, बरगज प्लाट मत्स्य पालन 37 ,, प्लाट कुल रकबा 37.05 एकड़		
46	,, 72	0.33	चकसा हुसैन
47	,, 26/3	0.16	नथमलपुर
48	,, 820 क	0.6 एयर	नौसढ़

उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-12 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

लाल डिग्गी पार्क के सौन्दर्यीकरण से सम्बन्धित कार्यों की सूची/अद्यतन स्थिति

(रु0 लाख में)

क्र0सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति तिथि	प्राप्ति विवरण प्रतिशत में
1	2	3	4	5
1	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर झील में चारों ओर बोल्डर पिचिंग कार्य	2.75	11-7-06	75
2	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर स्थित दो-वाल/दीवाल मरम्मत कार्य	13.09	11-7-06	80
3	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर स्थित फुटपाथ जीर्णोद्धार	9.06	11-7-06	60
4	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर स्थित प्रतिमा के पास के रिटेरिंगवाल का जीर्णोद्धार	16.14	11-7-06	70
5	लाल डिग्गी पार्क में स्थित प्रतिमा के चारों ओर कोटा स्टोन लगाने का कार्य	7.70	11-7-06	75
6	लाल डिग्गी पार्क के नेन्टिंग एवं फुटपाथ का निर्माण	11.36	11-7-06	60
7	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर बच्चों के खेलने हेतु खेल उपकरण की आपूर्ति एवं स्थापना	11.21	11-7-06	100
8	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर विद्युत केबल डालने का कार्य	7.23	11-7-06	76
9	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर आर्नामेन्टल लाईट फिटिंग का कार्य	10.23	26-8-06	26
10	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर हाट मास्क स्थापना	6.91	11-7-06	100
11	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर [illegible] का जीर्णोद्धार (रोज गार्डेन साईड)	3.67	26-8-06	30

12	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर फाउण्टेन का जीर्णोद्धार (विस्मिक पार्क साईड)	3.70	11-7-06	80
13	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर फाउण्टेन का जीर्णोद्धार (बन्धा साईड)	6.12	26-8-06	20
14	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर फौव्वारे एवं मछली घर में टाईल्स लगाने का कार्य	6.36	11-7-06	76
15	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर क्यू प्वाइन्ट के नीचे सीढ़ियों का निर्माण (दक्षिण साईड)	1.69	12-02-07	90
16	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर ब्रिज के पूरब ब्रिज का निर्माण (रेटिनिंग वाल के निर्माण के उपरान्त)	1.48	12-02-07	90
17	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर मुख्य गेट पर क्षतिग्रस्त रेड स्टोन लगाने का कार्य पार्क सौन्दर्यीकरण कार्य के अन्त में)	1.47	12-02-07	90
18	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर झील के दोनों ओर फुटपाथ के बीच में सीढ़ियों का निर्माण	1.35	12-02-07	90
19	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर नेहरू प्रतिमा के पास पुराने ब्रिज के पश्चिम ब्रिज निर्माण (रिटेनिंग वाल के निर्माण के बाद)	1.69	12-02-07	90
20	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर झील में अवशेष फुटपाथ का निर्माण	1.72	12-02-07	60
21	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर पूरब तरफ फुटपाथ का निर्माण	1.44	12-02-07	60
22	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर नेहरू प्रतिमा के पश्चिम फुटपाथ का निर्माण	1.44	12-02-07	76
23	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर चेकर टाइल्स व डिस्प्ने बोर्ड लगान का कार्य (क्लाईन्बर पार्थ के निर्माण के उपरान्त)	1.64	12-02-07	76
24	लाल डिग्गी पार्क के अन्दर वाटरफाल व झील के अन्दर मिट्टी भराई का कार्य	1.74	12-02-07	80

नत्थी 'घ'

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ 89 पर)

माननीय नगर विकास मंत्री का भाषण

श्री नकुल दुबे-

सर्वप्रथम करोड़ों-करोड़ों कमजोरों, दलितों के मर्सीहा परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुये मैं निवेदन कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 20 प्रतिशत से अधिक शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। आने वाले समय में शहर की ओर पलायन तीव्र गति से बढ़ेगा। परिणामस्वरूप नगर विकास विभाग को जलापूर्ति, स्वच्छता अवशिष्ट कूड़ा-प्रबन्धन, पर्यावरण, सड़क, परिवहन आदि में उपलब्ध सेवाओं के स्तर को सुधारने के लिये युद्ध स्तर पर जुटना होगा।

वर्तमान सरकार मा0 मुख्य मंत्री सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में इन चुनौतियों का सामना करने के लिये कटिबद्ध है। शुद्ध पेयजल, उपयुक्त सफाई व्यवस्था, सुदृढ़ सड़के, समुचित यातायात, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य सुविधायें प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को उपलब्ध कराना इस सरकार की प्राथमिकताओं में से है।

मैं बड़े ही सम्मान के साथ आभार प्रकट कर रहा हूं बहुमुखी सोच की धनी मा0 मुख्य मंत्री जी का जिन्हें पूर्ण आभास है कि आने वाले समय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का डट कर मुकाबला करना होगा। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने शासन काल में **'नगर विकास विभाग' एवं 'शहरी समग्र विकास विभाग'** दो स्वतंत्र मंत्रालयों की स्थापना ही नहीं की बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने के उद्देश्य से विभिन्न परियोजनाओं को तत्काल प्रारम्भ करने के निर्देश भी दिये जिनकी जानकारी मैं इस पवित्र सदन को समय-समय पर देता रहूंगा।

इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों के संज्ञान में है कि वर्ष 2005 के लिये बजट की धनराशि **रु0 3,49,64,84,000 (तीन अरब, उन्चास करोड़, चौसठ लाख, चौरासी हजार)** थी जबकि इस वर्ष यह धनराशि बढ़ाकर लगभग पांच गुना कर दी गयी है। जो इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने वाले समय में बिना किसी भेदभाव के सम्पूर्ण प्रदेश की जमीनी सुविधाओं के साथ-साथा पूरी तरह सजाना एवं संवारना चाहती है क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मातृ भूमि को सजा एवं संवरा देखना चाहता है।

भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में सम्मानित सदस्यों की संख्या 400 से अधिक है। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री आदरणीया सुश्री मायावती जी के दो संदेश देना चाहता हूं। प्रथमतः जरा सोचिये क्या साथ में कुछ जायेगा ? नहीं न। फिर काहे की हाय-तौबा आइये सब लोग मिल कर इस सम्पूर्ण प्रदेश को स्वस्थ्य, आत्म निर्भर, भेदभाव रहित एवं आदर्श प्रदेश बनाने की दिशा में अपना-अपना योगदान करें।

द्वितीयतः हम सभी फलदार वृक्ष की तरह आचरण करें जो सामान्य जीवन शैली में स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित हो। मा0 मुख्य मंत्री जी का आशय स्पष्ट है, वो चाहती हैं जब आप सभी के पास आज सब कुछ है तो आइये आने वाले 5 वर्ष एक ऐसा अनूठा प्रयास करें कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले एक-एक नागरिक के पास वो सारी सुविधायें उपलब्ध हों जो एक व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जीने के लिये आवश्यक समझता हो।

आज हमारे समक्ष सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार है जो सम्पूर्ण समाज को खोखला करने के साथ-साथ एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न कर रही है जिसके समक्ष मातृभूमि से प्रेम, सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास, भेदभाव का जड़ से सफाया, आदि का कोई स्थान ही नहीं रह जाता है। अतः मैं आप सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आइये आने वाले 5 वर्ष हम सिर्फ दूसरों के लिये जियें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिये कृत संकल्पित हो और ऊंच-नीच व भेद-भाव को आमूल नष्ट कर दें तभी प्रदेश का समग्र विकास सम्भव है।

आजादी के लगभग 60 साल बीत जाने के बाद भी हम अपने अन्नदाताओं से मुंह छुपाये बैठे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो किसान गांवों में रह कर हमारे आपके लिये अन्न उपजा कर रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं वही लोग मूल-भूत सुविधाओं से कोसों दूर हैं। इनकी सुध आखिर हम लोग कब लेंगे, कहने को तो हम 21वीं सदी में आज अंतरिक्ष, कम्प्यूटर, सेटेलाइट युग के कहे जा रहे हैं। पर सच्चाई यही है कि प्रत्येक गांव में सैकड़ों की संख्या में गरीब किसान दोनों वक्त भोजन बड़ी मुश्किल से जुटा पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में कुल 627 नगरीय स्थानीय निकास है : 12 नगर निगम, 194 नगर पालिका परिषद् एवं 421 नगर पंचायतें। इसमें लगभग 1/3 घरों में सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था एवं स्वच्छता की पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। 40 प्रतिशत परिवारों को समुचित आवास मुहैया नहीं है तथा लगभग 1/3 नगरीय आबादी मलिन बस्तियों में जीवन निर्वाह करती है। सीवेज व्यवस्था राज्य के 51 प्रथम श्रेणी के शहरों में ही उपलब्ध है और वह भी मात्र आंशिक रूप से। नगरों में उत्पन्न होने वाले अवशिष्ट कूड़े का लगभग 50 से 60 प्रतिशत ही प्रतिदिन नगरीय निकायों द्वारा एकत्रित किया जाता है।

74वें संविधान संशोधन के प्रभावी होने के फलस्वरूप प्रदेश के नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु धन अपने स्रोतों से पैदा करना है। अधिकांश निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण वे अपने निजी स्रोतों से अवस्थापना सम्बन्धी कार्य कराने में सक्षम नहीं हो पा रही हैं। अतः नागर निकायों में जनहित से जुड़े तात्कालिक महत्व के अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार एवं विकास कार्यों हेतु नागर निकायों के प्रस्ताव पर उन्हें ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु 'मा0 कांशीराम जी नगर विकास

योजना' प्रारम्भ की गयी है। इसके लिये वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 200 करोड़ की बजट व्यवस्था करायी गयी है।

नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों को शुद्ध पेयजलापूर्ति सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। इस हेतु राज्य सेक्टर के अन्तर्गत अधूरी पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने तथा नई पेयजल योजनाओं के प्रारम्भ हेतु **रु0 21 करोड़** की बजट व्यवस्था की गयी है। जिला योजना के अन्तर्गत रु0 50.00 करोड़ प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त **नगरीय सीवरेज कार्यक्रम** हेतु एकमुश्त रूप में **रु0 15 करोड़** की बजट व्यवस्था कराई गई है।

आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण वाराणसी नगर तथा इलाहाबाद नगर में जे0 बी0 आई0 सी0 की सहायता से गंगा कार्य योजनान्तर्गत सम्पूर्ण शहर की सीवरेज योजना की वर्ष 2030 तक की आवश्यकता हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है। प्रस्तावित सीवरेज कार्यों में भूमि अधिग्रहण के लिये वाराणसी नगर हेतु रु0 7.72 करोड़ (7 करोड़ 72 लाख) तथा इलाहाबाद नगर हेतु रु0 3.75 करोड़ (3 करोड़ 75 लाख) आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

आगरा एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शहर है, परन्तु आगरा में शुद्ध पेयजल की अत्यन्त कमी है। इसके निदान हेतु अपर गंगा कैनाल के पलरा-हेडवर्क्स (बुलन्दशहर जिले में स्थित) से गंगा जल को आगरा नगर तक लाये जाने हेतु **आगरा पेयजलापूर्ति योजना** (वाह्य सहायतित परियोजना) बनायी गई है। योजनान्तर्गत टिहरी डैम से 150 क्यूसेक कच्चा जल लाया जायेगा, जिसमें से 140 क्यूसेक आगरा के लिये तथा 10 क्यूसेक मथुरा के लिये होगा। योजना की अनुमानित लागत **रु0 1179.72** करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2007-08 इस योजना हेतु **रु0 7 करोड़** का बजट प्राविधान किया गया है। आगरा शहर की पेयजल समस्या के निदान हेतु यमुना नदी पर निर्मित गोकुल बैराज को अपनी पूरी क्षमता पर कार्य करने हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। इसके सापेक्ष **रु0 47.75 करोड़** (47 करोड़ 75 लाख) का बजट प्राविधान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं नगरीय निर्धनों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से **'जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूवल मिशन' (जेएनएनयूआरएम योजना)** क्रियान्वित की जा रही हैं। योजनान्तर्गत प्रदेश के 7 शहर यथा-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद तथा मथुरा को सम्मिलित किया गया है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007-08 हेतु **रु0 1380 करोड़** (केन्द्रांश राज्यांश) का आय-व्ययक में प्राविधान कराया गया है।

10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु **'अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्मॉल एण्ड मीडियम टाउन्स' (यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0)** योजना क्रियान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 282 करोड़ का आय-व्ययक में प्राविधान कराया गया है।

वर्तमान सरकार का उद्देश्य शहरों का समग्र एवं संतुलित विकास करना है, ताकि कोई भी नगरीय निकाय विकास की मुख्य धारा से अलग न होने पाये। इस हेतु प्रदेश के 1 लाख से कम जनसंख्या वाले ऐसे नगरीय निकायों, जो जे0एन0एन0यू0आर0एम0 एवं यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना से वित्त पोषित नहीं हो पायेंगे, में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आदर्श नगर योजना प्रस्तावित की गयी है, जिसके लिये रु0 30 करोड़ की बजट व्यवस्था करायी गयी है।

नदियां पेयजल आपूर्ति की न केवल प्रमुख स्रोत हैं वरन् आस्था की भी प्रतीक हैं। नदियों को प्रदूषण मुक्त किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु **नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम** भारत सरकार की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश की नदियों गंगा, यमुना तथा गोमती के तट पर स्थित 23 नगरों के अन्तर्गत नदी प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिये इस परियोजना के अन्तर्गत राज्यांश मद में **रु0 53.88 करोड़** (53 करोड़ 88 लाख) का आय-व्ययक में प्राविधान किया गया है।

प्रदेश की नदियों को प्रदूषण मुक्त किये जाने के साथ ही साथ प्रमुख झीलों को भी प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु भारत सरकार की सहायता से **'झील संरक्षण योजना'** क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 4 झीलों/तालों नामतः रामगढ़ ताल (गोरखपुर नगर), मानसी गंगा ताल (गोवर्धन नगर-जनपद मथुरा), लक्ष्मी ताल (झांसी नगर) तथा मदनसागर ताल (महोबा नगर) की योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं। जिसके लिये **राजयांश मद में 4.50 करोड़ (4 करोड़ 50 लाख)** का प्राविधान किया गया है।

भारत सरकार द्वारा गठित **'साझा वित्त विकास कोष' (पी0एफ0डी0एफ0)** के द्वारा शहरों में अवस्थापना परियोजनाओं के लिये बाजार से संसाधन जुटाने के विकल्प की संस्तुति की गयी है। उक्त योजनान्तर्गत धनराशि प्राप्त करने हेतु राज्य में एक **'राज्य साझा वित्त संस्था'** गठित किया जाना है, **जिसके क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में रु0 2 करोड़ की बजट व्यवस्था** की गयी है। योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश के नगरीय निकाय अपनी साख के आधार पर बाजार से ऋण लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सक्षम हो सकेंगे।

नई सरकार के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिये एवं शहरों के समग्र, संतुलित एवं सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के लिये अलग से **शहरी समग्र विकास विभाग** का गठन किया गया है। इस विभाग के माध्यम से नगरीय सेवायें सुलभ कराने में जुड़े हुये सभी विभागों के मध्य समुचित समन्वय सम्भव होगा।

इन सभी योजनाओं के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी की सरकार का कटिबद्ध प्रयास है कि नगरीय जीवन स्तर में एक गुणात्मक परिवर्तन हो सके। अतः मा0 सदन से विनम्र निवेदन है कि नगर विकास विभाग के आय-व्ययक प्रस्तावों का समर्थन करें।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय,

आज हम एक ऐसे विभाग के बजट की चर्चा कर रहे हैं जो, अगर विकास का यही दौर चलता रहा, और ऐसी सम्भावना भी है कि यह दौर चलेगा और मजबूती के साथ चलेगा तो, शायद यह किसी भी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण विभाग होगा। पूरी दुनिया का इतिहास गवाह है कि बढ़ते औद्योगिकीकरण के साथ नगरीयकरण बढ़ता जाता है। दुनिया के सर्वाधिक विकसित देशों में तो कृषि पर निर्भर रहने वालों की संख्या सिर्फ 2-3% रह गयी है। सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का हिस्सा घट रहा है और उद्योग और सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। उद्योग और सेवा क्षेत्र का यह सारा कार्य मेट्रोपोलिटेन शहरों, महानगरों, विशेष औद्योगिक नगरों और कुछ मझौले नगरों तक सिमटा हुआ है। स्वाभाविक रूप से जैसे-जैसे विकास की गति बढ़ेगी, औद्योगिकीकरण होगा, शहरों का क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व दोनों बढ़ता जायेगा। आज भी दुनिया में औसतन आधे से अधिक लोग शहरों में ही रहते हैं। भारत के ही कुछ प्रान्तों में तामिलनाडु, महाराष्ट्र के शहरों में रहने वालों के संख्या करीब 50% के आस-पास है।

अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश में शहरों में रहने वालों की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है। आधुनिक प्रगति का, उचित अथवा अनुचित, यही लक्षण है। उत्तर प्रदेश की 16.61 करोड़ जनसंख्या में से 3.45 करोड़ लोग अर्थात 20.68% नागरिक शहर में निवास करते हैं। यह पूरे देश की शहरी जनसंख्या का अभी 12% है। 1991 में करीब 19.67% लोग शहरी थे। जिस गति से यह नगरीयकरण बढ़ रहा है अनुमानतः 2011 के करीब 4.49 करोड़ अर्थात 21.77% और 2021 में 5.83 करोड़ अर्थात 23.19% उत्तर प्रदेश के नागरिक शहरों में होंगे। प्रदेश की औसत दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.91% है जबकि नगरीय दसवर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981-1991 में 30.50% थी जो 1991-2001 में बढ़कर 32.88% हो गयी, जो पूरे देश की औसत नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 30.13% से 1.75% अधिक है अर्थात इधर के दस वर्षों में उत्तर प्रदेश में नगरीयकरण देश के मुकाबले और तेजी से बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश के लिये यह दुर्भाग्य का विषय है और नगर विकास विभाग और नगर नियोजन विभाग के लिये यह सौभाग्य का विषय है कि अभी प्रदेश का वास्तविक औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, और नागरिकों को रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं कस्बाई नागरिक गांवों को छोड़कर प्रदेश के बड़े शहरों में आ रहे हैं और यहां भी रोजगार न पाने के कारण बहुत बड़ी संख्या में देश के अन्य प्रदेशों और बड़े नगरों में चले जा रहे हैं। शायद ही भारत का कोई ऐसा कोना हो जहां उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिक न मिले। धीमे-धीमे जैसे-जैसे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश में रोजगार के

बेहतर साधन उपलब्ध होंगे, हमारे कर्मकारों का यह पलायन रुकेगा और बड़ी संख्या में बाहर जा रहे लोग हमारे विभिन्न शहरों को अपना आशियाना बनायेंगे। किसी भी प्रदेश का यह सौभाग्य होगा और सम्भवतः लक्ष्य भी यही होगा कि उसकी श्रम-शक्ति और बौद्धिक शक्ति का उपयोग उसके अपने प्रदेश के आर्थिक विकास में हो। लेकिन पूरे प्रदेश की यह उपलब्धता नगर विकास विभाग के लिये एक चुनौती होगी, जिसका सामना उसे करना होगा।

अध्यक्ष महोदय,

राजनीति का यह दुःखद पहलू है कि यह दीर्घकालिक आर्थिक नीतियों को बनाने के लिये न तो परिस्थितियां देती है और न ही अवसर देती हैं। राजनैतिक अस्थिरता तथा तात्कालिक राजनैतिक लाभ के इस दौर में कल की चिन्ता अधिकारियों के हवाले हो जाती है और राजनेता सिर्फ आज की चिन्ता करता है और यह भी उचित/अनुचित का मूल्यांकन किये बिना सिर्फ लोकप्रियता वादी कदमों को उठाने पर दिमाग लगाता है। दीर्घकालिक नीतियां दीर्घकालिक पूंजीनिवेश की मांग करती है, जिन पर तात्कालिक राजनैतिक लाभ नहीं मिलता है और इसलिये तात्कालिकता हमारी प्राथमिकता बन जाती है।

अध्यक्ष महोदय,

इस सरकार के पास एक बहुत बेहतर अवसर है। यह अपने साथ बिना किसी राजनैतिक दबाव के पूरे पांच वर्ष तक काम करने की सम्भावना अपने साथ लेकर आई है। इसे तो एक वर्षीय योजना प्रस्तुत करने के साथ ही या उसके स्थान पर पंचवर्षीय योजना, उसके उद्देश्य और लक्ष्य लेकर इस सदन के सामने आना चाहिये था। लेकिन इस सरकार ने यह अवसर खोया है। हमने बीस साला महायोजना की कल्पनायें व्यवहारिक रूप से स्वीकार की है। अगर विभिन्न महानगरों के लिये 2001 में महायोजना 2021 बनाई जा सकती है तो हमारे समझ में नहीं आता कि पूरे प्रदेश की एक सामूहिक महायोजना 2021 क्यों नहीं बनाई जा सकती है ?

अध्यक्ष महोदय,

हमने आवास विकास विभाग पर कटौती प्रस्तुत करते समय कहा था और यहां पुनः इसे दोहराना उचित समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री को एक नई दृष्टि एवं नई सोच के साथ और समग्रता के साथ सारी चीजों पर निगाह डालनी चाहिये। मैंने कहा कि आने वाले 5-6 वर्षों में नगर विकास विभाग प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण विभाग हो जायेगा। नगर विकास से सम्बन्धित प्रत्यक्ष कार्यों के संचालन के लिये हमने 4-4 विभाग बना रखे हैं। आवास विभाग, नगरीय नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग। जल निगम अपने आप में एक अलग और स्वतंत्र विभाग है। विभागों का यह विखण्डन हमारी राजनैतिक मजबूरी हो सकती थी लेकिन आज तो नहीं है।

नगर विकास की हम जो भी योजनायें बनाते हैं वे एक ही समग्र योजना के विविध आयाम है। इन्हें अलग-अलग रखने से न तो पूरी सही नीतियां बन पाती है, न ही कार्यान्वयन हो

पाता है, न ही उन पर नियंत्रण हो पाता है और न ही उनका मूल्यांकन हो पाता है। अंग्रेजी में एक कहावत है "Too may cooks spoil the broith" अर्थात जब बहुत सारे लोग मिलकर भोजन बनाते हैं तो भोजन के जगह पर कुछ और बन जाता है। जैसे-Mid day meal के साथ वास्तव में हो रहा है। अब तो Mid day meal का बच्चों द्वारा फेंका हुआ खाना पशु भी नहीं खाना चाहते हैं।

इसलिये अध्यक्ष महोदय,

मैं पुनः दोहराता हूं, हालांकि माननीय आवास मंत्री ने सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं उन्होंने इससे साफ-साफ मना किया है। बहुत अच्छा होता है कि भले ही पूर्ववर्ती सरकारों ने यह कार्य न किया हो, या उनकी दृष्टि न गई हो। इस सरकार को अपनी स्थिरता को देखते हुए यह कदम उठाना ही चाहिये और इन सभी विभागों को एक में मिलाकर समग्रता के साथ नगरीय विकास एवं उनकी चुनौतियों का सामना करने की स्थितियां पैदा करनी चाहिये। यह अपने आप में किसी कृषि विकास आयुक्त के समकक्ष नगरीय विकास आयुक्त के पद के सृजन और उसके नियंत्रण में चारों विभागों के प्रमुख सचिवों को लाने का मामला है। मैं यह जानता हूं कि यह लीक से हटकर एक बड़ी सैद्धान्तिक मांग है। लेकिन प्रदेश के विकास में भविष्य के नगरीय विकास की भूमिका को देखते हुए मैं पुनः इसे दोहराने के लिये बाध्य हूं।

अध्यक्ष महोदय,

1992 में संविधान का 74वां संशोधन पारित हुआ था। इस अधिनियम ने नगरीय स्थानीय निकायों को एक संवैधानिक मान्यता दी थी और एक लक्ष्य निर्धारित किया कि इस नगरीय स्थानीय निकायों को एक स्वायत्त तथा स्वावलम्बी नगर सरकारों के रूप में मान्यता दी जाय। यह एक बहुत बड़ी और क्रान्तिकारी अवधारणा थी। संशोधन के 12वें शेड्यूल ने स्थानीय निकायों को घरेलू, औद्योगिक, एवं व्यवसायिक जलापूर्ति, जनस्वास्थ्य, प्रदूषण एवं ठोस कूड़ा प्रबन्धन की दृष्टि से कुछ कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व निर्धारित किये। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थानीय स्व-शासन कानून (संशोधन) अधिनियम 1994 के माध्यम से संविधान की मंशा के अनुरूप स्थानीय निकायों को दायित्व देने का प्रयास किया। इसके अनुसार नगरीय स्थानीय संस्थाओं को जो पहले 8 स्तरों पर बांटी जाती थी, त्रि-स्तरीय बना दिया गया है। 12 म्युनिस्पिल कारपोरेशन, 194 म्युनिस्पिल बोर्ड तथा 421 नगर पंचायतों को मिलाकर कुल 627 शहरीय स्थानीय निगम बनाये गये, इन्हें राजनैतिक स्वायत्तता दी गयी तथा यह निश्चित किया गया कि राज्य सरकारें इन्हें तभी भंग कर सकती है जब ये लगातार अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असफल हो जाये या अपने अधिकारों का दुरुपयोग करें तथा भंग करने के 6 माह के अन्दर चुनाव कराना बाध्यकारी किया गया। नगर निगमों एवं 3 लाख की जनसंख्या से ऊपर की नगर पालिकाओं में वार्ड कमेटियों का गठन आवश्यक किया गया तथा इन्हें वित्तीय स्वायत्तता देने की दृष्टि से महापौरों को वित्तीय

अधिकार दिये गये। स्थानीय निकायों को राज्य स्तर से वित्तीय मदद देने की दृष्टि से राज्य वित्त आयोग के गठन का प्राविधान किया गया।

अध्यक्ष महोदय,

केन्द्र सरकार भी केन्द्रीय करों के राज्यों में बंटवारे की दृष्टि से केन्द्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। बंटवारे के अनुरूप केन्द्रीय वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को केन्द्र शब्दशः मानता है तथा लागू करता है। लेकिन अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि संवैधानिक परम्पराओं में होने के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को शब्दशः लागू नहीं करता है।

प्रथम राज्य वित्त आयोग ने कुल 97 संस्तुतियां दी थी, जिनमें से 61 संस्तुतियां नगरीय स्थानीय निकायों से सम्बन्धित थी। अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इन 61 संस्तुतियों में से राज्य सरकार ने सिर्फ 46 संस्तुतियों को पूर्णतः स्वीकार किया गया। 3 संस्तुतियों को कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया और 11 के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

10वीं संस्तुति के माध्यम से राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की थी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों में वृद्धि करके वित्त आयोग द्वारा संक्रणित धनराशि से समतुल्य अंशदान करें। आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाने की दृष्टि से ये अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। लेकिन राज्य सरकार ने नगर निगमों को छोड़कर अन्य नगरीय निकायों को इस अंशदान से मुक्त कर दिया। 26वीं संस्तुति के माध्यम से राज्य वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि जल संस्थानों और विकास प्रधिकरणों को निर्वाचित नगरीय स्थानीय निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया जाये। निकायों को अपने क्षेत्र में भवन निर्माण योजना स्वीकृत करने का अधिकार दिया जाये। राज्य सरकार ने जल संसाधनों को नगरीय निकायों के नियंत्रण में देने का निर्णय ले लिया लेकिन विकास प्राधिकरण का प्रकरण अग्रेतर निरीक्षण हेतु प्रशासनिक विभाग को रेफर कर दिया गया। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ।

30वीं संस्तुति के अनुसार आयोग ने वित्त विभाग के वित्त आयोग प्रकोष्ठ को सुदृढ़ करके इस विभाग द्वारा विधान सभा में वास्तविक समीक्षा प्रस्तुत करने का दायित्व दिया था। प्रदेश सरकार ने प्रकोष्ठ के सुदृढ़ीकरण पर तो सहमति दे दी लेकिन विधान सभा के समक्ष वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन पर सहमति नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय,

ग्यारहवें वित्त आयोग ने यह प्राविधान किया कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि जब राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो, उसके 6 माह के अन्तर्गत कार्यान्वयन आख्या राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत की जाय। ग्यारहवें आयोग ने स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पादन का 60% अंश देश में स्थित नगरीय केन्द्रों द्वारा प्रतिभागित होता है। लेकिन इनको नगरीय सेवाओं एवं अब स्थापनाओं के संदर्भ में गम्भीर कमी झेलनी पड़ती है।

अध्यक्ष महोदय,

स्वायत शासन की गहरी जड़ें प्राचीन भारत में बहुत पहले से हैं। ऐतिहासिक अभिलेखों, उत्खनन एवं पुरातत्वीय खोज के आधार पर ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुदूर अतीत काल में भारत में स्वायतशासी व्यवस्थायें किसी न किसी रूप में लागू थी। वेदों, मनु और कौटिल्य के अभिलेखों, मेगस्थनीज के अभिलेख संग्रहों में स्थानीय स्वायत शासन की उत्पत्ति को बौद्ध काल के पहले से पाया जाता है, सिन्धु घाटी की सभ्यता भारत में नगरीय सभ्यता के अत्यन्त विकसित एवं स्वावलम्बी होने का ऐतिहासिक उदाहरण है। आधुनिक भारत में संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा पुनः नगरीय संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया लेकिन बारहवें शेड्यूल के द्वारा नगरीय निकायों को जो अधिकार दिये गये थे उनमें से कई अधिकार अभी भी नगर निकायों को स्थानान्तरित नहीं किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय,

बारहवीं सूची के 18 अधिकारों में से कुछ अधिकार स्थानीय निकायों को पहली बार संक्रमित किये गये थे और आर्थिक स्वायतता की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण थे। जैसे-अपने क्षेत्र में आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनायें, वाहन खड़े करने के स्थान बस स्टाप एवं नगरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रख-रखाव, नगरीय वानिकी और पारिस्थितिक एवं पर्यावरणीय संरक्षण का प्रोन्नयन, विकलांग एवं मानसिक मन्द बुद्धि व्यक्तियों सहित समाज के दुर्बल वर्ग के हितों की रक्षा, मलिन बस्ती सुधार एवं प्रोन्नयन तथा नगरीय निर्धानता निवारण आदि। इन योजनाओं को भी विभिन्न अन्य संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय,

राज्य में बढ़ते नगरीयकरण ने स्थानीय निकायों को बहुत सी चुनौतियां दी है। मकानों की अत्याधिक कमी, पीने हेतु स्वच्छ पानी की आपूर्ति के कमी, हवा, जल एवं ध्वनि प्रदूषण, अत्यधिक भीड़-भाड़ मलिन बस्तियों की बढ़ती हुयी संख्या, अव्यवस्थित नगरीय वृद्धि एवं अवैध कब्जे। नगरीय निकायों को डटकर और सफलता पूर्वक इसका सामना करना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय,

नगर निकायों में मूलभूत सेवायें उपलब्ध कराने हेतु 1963 में जकारिया कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जलापूर्ति, जल-मल निकासी, गहरे पानी की नाली, सड़क और पथ प्रकाश के सेवाओं के मानक निर्धारित किये थे। जनसंख्या के अनुरूप अलग-अलग निकायों के अलग-अलग मानक बनाये गये थे, सरकार को एक बार उस कमेटी के रिपोर्ट के मानक पर स्थानीय निकायों का मूल्यांकन करना चाहिये था।

अध्यक्ष महोदय,

नगरीय क्षेत्रों में कूड़ा कर्कट के प्रबन्धन के लिये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर आशीष-वर्मन, की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हुआ था, जिसकी सिफारिशों को

स्वीकार करते हुये सर्वोच्च न्यायालय ने सभी प्रदेशों को इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के लिये निर्देशित किया। भारत सरकार ने नगर पालिका कूड़ा-कर्कट (प्रबन्धन एवं कार्यवाही) नियम 1999 में तैयार किये। जिसके अनुसार प्रत्येक स्थानीय निकाय को नागरिकों के घरों से, खाद जैव नाशनीय, पुनर्शोधनीय तथा हानिकारक इस कूड़े को अलग-अलग इकट्ठा करना। तथा जैव नाशकीय कूड़े को जैव-खाद में रूपान्तरित किया जाना आवश्यक किया गया। पुनर्शोधित मलवे को पुनर्शोधन कारखाने में भेजना तथा हानिकारक कचरों को वैज्ञानिक रीति से भूमि-भराव में प्रयुक्त किया जाना था। वास्तविकता यही है कि आज सम्भवतः किसी भी महानगर में ठोस कूड़े के प्रावधान की व्यवस्था नहीं है। बारहवीं वित्त आयोग के धन के उपयोग का जो निश्चित बंटवारा किया गया था उसके 50% धन इसी कार्य में लगाना था। लेकिन अधिकांश नगर निगमों ने इस दृष्टि से कोई प्रगति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय,

उत्तर प्रदेश नदियों से भरा हुआ क्षेत्र है। यहां भरपूर सतही और भूगर्भ जल उपलब्ध है और साथ में यहां बरसात भी खूब होती है। पूरे भारत का करीब 1/3 भूगर्भ-जल उत्तर प्रदेश में है। लेकिन व्यवहारिक सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में नदी में रहकर भी मछली प्यासी है। शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति बहुत कम है और बहुत से क्षेत्रों में पानी की भीषण कमी और किल्लत है। गर्मी के दिनों में यह हालत और भयावह हो जाती है। हरियाना में 57% मध्य प्रदेश में 65% पंजाब में 61% राजस्थान में 80% और पूरे देश में 57% घरेलू पाइप जलापूर्ति है लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 49% यह सुविधा उपलब्ध है और ऊपर से यह पानी सिर्फ 4-5 घण्टे उपलब्ध है। चूंकि पानी की लाइनें फटी हुई है, नालियों के बीच से गुजरती है इसलिए जब पानी की सप्लाई का समय नहीं होता तो नाली का पानी ही पीने की पाइप में घुसकर सप्लाई के समय में घरों में चला आता है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार हमारे यहां 60% बीमारियां जल जनित बीमारियां होती हैं।

अध्यक्ष महोदय,

जो जल उपलब्ध है उनकी स्वच्छता और प्रदूषण की मात्रा कोई छिपी हुई नहीं है ? सरकार के अपने साहित्य इस बात को स्वीकार करते हैं जल प्रदूषण का शहरों और कस्बों में गम्भीर पर्यावरणीय प्रभाव पड़ रहा है। सालिड और लिक्विड वेल्ट का अवैज्ञानिक निस्तारण इसका बहुत बड़ा कारण है। सिर्फ 5-6 शहर ऐसे हैं जिनके सिवरेज ट्रीटमेण्ट प्लांट उपलब्ध है। शेष में मलमूत्र का अशोधित रूप में नदियों में प्रभावित कर दिया जाता है। जल प्रदूषण के सभी मानकों, प्रमुख रूप से घुलित आक्सीजन, बायोकेमिकल आक्सीजन डिमाण्ड तथा सम्पूर्ण कोलीफार्म वैक्टिरिया कालोनी की दृष्टि से अधिकांश जल प्रदूषित है।

अध्यक्ष महोदय, अभी दिनांक 10 जुलाई, 2007 को 6 दिन पूर्व इसी विधान सभा में हमारे द्वारा दिनांक 4 जुलाई, 2007 को नियम-51 के तहत उठाये गये विषय का जवाब देते हुए

सरकार ने स्वीकार किया है कि गोरखपुर में विगत महीनों में गैस्ट्रो/डायरिया का प्रकोप हुआ जिनकी कुल अधिकृत संख्या 587 बतायी गयी। हमने स्वयं सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया था। अब सरकार कार्यवाही कर रही है। ऐसी घटनायें आम बात है। सरकार इन घटनाओं का कितनी लापरवाही से लेती है। सरकार ने अपने लिखित जवाब में स्वयं स्वीकार किया है कि गैस्ट्रो के प्रकोप के दौरान गोरखपुर नगर निगम द्वारा संचालित संक्रामक रोग अस्पताल में लोमोफिन जैसी जानलेवा और प्रतिबन्धित दवा बांटी गयी। यह आश्चर्यजनक सत्य है सरकार ने इस तथ्य को स्वीकार करते हुए भी जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार ने जवाब दिया कि यह दवा पूर्व चिकित्साधिकारी डॉ0 एच0 पी0 खरे द्वारा खरीदी गयी। लेकिन क्या यह सरकार यह नहीं जानती थी कि यह प्रतिबन्धित दवा डॉ0 डी0 ए0 खान तथा डॉ0 निरंजन की देखरेख में बांटी गयी ? क्या डॉ0 एच0 पी0 खरे सेवानिवृत्त हो चुके हैं ? क्या सिर्फ खरीदना अपराध है ? क्या बांटना अपराध नहीं है ? सरकार यह कहती है कि चिकित्सालयों में पता नहीं था कि यह प्रतिबन्धित श्रेणी की दवा है। इससे बड़ा असत्य क्या क्या हो सकता है ? यह कितना आश्चर्यजनक कथन है कि जिन मरीजों की यह दवा दी गयी उनमें से किसी को साइड एफेक्ट नहीं हुआ ? चिकित्सा अधिकारियों का कैसे पता चला कि कोई साइड एफेक्ट नहीं हुआ ? अगर किसी को गोली मारी जाय और वह मर नहीं पाये तो क्या गोली मारना भी अपराध नहीं रह जायेगा ? बड़ा स्पष्ट था कि सरकार अपने दोषी चिकित्साधिकारियों को बचाने का नंगा प्रयास कर रही है।

अध्यक्ष महोदय,

हमने नगर निगमों को स्वायत्ता तो दे दिया लेकिन हर छोटी सी छोटी बात पर हम कार्यपालिकीय हस्तक्षेप करते रहते हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में एक आदेश निकाल दिया गया कि नगरीय क्षेत्रों में सी0 सी0 रोड नहीं बनेगी यह कैसा आदेश था, आधार था कि गुणवत्ता पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है ? जबकि सच्चाई यह है कि जल जमाव वाले क्षेत्रों में डामर की सड़कें बनवाना पैसे की लूट है। डामर और जल-जमाव एक दूसरे के दुश्मन है इसीलिए हर बरसात के बाद जल-जमाव वाले क्षेत्रों में डामर की सड़कें टूट जाती हैं। एक दूसरा वैधानिक परिवर्तन किया गया कि महापौर विधायक/सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसका क्या औचित्य था ? नगरपालिका अध्यक्ष/विधायक का चुनाव लड़े तो नगर प्रमुख क्यों नहीं ?

नगर निगमों में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। गोरखपुर नगर निगम ने दावा किया है कि जून माह में उसने महानगर के विभिन्न पार्कों में 11742 पौधे लगा दिये। नगर निगम ने जेट्रोफा, शीशम, अर्जुन, सौगान, कदम, कचनार, हरसिंगार, सावनी, पेण्डुला, वाटलयाम, बकाईन और बाटल ब्रस आदि पौधे लगाने का दावा किया है। इस बात की जांच होनी चाहिये कि ये सारे पेड़ कहां चले गये ? मण्डलायुक्त तक को इस तथ्य की जानकारी है। मैं मांग करता हूं कि नगर निगम द्वारा कराये गये तथाकथित वृक्षारोपण की नगर विकास मंत्री जांच कराये।

अध्यक्ष महोदय,

आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश मच्छर जनित रोगों से परेशान है इन्सेफलाइटिस के कारण दसियों हजार नागरिकों की मौत हो गयी और नगर निगम गोरखपुर ने फागिंग के नाम पर एक वर्ष में रुपये 72 लाख खर्च कर दिये। नगर निगम के हिसाब से बड़ी मशीनों पर 35.48 लाख और छोटी मशीनों पर 10.83 लाख तथा वेतन मद में 33.24 लाख रुपया खर्च हो रहा है। इतने रुपये में तो सम्भवतः पूरे महानगर की एरियल फागिंग हो गयी होती। इतनी फागिंग होने के बाद भी मच्छरों का प्रकोप पहले से अधिक है। मैं मांग करता हूं कि गोरखपुर नगर निगम सम्पूर्ण फांगिग की व्यवस्था की जांच करायी जाय।

अध्यक्ष महोदय,

गोरखपुर नगर निगम का पथ-प्रकाश विभाग तो अनियमितता और भ्रष्टाचार का अड्डा है। यह आश्चर्यजनक है कि यहां के कार्यों का रजिस्टर नहीं बनाया जाता है। पथ-प्रकाश विभाग में अनुशासनहीनता इतनी अधिक है कि उपकरण खरीद लिये जाते हैं लेकिन न तो सत्यापन कराया जाता है और न ही अधिकारियों की सूचना दी जाती है। सोडियम इग्नाइटर की खरीद पर 68 लाख रुपये खर्च कर दिये गये। पथ-प्रकाश बिन्दुओं को बुझाने के नाम पर 19.51 लाख रुपये खर्च हो गये, जबकि शायद ही कभी दिन में बिजली बुझायी जाती है। पथ-प्रकाश के पिछले तीन वर्षों के समस्त कार्य निष्पक्ष तथा स्टोर की गहन जांच अत्यन्त आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, नगर निगमों की सफाई व्यवस्था रसातल पर पहुंच चुकी है जबसे ठेके पर सफाई की व्यवस्था प्रारम्भ हुई, सफाई व्यवस्था पहले से और अधिक चरमरा गयी है नियमानुसार बरसात के पूर्व नालों की तल्लीझार सफाई हो जानी चाहिए लेकिन शायद ही गोरखपुर महानगर में कहीं पर विधिवत सफाई हुई हो। गोरखपुर नगर निगम अपने मल-मूत्र को बिना शोधित किये हुये नदियों में बहा देता है। अभी तक गोरखपुर में एक भी सिवरेज ट्रीटमेण्ट प्लान्ट नहीं है। किसी भी महानगर को अपना दूषित प्रवाह नदियों के माध्यम से आगे नगरों को देना का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आज से करीब डेढ़ वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश शासन ने गोरखपुर नगर निगम को लाल डिग्गी पार्क के पुनर्निर्माण लिये रुपये 1.44 करोड़ दिये थे आज तक यह निर्माण कार्य नहीं हो सका है। महानगर में बड़ी संख्या में आज भी अपूर्ण तथा कच्चे नाले हैं। राज्य वित्त आयोग को स्पष्ट निर्देश था कि प्राथमिकता के आधार पर नालों का निर्माण कराया जाय, लेकिन अभी तक इस दिशा में नगण्य प्रगति हुई है। जटेपुर उत्तरी और धर्मशाला रोड के बीच तथा मोहनलालपुर से डोमिनगढ़ तक नाले का पक्का कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले नगरीय क्षेत्रों में गरीबी तेजी से बढ़ रही है। करीब 31-32% नागरिक मलिन बस्तियों में रहते हैं। शहर गरीबों का केन्द्र बन गये हैं। और शहरी योजनाकार तथा नीति-निर्माण उन्हें हाशिये पर रखकर शहरी विकास का खाका खींचते हैं

शहरी गरीब जिन बस्तियों में रहने को विवश है, वेबस्तियां मानव स्वास्थ्य के मानकों के अनुकूल नहीं है। स्वच्छ हवा और पेयजल तक की उनकी पहुंच नहीं के बराबर है।

महोदय,

यह सत्य है कि शहरीकरण एक अपरिहार्य घटना है और शहरों का विकास 21वीं सदी के विकास का एक मात्र सबसे बड़ा प्रभाव होगा।

अध्यक्ष महोदय,

पीने के पानी और स्वच्छता के जो प्रमुख लक्ष्य तय किये गये हैं उसके अनुसार 2012 तक प्रदेश के सभी नगरीय नागरिकों को पाइप पेयजल उपलब्ध कराना होगा, पूरे प्रदेश को सूखे तथा खुले शौचालयों से मुक्त कराना होगा तथा ठोस कूड़ा-कर्कट एवं द्रवीय मलमूत्र का सर्वांगीण अपजर्वन करना होगा। आज की स्थिति यह है कि शहर के कम से कम 33% नागरिकों के लिये पीने के स्वच्छ पानी, 33% नागरिकों को स्वच्छ शौचालय तथा 50% नागरिकों के लिये मलमूत्र (सिवरेज) के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। उत्तर प्रदेश के नगर निगम अपने कर स्रोत से सिर्फ 11% तथा करेत्तर स्रोतों 16.7% राजस्व की व्यवस्था कर पाते हैं। शेष 73.3% व्यवस्था के लिये इन्हें राज्य सरकार पर निर्भर रहना होता है और राज्य सरकार ने अपने आय-व्ययक में इसकी कोई व्यवस्था नहीं की है।

अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस सम्पूर्ण आय-व्ययक को वापस लेकर पुनः वास्तविकता पर आधारित मूल्यांकन कराकर नया आय-व्ययक जारी करें। अतः मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

मा0 पर्यावरण मंत्री जी का भाषण

श्री नकुल दुबे-

मा0 अध्यक्ष जी,

आपके माध्यम से इस ऐतिहासिक एवं पवित्र सदन को पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं विश्वास से बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार एवं उसकी मुखिया मा0 मुख्य मंत्री जी समाज में व्याप्त हर प्रकार के प्रदूषण को दूर करने के लिए कृतसंकल्पित है। प्रदूषण से तात्पर्य समाज में भेदभाव व ऊंच नींच से व्याप्त प्रदूषण, जल में प्रदूषण, वायु में प्रदूषण, भूमि में प्रदूषण, उद्योगों द्वारा जनित प्रदूषण आदि है।

पहले प्रकार के प्रदूषण को दूर करने के लिये हम सब को एक साथ आगे आना होगा और यह तो निश्चित है कि समाज से जब तक यह प्रदूषण दूर नहीं होगा पूरा उत्तर प्रदेश एवं भारत वर्ष प्रदूषण से मुक्त नहीं होगा।

अतः हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि इस प्रदूषण को हम समाज से पूरी तरह हटा कर ही दम लेंगे।

मान्यवर,

प्रदूषण की समस्या गांव से लेकर पूरे विश्व तक है और सम्पूर्ण मानव जाति इस ओर अत्यधिक चिन्तित है परन्तु मानव जाति के द्वारा ही प्राकृतिक संपदाओं का दोहन किया जा रहा है। पंचवटी के रूप में लगाये गये वृक्षों को अंधाधुन्ध तरीके से काटा जा रहा है जिससे पर्यावरण को और अधिक खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। इस बजट को प्रस्तुत करते समय मुझे स्वर्गीय श्री बी0 आर0 वर्मा जी की याद आ रही है जिन्होंने सन् 1997-98 में पर्यावरण पर बहुत गम्भीरता से कार्य किया था इस अवसर पर मैं उन्हें माननीय अध्यक्ष जी की अनुमति से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

सम्पूर्ण विश्व के पर्यावरण विदों एवं वैज्ञानिकों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पृथ्वी के ऊपर ओजोन की चादर में छिद्र होते चले जा रहे हैं और इन छिद्रों का बढ़ना अगर कम न हुआ तो वो दिन दूर नहीं कि पृथ्वी का तापक्रम 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जायेगा। अतः इस विभाग के प्रति सम्पूर्ण सदन को अत्यन्त गम्भीर होना पड़ेगा।

मैं सभी सम्मानित सदस्यों का ध्यान प्लास्टिक और पोलिथीन के अंधाधुन्ध प्रयोग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसके कारण भी पर्यावरण की भारी चुनौती हमारे सामने खड़ी हो गयी है। जहां भी जाइये हर तरफ पॉलीथीन ही पॉलीथीन इसका कुप्रभाव इतनी भारी मात्रा में पड़ रहा है शायद इसका अन्दाज हमें नहीं हैं। इस गम्भीर समस्या से छुटकारा पाने के लिये हमें प्रभावी कदम उठाना होगा।

आज ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रदूषण की समस्या बढ़ती चली जा रही है। मेरे संज्ञान में बहुत सी शुगर मिलें है जिन्होंने उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र आदि का उपयोग नहीं किया है जिसके कारण नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इस ओर भी प्रभावी कदम उठाये जायेंगे ताकि गांवों को पूर्णतयः प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके।

आबादी वाले क्षेत्रों में ईंट भट्ठों से भी प्रदूषण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जो भट्ठे कुछ साल पहले आबादी से दूर थे आज उनके आस-पास भरी संख्या में इन्सान रहने लगे हैं और अनायास ही भट्ठों से उत्पन्न हो रहे प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। इस ओर भी कठोर कदम उठाते हुए कार्य करने का निश्चय किया गया है।

हम सभी जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण से मानव के मन मतिष्क पर काफी बुरा असर पड़ता है जिससे उच्च रक्तचाप एवं हृदय सम्बन्धी गम्भीर बीमारियां होती हैं। गर्भवती स्त्री अगर ध्वनि प्रदूषण के बीच रहती है तो उसका गर्भपात तक होने की सम्भावना होती है। ध्वनि प्रदूषण से इस तरह के खतरे हैं इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। औद्योगिक विकास और पोल्यूशन कंट्रोल के बीच सामंजस्य होना चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जोनल एटलस बनाकर तथा समय-समय पर अपडेट कर **"किस तरह के क्षेत्र किस तरह के उद्योगों से सेचुरेट हो चुके हैं तथा वहां के प्राकृतिक संसाधन एवं नदियों की कितनी वियरिंग कैपीसिटी रह**

गई है" यह बनाकर सराहनीय काम किया है। इससे आने वाले उद्योगों का स्थान निर्धारित करने में आसानी रहेगी। प्राकृतिक संसाधनों का मनमानी दोहन न हो, इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण और औद्योगिक विकास के मध्य सामन्जस्य होना अति आवश्यक है। **प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की एक्टिविटी सलाहकार के साथ-साथ निरीक्षक की भी होनी चाहिए।** ऐसी इण्डस्ट्रियां जो प्रदूषण पैदा कर रही है उनके ऊपर बैंक गारण्टी लेकर उनको चलने तो दिया जाए लेकिन उनकी कार्य योजना रिपोर्ट लगाई जाए कि कितने समय में उनके उत्सर्जन/उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित हो। बैंक गारण्टी ले ली जाय ताकि उनके ऊपर बोझ रहे कि अगर वह इतने दिनों में प्रदूषण कंट्रोल न कर पाये तो उनका पैसा जब्त कर लिया जाए। इस तरह का प्रयास शुरू होता है तो निश्चित रूप से प्रदूषण कंट्रोल होगा और इंडस्ट्री की ग्रोथ भी नहीं रुकेगी व बेरोजगारी भी नहीं बढ़ेगी।

प्रदूषण को दूर करने के लिए एवं प्रदेश में पर्यावरण की सुरक्षा, सुधार एवं संवर्धन हेतु पर्यावरण विभाग, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जनमानस में पर्यावरणीय जागरुकता उत्पन्न करने के व्यापक प्रयास किये जायेंगे। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम हेतु शोध एवं क्रियान्वयन सम्बन्धी योजनायें चलायी जायेंगी।

भारत सरकार के सहयोग से पर्यावरण निदेशालय के कार्यालय परिसर में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना प्रस्तावित है, जिसमें पर्यावरण बहु विषयक यथा प्रदेश की जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी का जन्म, जीवन, मानव और सभ्यता का विकास, विकास वृक्ष, पारिस्थितिकीय तंत्र, जल और गंगा का महत्व, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, संरक्षण की भारतीय परम्पराएं इत्यादि पर आधारित विभिन्न प्रकार के पैनल, डिजिटल प्रिंट्स, म्यूरल्स, रिलीफ मॉडल्स, केव स्ट्रक्चर्स, थ्री डी इलेक्ट्रानिक पैनल्स, डिजिटल ट्रांसपैरेंसी, ट्रांसस्लाइट्य, टच स्क्रीन प्रणाली और मल्टी मीडिया आधारित डिसप्ले सुविधा एवं अन्य आकर्षक इलेक्ट्रानिक सुविधायें विकसित किये जाने की योजना है।

भारत सरकार के सहयोग से उद्योगों से उत्पन्न होने वाले खतरनाक अपशिष्टों के निस्तारण हेतु सुविधाओं की स्थापना और अनाधिकृत खतरनाक अपशिष्ट निस्तारण स्थलों का उपचार कराये जाने की योजना है।

छोटे उद्योगों को अपशिष्टों के निस्तारण में सहयोग देने हेतु सामान्य अपशिष्ट प्रबन्ध सुविधाओं की स्थापना कराये जाने का भी प्रस्ताव है।

उद्योगों से सम्भावित दुर्घटनाओं को देखते हुये जनपद स्तर पर आपदा प्रबन्धन के लिये आफ साइट क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान तैयार कराये जाने की योजना है।

पर्यावरण प्रबन्ध पर शोध एवं विकास, प्रशिक्षण, सलाह तथा प्रसार इत्यादि विभिन्न आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये एक राज्य प्रशिक्षण और शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है।

केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत ताजमहल की पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र में मिशन मैनेजमेंट बोर्ड एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनायें विभिन्न कार्यदायी विभागों के माध्यम से क्रियान्वित कराये जाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष **2007-08** में जो आय-व्ययक प्रस्तावित किया गया है, उसमें पर्यावरण विभाग की अनुदान संख्या-45 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की विभिन्न योजनाओं हेतु आय-व्ययक हेतु **रु0 17347.00 लाख (एक सौ तिहत्तर करोड़, सैंतालिस लाख)** तथा आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत रु0 179.41 लाख (एक करोड़, उन्यासी लाख, इक्तालीस हजार), इस प्रकार कुल **रु0 17526.41 लाख (एक सौ पचहत्तर करोड़, छब्बीस लाख, इक्तालिस हजार)** का आय-व्ययक प्रस्तावित है।

भारत सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य की समग्र सुरक्षा के उद्देश्य एवं प्रदूषण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुये प्रदूषण जनित समस्याओं के प्रभावी निराकरण हेतु अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 की धारा (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 03 फरवरी, 1975 को 'उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड' का गठन किया गया। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निम्न अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है :-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत समय-समय पर प्रख्यापित नियमों के तहत हैजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ध्वनि प्रदूषण, म्युनिस्पिल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट आदि।

केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य बोर्डों के आर्थिक संसाधन सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जल (प्रदूषण निवारण तथानियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत बोर्ड द्वारा स्थानीय निकायों एवं उद्योगों से उनके जल उपभोग की मात्रा के आधार पर उपकर वसूल किये जाने का प्राविधान किया गया है। वित्तीय **वर्ष 2006-07 में रु0 2039.50** लाख लक्ष्य के विरुद्ध **मार्च, 2007** तक **रु0 3087.00** लाख एकत्र किया गया।

राज्य की औद्योगिक विकास नीति के परिप्रेक्ष्य में एवं प्रदेश के औद्योगिक विकास को दृष्टिगत रखते हुये बोर्ड द्वारा प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं पारदर्शिता के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। अधिनियमों के क्रियान्वयन के प्रारम्भिक वर्षों में यह व्यवस्था थी कि नये उद्योगों की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रत्येक उद्यमी द्वारा लिया जाना था। प्रक्रिया के सरलीकरण के

तहत बोर्ड द्वारा 220 प्रकार के अप्रदूषणकारी उद्योगों को सूचीबद्ध किया गया है। इस प्रकार के उद्योगों को न तो बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है एवं न ही सामान्य प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है। साथ ही 52 प्रकार के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के लघु, मध्यम एवं वृहद श्रेणी के उद्योगों के प्रकरणों का निस्तारण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से किया जा रहा है, जिससे अधिकाधिक प्रकरण स्थानीय स्तर पर निस्तारित हो जाते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर एक माह तथा मुख्यालय स्तर पर चार माह की अधिकतम अवधि निस्तारण हेतु निर्धारित है।

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदेश की प्रमुख नदियों जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, सई, घाघरा, राप्ती, काली, हिण्डन, सरयू, बेतवा और गोविन्द सागर रिहन्द जलाशय, के 32 नमूना स्थलों पर प्रत्येक माह में एक बार नमूने एकत्र कर जलगुणता अनुश्रवण का कार्य नेशनल वाटर क्वालिटी मानीटरिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत किया जा रहा है। प्रदेश के सभी शहरों का मल-जल एवं औद्योगिक कचरा इन्हीं नदियों में निस्तारित किया जाता है, जो कि नदियों के प्रदूषण का मूल-स्रोत एवं कारण है।

पिछले वर्षों में प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से परिलक्षित होता है कि विभिन्न नदियों/जलाशयों के 16 नमूना स्थलों पर घूलित आक्सीजन (डी0 ओ0) एवं बी0 डी0 ओ0 की मात्रा में सुधार पाया गया है। बोर्ड इस दिशा में बराबर प्रयासरत है कि नदियों के जल की गुणवत्ता में सभी स्थलों पर सुधार आये।

राज्य बोर्ड द्वारा अति प्रदूषणकारी 432 उद्योगों को चिन्हित किया गया है, जो नदी/सरिता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रवाह निस्तारित करते हैं, इनमें से 343 उद्योगों द्वारा उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित कर लिये गये हैं। 88 उद्योग बन्द हैं तथा 01 उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धीकरण संयंत्र निर्माणाधीन हैं। राज्य बोर्ड द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जिन उद्योगों में ई0 टी0 पी0 स्थापित किया गया है, को प्रभावी रूप से संचालित किये जाने हेतु दबाव बनाया जाये, जिससे कि उत्प्रवाह मानकों के अनुरूप निस्तारित हो।

जाजमऊ, कानपुर में स्थित चमड़ा उद्योगों से प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। कानपुर में 402 टैनरी स्थापित हैं, इन उद्योगों में प्राथमिक उत्पवाह शुद्धीकरण संयंत्र स्थापित हैं तथा उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा सामूहिक उत्प्रवाह शुद्धीकरण व्यवस्था बनाई गई है, जो टैनरियों से निकलने वाले उत्प्रवाह को सीवेज के साथ मिलाकर शुद्धीकृत करते हैं। 48 टैनरी उद्योगों में पूर्ण शुद्धीकरण व्यवस्था स्थापित न होने के कारण बोर्ड द्वारा अन्दी आदेश जारी किये गये हैं।

प्रदेश में परिसंकटमय अपशिष्ट नियमावली, 1989 (संशोधित 2003) के अन्तर्गत 1940 उद्योग वर्तमान में आच्छादित हैं, इनमें से 1351 उद्योगों को प्राधिकार निर्गत किये गये है। 281

उद्योग स्वयं के कारणों से बन्द हैं। 125 दोषी उद्योगों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये हैं। शेष उद्योगों के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

सामूहिक परिसंकटमय अपशिष्ट उपचार भण्डारण एवं निस्तारण व्यवस्था के विकास हेतु कानपुर (रूमा), कानपुर देहात (कुम्भी), उन्नाव (बन्थरा), बुलन्दशहर एवं मुजफ्फरनगर में 05 स्थलों को चिन्हित किया गया है तथा इनमें से कानपुर (रूमा), उन्नाव (बन्थरा) एवं कानपुर देहात (कुम्भी) में स्थित सामूहिक भण्डारण व्यवस्थायें कार्यरत हैं।

प्रदेश के महानगरों की परिवेशीय वायु गुणता में व्याप्त वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहन प्रदूषण है। राज्य बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणता अनुश्रवण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के 11 प्रमुख नगरों लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अनपरा (सोनभद्र), गजरौला, गाजियाबाद, वाराणसी, नोयडा, खुर्जा तथा फिरोजाबाद नगरों के कुल 29 स्थलों पर परिवेशीय वायुगुणता की जांच/अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है।

लखनऊ, कानपुर एवं आगरा शहर की वायु गुणता का अनुश्रवण क्रमशः 5.5 एवं 2 बिन्दुओं पर किया जाता है। वायु गुणता के परिणामों से विदित होता है कि शहर की परिवेशीय वायु गुणता में सल्फर डाई आक्साइड एवं नाइट्रोजन आक्साइड की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप है, परन्तु एस0 पी0 एम0 एवं आर0 एस0 पी0 एम0 की मात्रा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई है, जिसका मुख्य कारण वाहन प्रदूषण है।

शहरों की वायु गुणता में सुधार लाने हेतु बनाई गई कार्य योजना के अन्तर्गत निम्न कार्य किये गये हैं :-

नये वाहनों हेतु यूरो-2 एवं यूरो-3 मानकों का अनुपालन कराया जाना।

कानपुर एवं आगरा शहर में माह अप्रैल-2005 से यूरो-3 मानकों एवं लखनऊ में यूरो-2 मानकों का अनुपालन करने वाले नये वाहनों का संचालन ही अनुमन्य किया गया है।

2टी आयल हेतु प्रीमिक्स डिस्पेंसर स्थापित किया जाना लखनऊ एवं आगरा शहर में 2टी आयल की आपूर्ति हेतु सभी प्रमुख आउटलेट्स पर प्रीमिक्स डिस्पेंसर स्थापित है।

शहरी क्षेत्र में व्यवसायिक वाहन की आयु सीमा का निर्धारण लखनऊ शहर में 15 वर्ष से अधिक आयु की बसों एवं 5 वर्ष से अधिक आयु के पेट्रोल एवं डीजल चलित आटो का संचालन समाप्त कर दिया गया है।

कानपुर शहर में 9 वर्ष से अधिक आयु की बसों, 7 वर्ष से अधिक आयु के टैम्पो, टैक्सी, 10 वर्ष के अधिक आयु के आटो रिक्शा एवं 15 वर्ष से अधिक आयु के मैक्सी कैब का संचालन समाप्त कर दिया गया है।

आगरा शहर में 15 वर्ष से अधिक आयु की बसों, 5 वर्ष से अधिक आये के स्क्रबर युक्त टैम्पो, 10 वर्प से अधिक आयु के केटलिटिक कन्वर्टर युक्त आटो रिक्शा एवं 8 वर्ष से अधिक आयु के सिटी बसों का संचालन समाप्त कर दिया गया है।

स्वच्छ ईंधन (सी0 एन0 जी0) की आपूर्ति किया जाना लखनऊ शहर में 25000 कि0 ग्रा0/दिन सी0 एन0 जी0 की आपूर्ति की जा रही है। शहर में 3200 आटो एवं 25 सी0 एन0 जी0 बसें संचालित हैं।

कानपुर शहर में लगभग 26000 कि0 ग्रा0/दिन सी0 एन0 जी0 की आपूर्ति की जा रही है। शहर में 4479 नये सी0 एन0 जी0 वाहन तथा 816 पुराने परिवर्तित वाहन सी0 एन0 जी0 पर संचालित हैं।

आगरा शहर में 12000 कि0 ग्रा0/दिन सी0 एन0 जी0 आपूर्ति की जा रही है। शहर में 4302 आटो टैम्पो सी0 एन0 जी0 पर संचालित हैं।

उक्त प्रयासों के कारण विगत एक वर्ष में लखनऊ, कानपुर तथा आगरा शहर की परिवेशीय वायु-गुणता में क्रमशः 11 प्रतिशत, 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत का सुधार आया है।

जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम, 1998 (यथा संशोधित) के अन्तर्गत प्रदेश में कुल 3535 अस्पताल/नर्सिंग होम तथा अन्य संस्थान चिन्हित किये गये हैं जिनमें से 2435 अस्पतालों/नर्सिंग होम्स व अन्य संस्थानों द्वारा सामूहिक उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्था कर ली गई अथवा सामूहिक उपचार व्यवस्था से सम्बद्ध है। प्रदेश में कुल 19 स्थलों पर सामूहिक जैव चिकित्सा उपचार व्यवस्था स्थापित की गई है जिनमें से जनपद बरेली में 2, गाजियाबाद में 1, मेरठ में 2, कानपुर में 4, इलाहाबाद में 1, लखनऊ में 3, मथुरा में 1, आगरा में 2, अलीगढ़ में 2, झांसी में 1 और वाराणसी में 1 है तथा गोरखपुर एवं फैजाबाद जनपदों में एक-एक सामूहिक उपचार व्यवस्था प्रस्तावित है।

प्रदूषण एक व्यापक और बहुआयामी विषय है। औद्योगिकीकरण के अलावा भी विकास के अनेक कार्यकलापों से प्रदुषण उत्पन्न होता है। प्रदूषण नियंत्रण के कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने हेतु विभिन्न सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करायी जा रही है। अतः मा0 सदन से विनम्र निवेदन है कि पर्यावरण विभाग के आय-व्ययक प्रस्तावों का समर्थन करें।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर,

मैं आपका ध्यान जल-प्रदूषण की ओर दिलाना चाहता हूं।

<u>जल जीवन है</u> और जल के मुख्य स्रोत नदियां हैं, भूगर्भ जल है, जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार से करते हैं। कहा जाता है कि <u>जल अमृत है</u> बिना जल के इस धरती पर कोई भी नहीं रह सकता है। यह जानते हुये भी कि जल हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो अमृत है उसे प्रदूषित करके, विष बनाने का काम हम सब कर रहे हैं।

पेयजल का मुख्य स्रोत नदियां आज भी हैं किन्तु इन नदियों में गिरते हुये नाले, मलमूत्र, कचरा, मृत पशु, मृत मानव-शरीर, कारखानों द्वारा निकले हुये जहरीले पदार्थ, उनको प्रदूषित कर रहे हैं।

पतित पावी गंगा की बात करूं तो, याद आता है इसी सदन में पिछली सरकार के समय सम्मानित पूर्व सदस्य डा0 नरेन्द्र सिंह गौड़ द्वारा कुम्भ-मेले गंगा जल के प्रदूषण पर चिन्ता की गयी। कुछ नहीं हुआ।

कानपुर में गंगा जी क्या हाल है ?

वाराणसी में गंगा जी का क्या हाल है ?

गंगा एक्शन प्लान के अनुसार कोई कार्य नहीं हो रहा है। सरकार चिन्ता करें।

मैं लखनऊ की जीवन-धारा कही जाने वाली आदि गंगा 'गोमती' की बात जरूर कहना चाहूंगा।

लाखों-लाख लोगों को पानी पिलाने वाली गोमती आज गन्दे नाले के रूप में बह रही है।

लखनऊ शहर के सभी छोटे-बड़े नाले गोमती के मेन स्ट्रीम में गिर रहे हैं। परिणामस्वरूप गोमती का बेड मल-मूत्र से भर गया है और शहर को गंदा पानी सप्लाई कर रहा है। गोमती को गहराई से साफ करने की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने करवाया था।

गोमती नदी के किनारे बने कल-कारखाने गोमती में प्रदूषण बोर्ड की परवाह न करते हुये अपने यहां का दूषित पदार्थ गोमती में डालते हैं। उसे प्रदूषित करते हैं। सारे जीव मरे जा रहे हैं।

1984 में सैलेज फार्म था, वह समाप्त हो गया, गोमतीनगर बन गया।

सारा सीवेज नदी में जाने लगा है। नालों को बैराज के बाहर डाइवर्ट किया जाय। सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लगाये जाये। गोमती की सफाई की जाय।

नदी क्षेत्र में कूड़ा भरने से भू-जल में घातक रसायन जाने की सम्भावना है और भूजल जहरीला हो जायेगा। सरकार प्रतिबन्ध लगाये।

मान्यवर,

मैं गोमती नदी में जल प्रदूषण के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

गोमती को प्रदूषण से मुक्त करने की कार्यवाही, '13 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं' हो रही है।

उसकी सफाई के नाम पर अधिकृत तौर पर 70 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं। मगर लाखों लोगों का उद्धार करने वाली गंगा का उद्धार होते नहीं दिखाई देता।

जल प्रदूषण बोर्ड के आंकड़े गवाह हैं कि 70 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होने के बाद भी गोमती के जल की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आज से पांच साल पहले गोमती के गऊघाट इनटेक चैनल पर नदी के पानी में घुलित आक्सीजन 7.6 मि0 ग्र0/लीटर और बायोलाजिकल आक्सीजन 3.4 मि0 ग्र0/लीटर थी, जबकि डाउन स्ट्रीम पर डी0 ओ0 2.1 मि0ग्रा0/लीटर और बी0ओ0 डी0 4.8 मिग्रा0/लीटर थी।

वहीं मई, 2007 में गऊघाट पर डी0 ओ0 मात्रा 7.4 मि0ग्रा0/लीटर और बी0ओ0डी0 3.2 मि0ग्रा0/लीटर और डाउन स्ट्रीम पर डी0ओ0 1.0 मि0ग्रा0/लीटर और बी0ओ0डी0 7.6 मिग्रा0/लीटर थी।

जब तक ककरहा में एस0 टी0 पी0 नहीं बनता, सीवेज लोड बढ़ता जायेगा।

अस्पतालों से निकला कचड़ा तथा कूड़ा, जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होता है, जिसे नियमानुसार इन्सुरेटर में जलाना चाहिये, भूमि में गाड़ दिया जाता है जिससे भूमि की मिट्टी और भूजल प्रदूषित हो रहा है। इस पर रोक लगाना चाहिये।

मान्यवर,

प्रदूषण पैदा करने में ध्वनि का भी बड़ा हाथ है।

शहरों में वाहनों की संख्या का लगातार बढ़ना और उसमें तेज हार्नों और हूटर का उपयोग, शादी-ब्याह तथा उत्सवों में देर रात तक तेज आवाज के लाउड-स्पीकर, डी0 जे0, बैण्ड-बाजों की आवाज, कल-कारखानों में चलने वाली मशीनों तथा उनके साइरन आदि ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं।

सदन में आश्वासन मिला था कि आदेश दे दिये गये हैं कि रात्रि 10 बजे के बाद तेज ध्वनि का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किन्तु इसका उल्लंघन हो रहा है।

राजधानी के ज्यादातर रिहायशी इलाके ऐसे हैं जहां कुछ वर्षों में शोर-शराबा तेजी से बढ़ा है। इनमें राजधानी के नये बसे इलाके अलीगंज, विकास नगर, इंदिरा नगर, गोमती नगर आदि शामिल हैं, जहां राम के समय शोर का स्तर 65.3 से 70.3 डेसीबल तक हो जाता है।

यह वे इलाके हैं जहां से सन्नाटे को कुछ वर्षों पहले तक चौकीदार की सीटी तोड़ती थी। हुसैनगंज, चारबाग, आलमबाग, अमीनाबाद और चौक जैसे व्यावसायिक इलाकों में रात के वक्त शोर की सीमा 68.9 से 78.9 डेसीबल तक पायी गई है।

अमौसी, तालकटोरा सरीखे औद्योगिक क्षेत्रों में रात में 66.1 से 69.3 डेसीबल के बीच शोल की पैमाइश की गई। हालांकि ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 से सभी औद्योगिक, रिहायशी एवं व्यावसायिक इलाकों में रात में ध्वनि की अधिकतम सीमा 45 डेसीबल तक ही रखने के स्पष्ट निर्देश हैं।

शहर के विभिन्न हिस्सों में रात के समय शोर

क्षेत्र	शोर का स्तर (डेसीबल)
अलीगंज	65.3

विकास नगर	68.2
इंदिरा नगर	70.3
गोमती नगर	68.8
हुसैनगंज	73.3
चारबाग	71.2
आलमबाग	69.4
अमीनाबाद	78.1
चौक	68.9
अमौसी	66.1
तालकटोरा	69.2

1-पेड़ों की अन्धाधुंध कटाई रोकना।

2-सड़कों के किनारे छायादार वृक्षारोपण।

3-वृक्षों को जीवित रखना।

4-उद्योगों को उद्योग नगर बनाकर शहर से बाहर करना।

5-तेज ध्वनि-विस्तारक यन्त्रों पर अंकुश लगाना और उनके उपयोग का समय निश्चित करना।

6-पेयजल के स्रोतों को प्रदूषण-मुक्त करना तथा नदियों की सफाई कराना।

7-आवश्यकता अनुसार सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाना।

8-इकोलांजी पार्कों की स्थापना करना।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 374 विधान सभा (725)-14-1-08-813 (कम्प्यूटर)